# लोक-सभा वाद-विवाद

## संक्षिप्त अनूदित संस्करण

## SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 3rd LOK SABHA DEBATES

[ दसवां सत्र
Tenth Session ]

Chamber Fumigated.

[ खंड 36 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXXVI contains Nos. 11— ]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI.

मुल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

# विषय-सूची

अंक 12—मंगलवार, 1 दिसम्बर, 1964/10 अग्रहायण, 1886 (शक)

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर


*तारांकित

| प्रश्न संख्या | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| 280 | इलाहाबाद उच्च न्यायालय तथा उत्तर प्रदेश विधानमण्डल के बीच संघर्ष | 1975—82 |
| 281 | उपभोक्ता सहकारी समितियां | 1983—87 |
| 282 | गुड़ और खण्डसारी के भाव | 1987—90 |
| 283 | अधिक फसल देने वाली चीजों की सुधरी हुई किस्में | 1990—92 |
| 284 | कोचीन का जहाज निर्माण कारखाना | 1092—93 |
| 285 | भूमि संरक्षण योजना पर राज्यों के कृषि निदेशकों का सम्मेलन | 1093—95 |


## प्रश्नों के लिखित उत्तर


*तारांकित

| प्रश्न संख्या | | |
|---|---|---|
| 286 | सहकारी समितियों को सहायता | 1095—96 |
| 287 | कृषि फार्म | 1096—97 |
| 288 | गंगा नदी पर पुल | 1097 |
| 289 | भू राजस्व के रूप में अनाज का लिया जाना | 1097—98 |
| 290 | हल्दिया परियोजना के लिए विदेशी मुद्रा | 1098 |
| 291 | आय-कर अपीलीय न्यायाधिकरणों का पुनर्गठन | 1098—99 |
| 292 | उचित मूल्य की दुकानों का लूटा जाना | 1099 |
| 293 | इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के पायलट (विमान-चालक) | 1099—1100 |
| 294 | सेतुसमुद्रम् परियोजना | 1100 |
| 295 | ज्वार के भाव | 1101 |
| 296 | संयुक्त अरब गणराज्य से चावल | 1101—02 |
| 297 | खाद्य तथा कृषि और सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालयों में समन्वय | 1102 |
| 298 | संयुक्त सहकारी खेती | 1102—03 |
| 299 | चीनी कारखानों का आधुनिकीकरण | 1103 |
| 300 | खरीफ की फसल | 1104 |
| 301 | पर्यटन के विकास के लिए निगम | 1104 |
| 303 | भूख से मृत्यु | 1105 |


*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

# CONTENTS

No. 12.—*Tuesday, December* 1, 1964/*Agrahayana* 10, 1886 (*Saka*)

## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS


| **Starred Questions Nos.* | *Subject* | PAGES |
|---|---|---|
| 280 | Conflict between Allahabad High Court and U.P. Legislature | 1075–1082 |
| 281 | Consumer Cooperative Societies | 1083–87 |
| 282 | Prices of Gur and Khandsari | 1087–90 |
| 283 | Improved High-yielding Varieties of Crops | 1090-92 |
| 284 | Cochin Shipyard | 1092–93 |
| 285 | Conference of State Directors of Agriculture on Soil Conservation Plan | 1093–95 |


## WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS


| **Starred Questions Nos.* | | |
|---|---|---|
| 286 | Assistance to Cooperatives | 1095–96 |
| 287 | Agricultural Farms | 1096–97 |
| 288 | Bridge over Ganges | 1097 |
| 289 | Foodgrains as Land Revenue | 1097–98 |
| 290 | Foreign Exchange for Haldia Project | 1098 |
| 291 | Reorganisation of Income Tax Appellate Tribunals | 1098–99 |
| 292 | Looting of Fair Price Shops | 1099 |
| 293 | Indian Airlines Corporation Pilots | 1099–1100 |
| 294 | Sethusamudram Project | 1100 |
| 295 | Prices of Jowar | 1101 |
| 296 | Rice from U.A.R. | 1101–02 |
| 297 | Coordination between Ministries of Food and Agriculture and Community Development and Co-operation. | 1102 |
| 298 | Joint Cooperative Farming | 1102–03 |
| 299 | Modernisation of Sugar Mills | 1103 |
| 300 | Kharif Crop | 1104 |
| 301 | Corporations for Development of Tourism | 1104 |
| 303 | Starvation Deaths | 1105 |


*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमश :

तारांकित


| प्रश्न संख्या | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| 709 | ग्राम पंचायतों की ट्रेनिंग के संबंध में गोष्ठी | 1105 |
| 710 | सहकारिता पर व्यय | 1105–06 |
| 711 | यात्री सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण | 1106 |
| 712 | मध्य प्रदेश में चीनी की मिलें | 1106–07 |
| 713 | केरल में कुटीर उद्योग | 1107 |
| 714 | क्विलैंडी में मछुओं को नाव किनारे लाने की सुविधायें | 1107 |
| 715 | टिड्डी दल | 1107–08 |
| 716 | भारत-जर्मन कृषि विकास कार्यक्रम | 1108 |
| 717 | केरल में काडुवल्ली नदी पर पुल | 1108 |
| 718 | केरल में बालियापट्टम नदी पर पुल | 1108–09 |
| 719 | अमोनियम सल्फेट की सप्लाई | 1109 |
| 720 | पहाड़ी फसलों के संबंध में अनुसंधान | 1109–10 |
| 721 | खरीफ फसल के अनाज की कीमतें | 1110 |
| 722 | उड़ीसा में सड़क परियोजनायें | 1110–11 |
| 723 | खाद्य तेलों की कीमतें | 1111 |
| 724 | बर्मा से आलू के बीज | 1111 |
| 725 | महाराष्ट्र के आदिवासी | 1112 |
| 726 | महाराष्ट्र के लिए रबी फसल के बीज | 1112 |
| 727 | मध्य प्रदेश में परिसीमन आयोग | 1112–13 |
| 728 | मध्य प्रदेश में परिसीमन आयोग | 1113 |
| 729 | मध्य प्रदेश में चुनाव क्षेत्र | 1114 |
| 730 | परिसीमन आयोग की कार्यवाही का वृतान्त | 1114 |
| 731 | कपास का उत्पादन | 1114–15 |
| 732 | सहकारी चीनी कारखाने | 1115 |
| 733 | कर्मचारी भविष्य निधि योजना | 1116 |
| 734 | अनुसंधान के लिए अमरीका द्वारा अनुदान | 1116–17 |
| 735 | चीनी का उत्पादन | 1118 |
| 736 | निर्वाचन याचिकायें | 1118–19 |
| 737 | रक्सोल हवाई अड्डा | 1119 |
| 738 | होटल विकास ऋण निधि | 1119 |
| 739 | भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था द्वारा फसल उगाने के बारे में प्रयोग | 1119–20 |
| 740 | खेती के फार्म | 1120 |
| 741 | दिल्ली में दिवाली उत्सव | 1120 |
| 742 | दक्षिण अंदमान में इमारती लकड़ी निकालने के लिए ठेका | 1121 |
| 743 | अंदमान के वन विभाग के लैंडिंग क्रैफ्ट टेंकर का बेचा जाना | 1121–22 |
| 744 | चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन | 1122–23 |
| 745 | पहाड़ी क्षेत्रों का विकास | 1123 |
| 746 | भंडार और मूल्य घोषित करने के बारे में विनियम | 1123–24 |

| *Unstarred Questions Nos.* | *Subject* | PAGES |
|---|---|---|
| 709 | Seminar on Training of Gram Panchayat | 1105 |
| 710 | Expenditure on Cooperation | 1105-06 |
| 711 | Nationalisation of Passenger Road Transport | 1106 |
| 712 | Sugar Mills in Madhya Pradesh | 1106-07 |
| 713 | Cottage Industries in Kerala | 1107 |
| 714 | Landing facilities for fishermen at Quilandy | 1107 |
| 715 | Locusts | 1107-08 |
| 716 | Indo-German Agriculture Development Programme | 1108 |
| 717 | Bridge over river Koduvally, Kerala | 1108 |
| 718 | Bridge on river Balapattam, Kerala | 1108-09 |
| 719 | Supply of Ammonium Sulphate | 1109 |
| 720 | Researches in Hill Crops | 1109-10 |
| 721 | Prices of Kharif Foodgrains | 1110 |
| 722 | Road Projects in Orissa | 1110-11 |
| 723 | Prices of Edible Oils | 1111 |
| 724 | Potato seeds from Burma | 1111 |
| 725 | Adivasis of Maharashtra | 1112 |
| 726 | Rabi seeds for Maharashtra | 1112 |
| 727 | Delimitation Commission in Madhya Pradesh | 1112-13 |
| 728 | Delimitation Commission in Madhya Pradesh | 1113 |
| 729 | Constituencies in Madhya Pradesh | 1114 |
| 730 | Proceedings of Delimitation Commission | 1114 |
| 731 | Production of Cotton | 1114-15 |
| 732 | Cooperative Sugar Factories | 1115 |
| 733 | Employees Provident Fund Scheme | 1116 |
| 734 | Grants by U.S.A. for Research | 1116-17 |
| 735 | Production of Sugar | 1118 |
| 736 | Election Petitions | 1118-19 |
| 737 | Raxaul Aerodrome | 1119 |
| 738 | Hotel Development Loan Fund | 1119 |
| 739 | Experiment in Crop Cultivation by I.A.R.I. | 1119-20 |
| 740 | Agricultural Farms | 1120 |
| 741 | Diwali Celebrations in Delhi | 1120 |
| 742 | Contract for Extraction of Timber in South Andamans | 1121 |
| 743 | Sale of L.C.T. of Andamans Forest Department | 1121-22 |
| 744 | Delimitation of Constituencies | 1122-23 |
| 745 | Development of Hill Areas | 1123 |
| 746 | Regulation re : Declaration of Stocks and Prices | 1123-24 |

प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमश:


| तारांकित प्रश्न संख्या | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| 747 | सामुदायिक विकास और पंचायती राज मंत्रियों का सम्मेलन | 1124 |
| 748 | कृषि उत्पादन . . | 1124–25 |
| 749 | अमरीका से खाद्यानों का आयात | 1125 |
| 750 | "ज़ैड 326 ट्रेनर मास्टर" की प्रदर्शन उड़ान | 1125–26 |
| 751 | मृत्यु सहायता कोष | 1126 |
| 752 | बोइंग विमान . | 1126 |
| 753 | आदिवासी विकास खण्ड . . | 1127 |
| 754 | मध्य प्रदेश में यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण | 1127 |
| 755 | खाद्यान्नों की खपत . | 1127–28 |
| 756 | सहकारी आधार पर लिफ्ट सिंचाई . | 1128 |
| 757 | मंगलौर पत्तन के लिए भूमि का अर्जन | 1128 |
| 758 | केरल में भूमि संरक्षण | 1128–29 |
| 759 | दिल्ली दुग्ध योजना | 1129–30 |
| 760 | संविधान में संशोधन | 1130 |
| 761 | विदर्भ के आदिवासी . . . . | 1130 |
| 762 | उत्तर प्रदेश की समाज कल्याण विस्तार योजनाओं को सहायता . | 1130–31 |
| 763 | उत्तर प्रदेश में समाज रक्षा (देखभाल) योजनाओं के लिए सहायता | 1131 |
| 764 | कृषि आंकड़े . . | 1131–32 |
| 765 | इलाहाबाद में चुनाव न्यायाधिकरण | 1133–34 |
| 766 | शिमला-अमीनगांव सड़क | 1134 |
| 767 | बाल भवन, दिल्ली में प्रदर्शनी . | 1135 |
| 768 | चट्टानी फास्फेट का उर्वरक के रूप में उपयोग | 1135–36 |
| 769 | कारखाने पर चीनी के मूल्य | 1136 |
| 770 | मीन क्षेत्रों का विकास | 1137 |
| 771 | मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथ . | 1137 |
| 772 | चीनी का एक राज्य से दूसरे राज्य में लाना ले जाना | 1137–38 |
| 774 | सहकारिता आन्दोलन | 1138 |
| 775 | दिल्ली थोक उपभोक्ता सहकारी स्टोर | 1138 |
| 776 | राशन अनुभाग . | 1139 |
| 777 | ईस्ट अफ्रीकन एयरवेज़ के कर्मचारियों को प्रशिक्षण | 1139 |
| 778 | खाद्यान्नों की वसूली . | 1139–40 |
| 779 | पशु पालन संबंधी कार्यकारी दल | 1140 |
| 780 | उत्तर प्रदेश में आटे की मिलें | 1140 |
| 781 | उत्तर प्रदेश में आटे की मिलें | 1141 |

| *Unstarred Questions Nos.* | *Subject* | PAGES |
|---|---|---|
| 747 | Conference of Ministers of C.D. & .P.R. | 1124 |
| 748 | Agricultural Production | 1124–25 |
| 749 | Import of Foodgrains from U.S.A. | 1125 |
| 750 | Demonstration Flight by "Z-326 Trenner Master" | 1125–26 |
| 751 | Death Relief Fund | 1126 |
| 752 | Boeings | 1126 |
| 753 | Tribal Development Blocks | 1127 |
| 754 | Nationalisation of Passenger Transport in M.P. | 1127 |
| 755 | Consumption of Food grains | 1127–28 |
| 756 | Lift Irrigation on Co-operative Basis | 1128 |
| 757 | Acquisition of Land for Mangalore Port | 1128 |
| 758 | Soil Conservation in Kerala | 1128–29 |
| 759 | Delhi Milk Scheme | 1129–30 |
| 760 | Amendment of the Constitution | 1130 |
| 761 | Tribals of Vidarbha | 1130 |
| 762 | Assistance to Social Welfare Extension Project U.P. | 1130–31 |
| 763 | Assistance for Social Defence (Care) Schemes in U.P. | 1131 |
| 764 | Agricultural Statistics | 1131–33 |
| 765 | Election Tribunal at Allahabad | 1133–34 |
| 766 | Simla Amingaon Road | 1134 |
| 767 | Exhibition at Bal Bhavan, Delhi | 1135 |
| 768 | Use of Rock Phosphate as Fertilizer | 1135–36 |
| 769 | Ex-Mill Prices of Sugar | 1136 |
| 770 | Development of Fisheries | 1137 |
| 771 | National Highways in M.P. | 1137 |
| 772 | Inter State Movement of Sugar | 1137–38 |
| 774 | Cooperative Movement | 1138 |
| 775 | Delhi Wholesale Consumers' Co-operative Stores | 1138 |
| 776 | Rationing Cell | 1139 |
| 777 | Training for East African Airways Employees | 1139 |
| 778 | Procurement of Foodgrains | 1139–40 |
| 779 | Working Group on Animal Husbandry | 1140 |
| 780 | Flour Mills in U.P. | 1140 |
| 781 | Flour Mills in U.P. | 1141 |

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| **ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न)** | |
| **अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना** | |
| (1) गांधी सागर बान्ध में बिजली के उत्पादन में कमी | |
| श्री ओंकार लाल बेरवा | |
| डा० कु० ल० राव | |
| (2) नैरोबी में हाल में हुए भारत विरोधी प्रदर्शन तथा स्टेनलेविले, कांगों में भारतीय राष्ट्रजनों की सुरक्षा | |
| श्री बड़े | 1143 |
| श्री दिनेश सिंह | 1143 |
| **सभा पटल पर रखे गये पत्र** . . . . | 1143 |
| **स्वर्ण नियंत्रण विधेयक के बारे में याचिका** . . . . | 1144 |
| **कार्य मंत्रणा समिति** . . . . . | 1144 |
| बत्तीसवां प्रतिवेदन | |
| **विधेयक पुरःस्थापित** . . . . . | 1146 |
| (1) विनियोग (संख्या 6) विधेयक, 1964 | 1145 |
| (2) अत्यावश्यक पण्य (संशोधन) विधेयक | 1145 |
| **मजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक** . . . | 1146 |
| विचार करने का प्रस्ताव— | |
| श्री संजीवय्या | 1146 |
| खण्ड 2 से 22 और 1— | |
| संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव | |
| श्री संजीवय्या | 1146 |
| श्री रंगा | 1159 |
| श्री दीनेन भट्टाचार्य | 1151 |
| श्री काशी नाथ पांडे | 1151 |
| श्री नम्बियार | 1152 |
| श्री यशपाल सिंह . . | 1152 |
| **धन-कर (संशोधन) विधेयक** . . . . | 1152 |
| विचार करने का प्रस्ताव | |
| श्री ति० त० कृष्णमाचारी | 1152 |
| श्री मी० रु० मसानी | 1155 |
| श्री ही० ना० मुकर्जी | 1157 |
| श्री मान सिंह पृ० पटेल | 1160 |
| श्री उ० मू० त्रिवेदी | 1161 |

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS


| *subject* | PAGES |
|---|---|
| Re : Calling Attention Notice (Query) | |
| Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance . . | |
| (i) Shortfall in the generation of Power in the Gandhi Sagar Dam | |
| Shri Onkar Lal Berwa . . . . . | 1142 |
| Dr. K. L. Rao . . . . . | 1142 |
| (*ii*) Anti-Indian Demonstrations in Nairobi and the security of Indian Nationals in Stanleyville, Congo. | |
| Shri Bade . . | 1173 |
| Shri Dinesh Singh . | 1173 |
| Papers laid on the Table . . | 1143 |
| Petition re : Gold Control Bill . | 1144 |
| Business Advisory Committee . | 1144 |
| Thirty-second Report | 1145 |
| Bills introduced . . . . . | 1145 |
| (1) Appropriation (No. 6) Bill, 1964. . . | 1145 |
| (2) Essential Commodities (Amendment) Bill . | |
| Payment of Wages (Amendment) Bill . . | 1146 |
| Motion to consider— | |
| Shri D. Sanjivayya. . | 1146 |
| Clauses 2 to 22 and 1 . . . | |
| Motion to pass, as amended . | |
| Shri D. Sanjivayya. . | 1146 |
| Shri Ranga . . . | 1149 |
| Shri Dinen Bhattacharya | 1151 |
| Shri K.N. Pande . . . | 1151 |
| Shri Nambiar . | 1152 |
| Shri Yashpal Singh . | 1152 |
| Wealth Tax (Amendment) Bill . . . | 1152 |
| Motion to consider— | |
| Shri T.T. Krishnamachari . . . . . | 1152 |
| Shri M.R. Masani . . . . . | 1155 |
| Shri H.N. Mukerjee . . . . . | 1157 |
| Shri Man Sinh P. Patel . . . . . | 1160 |
| Shri U.M. Trivedi . . . . . | 1161 |

धन-कर (संशोधन) विधेयक—क्रमश :


| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| श्री व० बा० गांधी | 1162 |
| श्री काशी राम गुप्त | 1163 |
| श्री रा० गि० दुबे | 1163 |
| श्री बागड़ी | 1164 |
| श्रीमती रेणुका राय | 1165 |
| श्री नम्बियार | 1165 |
| श्री दी० चं० शर्मा | 1166 |
| श्री नारायण दांडेकर | 1167 |
| श्री मा० श्री० अणे | 1169 |

| *subject* | PAGES |
|---|---|
| Shri V.B. Gandhi . . . . . | 1162 |
| Shri Kashi Ram Gupta . . . . . | 1163 |
| Shri R.G. Dubey . . . . . | 1163 |
| Shri Bagri . . . . . | 1164 |
| Shrimati Renuka Ray . . . . . | 1165 |
| Shri Nambiar . . . . . | 1165 |
| Shri D.C. Sharma . . . . . | 1166 |
| Shri N. Dandekar . . . . . | 1167 |
| Dr. M.S. Aney . . . . . | 1169 |

# लोक सभा

# LOK SABHA

**मंगलवार, 1 दिसम्बर, 1964 / 10 अग्रहायण, 1886 (शक)**

*Tuesday, December 1, 1964/Agrahayana 10 1886 Saka*

**लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई**

The Lok Sabha met at Eleven of the clock

**[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]**

[Mr. Speaker in the chair.]

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वे यह ध्यान रखें कि सभा की बैठक के प्रारम्भ में व्योरम की घंटी न बजानी पड़े ।

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय तथा उत्तर प्रदेश विधानमण्डल के बीच संघर्ष**

*280. **श्री यशपाल सिंह :**
**श्री हेम बरुआ :**
**श्री श्रीनारायण दास :**
**श्री विभूति मिश्र :**
**श्री क० ना० तिवारी :**
**श्री दलजीत सिंह :**
**श्री स० मो० बनर्जी :**
**श्री बागड़ी :**
**श्री विश्राम प्रसाद :**
**श्री हेडा :**
**श्री भागवत झा आजाद :**
**श्री वारियर :**
**श्री दाजी :**
**श्री कजरोलकर :**
**श्री सेझियान :**

श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री हेम राज :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :
श्री यु० सिं० चौधरी :
श्री मान सिंह पु० पटेल :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :—

(क) क्या सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय तथा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के बीच अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी संघर्ष के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई राय में अन्तर्निहित विभिन्न विषयों की जांच पूरी कर ली है ;

(ख) क्या संविधान में कोई संशोधन करने का विचार है जिससे इस मामले में कोई शंका अथवा संदेह न रह जाये; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा विधान पेश करने में कितना समय लगेगा ?

**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव)** : (क) से (ग). मामला विचाराधीन है और सरकार की ओर से एक वक्तव्य जल्दी ही दिया जाएगा ।

**Shri Yashpal Singh** :Whether it has come to the notice of the Government that the legal advisers of the Uttar Pradesh Government have said that the Supreme Court has given an advice and they have not pronounced a judgement so it is not binding.

**Minister of Law and Social Security (Shri A. K. Sen)** : It has been read in the news papers.

**Shri Yashpal Singh :** What is your opinion ?

**Shri A. K. Sen :** What can I say ? You as well as I have read it.

**Shri Yashpal Singh :** Whether this matter will be discussed in the Parliament before taking any decision ?

**Shri A. K. Sen :** That decision is to be taken by the Parliament.

**Shri Yashpal Singh :** Will the Parliament discuss it ?

**Shri A. K. Sen :** It is for the Parliament to decide.

**Shri Bibhuti Mishra :** Whether the Government has obtained the opinion of the Speaker of Lok Sabha, Chairman of Rajya Sabha, and the Speakers of the State Legislative Assemblies, because they are responsible to conduct the functions of the legislatures. Whether their opinion has been ascertained as to whether the law should be changed or not.

**Shri A. K. Sen :** How can I say as to what is the opinion of the Speaker

**Mr. Speaker:** He asks whether the opinions of the Speaker has been ascertained.

**श्री अ० कु० सेन** : औपचारिक रूप में अध्यक्ष या सभापति की राय प्राप्त नहीं की गई ।

**Shri K.M. Tiwari** : Recently the Law Minister had said that the judgement of the Supreme Court does not effect the Judiciary and Legislature. Is this his individual opinion or the opinion of Government.

**श्री अ० कु० सेन** : कल राज्य सभा में मुझ से पूछा गया था कि क्या उच्चतम न्यायालय की राय से जो संघर्ष सदस्य उपस्थित हुआ है उस पर चर्चा की जायेगी ? मैं ने कहा था कि मैं तो समझता हूं कि कोई संघर्ष उपस्थित नहीं हुआ ।

**श्री स० मो० बनर्जी** : हाल ही में ऐसी कई गोष्ठियां हुई हैं जिनमें विख्यात वकीलों, विधायकों, शिक्षा विशारदों, अर्थ शास्त्रियों और अन्य लोगों ने भाग लिया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को विदित है कि देश में आम राय यह है कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय ठीक है और संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं ? इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**श्री अ० कु० सेन** : मैं समझाता हूं कि यह प्रश्न पैदा नहीं हुआ है कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय ठीक है या नहीं । उच्चतम न्यायालय की बहुत बहुमत प्राप्त राय सदा सरकार का पथ-प्रदर्शन करती है । अब विवाद यह है कि क्या उच्चतम न्यायालय की व्याख्या का ध्यान रखते हुए संविधान में संशोधन करना चाहिये या नहीं ?

**श्री स० मो० बनर्जी** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया । प्रतिक्रिया क्या है ? क्या संविधान में संशोधन किया जायेगा ?

**अध्यक्ष महोदय** : आपका यह प्रश्न नहीं था । श्री बागड़ी ।

**श्री स० मो० बनर्जी** : मेरी राय है कि संविधान में संशोधन नहीं होना चाहिये । सरकार की क्या राय है ?

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल में रायें नहीं बताई जातीं ।

**Shri Bagri**: Whether any law is being enacted so as to ensure that the State Legislative Assemblies should not act arbitrarily ? Whether any such thing is under consideration.

**Shri A.K. Sen** : I do not think that they have done any thing arbitrarily.

**श्री भागवत झा आजाद** : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सरकार कहती है कि वह अभी इस विषय पर विचार कर रही है । और देश भर में विधायक और आम जनता उनकी निश्चित राय जानने की प्रतीक्षा कर रही है, क्या सरकार को इस बात का पता लगा है कि देश के एक वर्ग ने विशेषत: वकीलों ने इस संबंध में आम जनता और विधायकों के निश्चय और प्रतिक्रिया के विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ कर दिया है ।

**श्री अ० कु० सेन** : सरकार जनता के सभी वर्गों और वकीलों की राय को भी ध्यान में रखेगी ।

**Shri Sidheshwar Prasad** : Why Government has committed delay i considering this matter and whether the opinion expressed by the ex-Law Minister in the Constituent Assembly at the time of forming the relevant provision would also be taken into consideration ?

**Shri A. K. Sen**: I do not think that delay has been committed in this matter because before taking this decision serious consideration should be undertaken.

**Shri Vishwa Nath Pandey** : When the Government is going to have finalised their consideration, and when will the matter be placed before the house?

**Shri A. K. Sen** : It will be considered till final decision is taken.

**श्री मान सिंह पु० पटेल** : उच्चतम न्यायालय के बहुमत निर्णय और उस निर्णय के पक्ष में विधि जीवी संघ के सदस्यों की राय को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार संविधान में नया संशोधन करने के हेतु संशोधन तैयार करने से पहले विधान मंडलों और इस सभा की राय जानने का प्रयत्न करेगी ?

**श्री अ० कु० सेन** : अन्तिम रूप में क्या कार्यवाही की जानी है इस बारे में निर्णय संसद् को और सभा के अध्यक्ष होने के नाते आप को करना है और सभा की राय के संरक्षक होने के नाते आपको अन्तिम निर्णय करने में सभा की सहायता करनी होगी । यह सभा की सहायता से किसी संभव तरीके द्वारा करना होगा ।

**Shri Y. S. Chaudhary** : I am in a fix as to whether I should ask this question from you or from the Law Minister. Formerly when the decision of the Supreme Court was discussed in the House you had said that you would consider the whole matter and call a convention of the presiding officers to know their opinion and to study this matter. Have you worked out this plan or is it in the making?

**Mr. Speaker** : The plan has neither been worked out nor it is in the making

**श्री रंगा** : क्या सरकार ने केवल वकीलों बल्कि आम जनता और राजनैतिक दलों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को भी ध्यान में रख रही है ?

**श्री अ० कु० सेन** : संभवत: मैं ने कभी नहीं कहा कि केवल वकीलों की राय का महत्व है । राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों जिन में प्रोफेसर रंगा भी शामिल हैं, की राय का भी वकीलों से अधिक नहीं तो उतना ही महत्व है ।

**श्री ही० ना० मुकर्जी** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये प्रश्न विशेष रूप से बहुत जटिल हैं और एक प्रकार का प्रचार किया जा रहा है कि बहुमत की राय सरकार के लिए कुछ हद तक बाध्यकारी है और अन्य राय प्रभावी नहीं है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ऐसी कोई प्रक्रिया बना रही है कि संसद् इस मामले पर विचार करे, और इसमें रूचि रखने वाले अन्य लोग विचार कर लें । ताकि हम पर अकस्मात कोई निर्णय न थोप दिया जाए ।

**श्री अ० कु० सेन** : सरकार को ऐसा अधिकार नहीं कि स्वयं ही इस बारे में कोई निर्णय कर ले । सरकार तो केवल अपनी राय व्यक्त कर सकती है । यह तो संसद् कोनिर्णय करना है कि क्या करना चाहिये । जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, मैं यह बात दुहराना चहता हूं कि हमें बहुमत की राय को न्यायालय की राय के रूप में स्वीकार करना चाहिये ।

**श्री हनुमन्तैया** : श्रीमन् एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय मंत्री ने सभा और सर कार में अन्तर बताया है । मुख्य नीतियों के सभी मामलों में सरकार सभा का प्रतिनिधित्व करती है । क्योंकि यह बहुमत संख्यक दल की प्रतिनिधि है । अत: जब कभी कोई प्रश्न उठे उनका यह कह

देना पर्याप्त नहीं—हम तो केवल राय व्यक्त कर रहे हैं और संसद् को इसका निर्णय करना है । वह तो....

**अध्यक्ष महोदय :** क्यों नहीं ? क्या वे समझते हैं कि संसद् और सरकार एक ही है ।

**श्री हनुमन्तैया :** चाहे वे एक नहीं किन्तु यह बहु संख्यक दल के क्षेत्राधिकार में है और सरकार को इस मामले में नेतृत्व करना है ।

**अध्यक्ष महोदय :** यदि वे एक हो जाएं तो वह दुखद बात होगी ।

**श्री ही० ना० मुकर्जी :** विधि मंत्री ने सभा में और बाहर भी कई बार कहा है कि बहुमत की राय सरकार के लिए बाध्यकारी है । यदि ऐसा है तो यह प्रश्न नहीं पैदा होता कि सरकार निर्णय करने में अधिक समय लगायें। तब तो सरकार को सभा के समक्ष अपनी राय रखनी चाहिये ताकि सभा अपना निर्णय बना सके ।

**अध्यक्ष महोदय :** उन्हें क्या बात सभा के समक्ष रखनी है। सरकार समझती है कि यह उसके लिए बाध्यकारी है और यहीं बात समाप्त हो जाती है । इस से अधिक उसे कुछ नहीं करना है । यह तो संसद् को सोचना है कि उसका विचार भिन्न है या नहीं ?

**श्री ही० ना० मुकर्जी :** यह बहुत स्पष्ट कर देना चाहिये। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है वे कहते हैं कि उन के लिए वह राय बाध्यकारी है ।

**अध्यक्ष महोदय :** हमें विधि मंत्री की बात माननी चाहिये। यदि वे कहते हैं कि वह निर्णय सरकार के लिए बाध्यकारी है तो मैं क्या कर सकता हूं ।

**श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या हम समझलें कि सरकार ने बहुमत की राय स्वीकार कर ली है। तब तो हम यथा सम्भव शीघ्र अपनी प्रतिक्रिया से सूचित करेंगे ।

**श्री अ० कु० सेन :** यदि माननीय सदस्य मेरे उत्तर को देखें तो मैं ने बहुत सावधानी से कहा है कि सरकार को बहुमत की राय को न्यायालय की राय मानना चाहिये। क्या यह मामला इसी रूप में रहने दिया जाय या नहीं, जैसे उच्चतम न्यायालय ने व्याख्या की है, इस का निर्णय आपके नेतृत्व में संसद् को करना है । सरकार इस मामले में केवल अपनी राय बता सकती है । कई बार ऐसा हुआ है कि उच्चतम न्यायालय ने किसी कानून को अवैध घोषित किया है और हमने और अधिकार प्राप्त करने के लिए संविधान में संशोधन किया है या संशोधन नहीं भी किया । इस मामले में भी जब राष्ट्रपति ने कुछ प्रश्न उच्चतम न्यायालय को उत्तर देने के लिए दिये तो हम इस के सिवाय क्या कह सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय की राय को बहुमत की राय स्वीकार करना चाहिये। उस के बाद क्या कार्यवाही जरूरी है, यह ऐसा मामला है कि जिस पर संसद् को निर्णय देना है । मैं एक बात और कह दूं। जहां तक विशेषाधिकार का सम्बन्ध है हमने इसे कभी भी बहुसंख्यक दल या किसी विशेष वर्ग का मामला नहीं समझा। इसका सम्बन्ध सारी सभा से है और भूतकाल में हम ने कभी इस पर दलीय आधार पर मतभेद प्रस्तुत नहीं किया ।

**अध्यक्ष महोदय :** एक और बात है। मैं ने समाचार पत्रों में देखा है, कि विधि मंत्री की यह राय है कि यह उच्चतम न्यायालय को देखना होगा कि किसी सभा का आदेश निरर्थक, अवैध या

बुरी नीयत वाला है । अनुमान कीजिए कि कल उच्चतम न्यायालय यह निर्णय करता है कि सभा द्वारा दिया गया आदेश निरर्थक और बुरी नीयत वाला है । तब यह सभा बनी रहेगी या अध्यक्ष पदारूढ़ रहेगा ।

**श्री रंगा :** श्रीमान्, उसे निरर्थक या बुरी नीयत वाला निर्णय नहीं करना चाहिये क्योंकि ऐसे अवसर हो सकते हैं कि बहुसंख्यक दल के नेतृत्व में सभा इस प्रकार का निर्णय करे।

**अध्यक्ष महोदय :** विरोधी पक्ष यह भूल रहा है कि कभी वे भी बहुसंख्यक होंगे ।

**श्री रंगा :** फिर भी विरोधी पक्ष तो होगा ही । आपने स्वयं पहले कहा था कि यदि विरोधी पक्ष न हो तो वह दुखद बात होगी। यदि हम बहुमत वाले हो गये तो वे इस पक्ष में आ जायेंगे ।

**अध्यक्ष महोदय :** तब वे इस ओर तो आयेंगे ही ।

**श्री रंगा :** इस लिए यह अधिक अच्छा होगा कि सरकार संयम रखे और संसद् को निरर्थक या अनुउत्तरदायी बात करने का परामर्श न दे।

**श्री नाथ पाई :** श्रीमन् एक औचित्य प्रश्न है । आपने अभी एक प्रश्न पूछा था । मैं यह बताना चाहता हूं कि जब कभी हम ने ऐसा प्रश्न पूछने का साहस किया है जिसे आपने अपने स्वविवेक द्वारा काल्पनिक समझा तो आपने सख्ती से कहा कि "मैं इसकी अनुमति नहीं देता।" जब कि आप ने जो प्रश्न पूछा उस में आरम्भ में ही आपने कहा कि "अनुमान कीजिए" जिस से प्रत्यक्षतः वह प्रश्न काल्पनिक है। अतः मैं पूर्णतः विचार पूर्वक यह आशा करता हूं कि भविष्य में आप यह ढील हमें भी दिया करेंगे ।

**अध्यक्ष महोदय :** कभी नहीं ।

**श्री नाथ पाई :** क्योंकि आपका प्रश्न सर्वथा काल्पनिक था ।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं केवल प्रतिक्रिया जानना चाहता था ।

**श्री नाथ पाई :** श्रीमन् आपकी न्यायप्रियता से यह मांग है कि आप तो जो अपने लिए चाहते हैं वह हमें भी देंगे ।

**अध्यक्ष महोदय :** उन्हें कभी कभी मुझे कुछ अधिक ही देना चाहिये :

**श्री श० ना० चतुर्वेदी :** उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गयी संविधान की व्याख्या से क्या आप यह नहीं समझते कि ऐसी और जटिल परिस्थितियां पैदा हो सकती है और संसद् और विधानमंडलों के अध्यक्षों के लिए सभा और गैलरियों में अनुशासन रखना कठिन हो जाए।

**अध्यक्ष महोदय :** इस प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं ।

**श्री नाथ पाई :** क्या यह आम राय नहीं है जो कि विधिजीवी संघों, विख्यात न्यायशास्त्रियों और समाचारपत्रों द्वारा व्यक्त की गई हैं कि क्योंकि यह विवाद विधान मंडल और न्यायालयों के बीच प्रभुसत्ता के प्रश्न पर नहीं हैं बल्कि मूल अधिकारों के महत्व के सम्बंध में है अर्थात मूल अधिकारों का अधिक महत्व है जिनका संविधान में स्पष्ट उल्लेख है या सभा के असीम विशेषाधिकारों का। सरकार द्वारा जल्दी से कोई संशोधन लाने से पहले देश भर में इस पर भली प्रकार चर्चा करनी चाहिये ? क्या यही आम राय नहीं है ?

**श्री अ० कु० सेन** : यदि आम राय वही है जो दिल्ली में पीछे एक गोष्ठी में वकीलों ने व्यक्त की थी तब तो यही आम राय है। किन्तु मैं समझता हूं कि अन्य लोग इससे अनायास सहमत नहीं होंगे ।

**श्री नाथ पाई** : मैंने विधिजीवी संघों की बात कही थी ।

**श्री अ० कु० सेन** : मैंने सभी विधिजीवी संघों के संकल्प नहीं देखे किन्तु कुछ देखे हैं ।

**श्री नाथ पाई** : जो लोग अपना विचार व्यक्त कर सकते थे उन्होंने कर दिया है ।

**अध्यक्ष महोदय** : अब आप तर्क वितर्क कर रहे हैं क्या उनका मत है कि जिन्होंने कुछ नहीं कहा वे अपना भाव व्यक्त नहीं कर सकते ?

**श्री नाथ पाई** : वे प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

**श्री अ० कु० सेन** : किन्तु मैं समझता हूं कि यह कहना कि यह केवल मूल अधिकारों का प्रश्न है प्रश्न की जटिलता की उपेक्षा करना है ।

**श्री कपूर सिंह** : क्या सरकार मोटे तौर पर बता सकती है कि यह मामला कब संघ में लिया जायगा ।

**श्री अ० कु० सेन** : श्रीमन श्री कपूर सिंह तो अपने धैर्य के लिए विख्यात हैं उन्हें जल्दी के लिए नहीं कहना चाहिये ।

**श्री हेम राज** : क्या यह सच है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई राय केवल परामर्श है ।

**अध्यक्ष महोदय** : यह निर्णय आपको करना है ।

**श्री हेम बरूआ** : यह असंगति इस कारण पैदा हुई है कि भारत के विधान मंडल सदस्यों के अधिकारों विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को स्पष्ट नहीं कर सके। इस सम्बंध में मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने यह क्यों उपयुक्त नहीं समझा कि संविधान के अनुच्छेद 105 के उपखण्ड (3) और अनुच्छेद 194 को निरसित कर दे और तब यह स्थिति ठीक हो जायगी ।

**अध्यक्ष महोदय** : शांति शांति । वे अपना प्रश्न पूछ चुके हैं ।

**श्री अ० कु० सेन** : क्या वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता है । माननीय सदस्य चाहते हैं कि मैं एक विशेष कार्यवाही के सम्बंध में सरकार की ओर से वचन दे दूं जब कि सरकार ऐसे मामले में ऐसा करने की क्षमता नहीं रखती क्योंकि यह मामला सभा के विशेषाधिकारों का है ।

**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या माननीय मंत्री सभा में कोई संशोधन लाने से पहले विभिन्न राज्य विधान सभाओं से परामर्श करेंगे ? साथ ही वह संशोधन कब तक लाएंगे ।

**श्री अ० कु० सेन** : यदि सभा ने यह निर्णय किया कि अमुक कार्यवाही की जाए तो निस्संदेह वह यह भी बताएगी कि अन्तिम निर्णय राज्य विधान सभाओं के परामर्श से किया जाए या अध्यक्ष के परामर्श से ?

**श्री वासप्पा** : क्या सरकार की यह इच्छा है कि तब तक प्रतीक्षा की जाए जब तक न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर हस्तक्षेप नहीं करते और तब इसका निबटारा किया जाएगा ।

**श्री नाथ पाई** : निबटारे का प्रश्न ही कहां है ?

**श्री अ० कु० सेन** : मैंने ऐसा कभी नहीं कहा ।

**Shri Daljit Singh** : According to articles 22, 32 and 54 of the Constitution Parliament is considered Supreme. . . .

**Shri S.M. Banerjee** : That is not considered.

**अध्यक्ष महोदय** : वह तो राय की अभिव्यक्ति है ।

**Shri Daljit Singh** : Did the Supreme Court before giving decision on this issue wrote to the Government to amend the constitution.

**Mr Speaker** : This was not their duty to ask for that.

**Shri Sheo Narain** : Whether the Government intend to consider this matter in a committee of Speakers, attorney Generals and Adovocate Generals.

**Mr. Speaker** : That is a separate question.

**श्री रामनाथन चेट्टियार** : चूंकि लोक सभा प्रत्यक्ष चुनाव में लोगों द्वारा चुनी जाती है . .

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं .....

**श्री राम नाथन् चेट्टियार** : चूंकि संसद प्रभुसत्ता सम्पन्न है इसलिए क्या सरकार कोई निर्णय करने से पहले संसद और देश के विधान मंडलों के विचारों पर ध्यान देगी ?

**श्री स० मो० बनर्जी** : संसद प्रभुसत्ता सम्पन्न नहीं है ।

**अध्यक्ष महोदय** : वे कम से कम इस दृष्टि से प्रभुसत्ता सम्पन्न हैं कि वे विभिन्न मत रख सकते हैं । उन्हें इस प्रकार तर्क वितर्क की अनुमति नहीं दी जा सकती ।

**Shri M.L. Dwivedi** : Whether the President referred this matter to Supreme Court after asking from the law Ministry ?If so, who was consulted by the Ministry ?

**Shri A.K. Sen** : It was done on the advice of the whole cabinet.

**Shri Ram Sewak Yadav** : Did the Congress Parliamentary Party set up a Committee to consider this matter and the Hon. Minister for Law was the member of that Committee ? If so what was their opinion and what was the opinion of the Law Minister ?

**Mr Speaker** : This is not allowed.

**श्री राम नाथन् चेट्टियार** : एक व्यवस्था का प्रश्न है । संसद कार्य मंत्री ने कहा था कि वे अध्यक्षों के सम्मेलन की प्रतीक्षा करेंगे । किन्तु माननीय अध्यक्ष महोदय ने बीच में ही कहा था कि अध्यक्षों की राय का पहले ही पता लग चुका है अत: उन्हें प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये । इसलिये मैंने पूछा था कि क्या निर्णय करने से पहले संसद और विधानमंडलों की राय पर विचार किया जायगा ?

**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न बहुत से सदस्य पूछ चुके हैं ।

## उपभोक्त सहकारी समितियां

+

*281. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० र० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री हेडा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री दाजी :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
श्री श्याम लाल सर्राफ :
डा० रानेन सेन :
डा० सारादीश राय :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्रीमती विमला देवी :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्य विरोधी आन्दोलन के फलस्वरूप दिल्ली तथा नई दिल्ली की विभिन्न कालोनियों में खोली गई उपभोक्ता सहकारी समितियों को कोई सहायता देने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ; और

(ग) क्या खपत तथा मूल्यों में हुई कमी का पता लगाने के लिये राजधानी में विभिन्न स्वच्छिक संगठनों द्वारा उपभोक्ताओं से की गई इस अपील के प्रभाव का सरकार ने अध्ययन किया है कि वह मिठाइयों का सेवन न करे ?

**सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति ) :** (क) जी हां ।

(ख) उप-नियम बनाने, समितियों के पंजीकरण, स्थान ढूंढने, नियंत्रित वस्तुओं की सप्लाई और तकनीकी मार्गदर्शन के बारे में सहायता ।

(ग) कोई विशिष्ट और व्यापक अध्ययन नहीं किया गया था, किन्तु सभी प्राप्त विवरणों से पता चला कि मूल्यों पर प्रभाव पड़ा था ।

**श्री दी० चं० शर्मा :** माननीय मंत्री ने उन कुछ रियायतों की सूची दी है जो उपभोक्ता सहकारी समितियों को दी गई हैं । कितनी उपभोक्ता सहकारी समितियों ने ये रियायतें प्राप्त की हैं और वे समितियां कहां कहां पर हैं ?

**श्री ब० सू० मूर्ति :** जहां तक हमें पता है केवल छः उपभोक्ता सहकारी समितियां हैं । दो मालवीयनगर में एक निज़ामुद्दीन में एक नेहरू नगर में एक जनपथ लेन और एक मदनगीर में ।

**श्री इन्दरजीत लाल मल्होत्रा :** संसद सदस्यों की उपभोक्ता सहकारी समिति के बारे में क्या है? क्या माननीय सदस्य को उस बारे में पता नहीं ?

**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या सरकार के पास कुछ और प्रार्थनापत्र विचाराधीन हैं ? यदि ऐसा है तो सरकार उन पर कब तक विचार कर लेगी ?

**श्री ब० सु० मूर्ति :** एक योजना सरकार के विचाराधीन है किन्तु उसके पास कोई प्रार्थनापत्र विचाराधीन नहीं है ।

**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :** क्या माननीय मंत्री को पता है कि संसद सदस्यों की एक उपभोक्ता समिति है । यदि हां तो उस संस्था को कब तक कोई रियायतें या सहायता दी गई है ?

**श्री ब० सु० मूर्ति :** माननीय सदस्य को पता होना चाहिये कि प्रश्न का सम्बंध मूल्य वृद्धि विरोधी आन्दोलन के सम्बंध में है । संसद सदस्यों की सहकारी उपभोक्ता समिति का निर्माण इस कारण नहीं हुआ ।

**श्रीमती सावित्री निगम :** माननीय मंत्री ने जिस प्रकार की सहायता का उल्लेख किया है, क्या वह स्थायी रूप से दी जाती रहेगी या यह दिल्ली के मूल्य वृद्धि विरोधियों को प्रयोगात्मक आधार पर दी गई है ?

**श्री ब० सु० मूर्ति :** जो नई सहकारी समितियां मूल्य वृद्धि विरोधी आन्दोलन के कारण स्थापित हुई हैं वे सब स्थायी रूप से रहेगी और वित्तीय तथा अन्य प्रकार की जो भी सहायता उन्हें दी जाती है स्थायी रूप से दी जायगी जब तक उनका काम ठीक होगा ।

**Shri Yashpal Singh :** Whether it has come to the notice of the Government that the milkmen of new Delhi are taking fresh milk and the consumers are getting four days stale milk of the Delhi Milk Scheme? The persons of the society who have been beaten by the milkmen, have been admitted to the Hospital. What arrangements have been made by the Government for their protection.

**श्री ब० सु० मूर्ति :** यह उपभोक्ता समिति मूल्य वृद्धि विरोधी आन्दोलन के कारण स्थापित नहीं की गई ।

**Shri Kashi Ram Gupta :** The biggest obstacle before the consumers Cooperative Societies in Delhi is that at accmmodation. Is the Ministry working out a plan to provide accommodation to them?

**श्री ब० सु० मूर्ति :** जी हां यह भी एक मद है जिसका उल्लेख उत्तर में किया गया है । आवास की बहुत कमी है और हम आवास मंत्रालय और दिल्ली प्राधिकारियों से कह रहे हैं कि वे आवास की यथाशीघ्र व्यवस्था करें ।

**Shri M L. Dwivedi :** How many applications for consumers Cooperative Societies have been received by the Government and what steps are being taken them in this direction.

**श्री ब० सु० मूर्ति :** सरकार प्रत्यक्षत: इन प्रार्थनापत्रों का निबटारा नहीं करती । यह काम दिल्ली प्रशासन और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार का है । दिल्ली प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार छः समितियां स्थापित हो चुकी हैं इनमें से दो को थोक उपभोक्ता समितियों से सम्बद्ध किया जा चुका है ।

**श्री अ० प्र० शर्मा** : सहकारी आवास समितियों को ये सुविधाएं केवल दिल्ली में दी जायेंगी या सारे देश में और विशेषत: ऐसे क्षेत्रों में जहां सरकारी उपक्रम है सुविधाएं दी जाएंगी ?

**श्री ब० सू० मूर्ति** : सामान्यत: यह कठिनाई सारे देश में और विशेषत: बड़े नगरों में है।

**श्री अ० प्र० शर्मा**: मेरा प्रश्न उन क्षेत्रों के सम्बंध में था जहां सरकारी उपक्रम है। कहीं भी ये सुविधाएं नहीं दी जाती हम केवल दिल्ली की ही बात करते हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : मेरा उपभोक्ता मूल्य विरोधी आन्दोलन नहीं चल रहे।

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya** : Whether the arrangements made in Delhi for the Consumers Cooperative Societies are intended to be extended to other cities as well.

**श्री ब० सू० मूर्ति** : सभा को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि हम मूल्य वृद्धि विरोधी आन्दोलन के नेताओं का एक सम्मेलन करने वाले हैं ताकि देश के अन्य नगरों में मूल्यों को रोकने के लिए उत्साह फैलाया जा सके।

**श्री अ० प्र० शर्मा** : मूल्य वृद्धि विरोधी आन्दोलन के नेता कौन हैं ?

**Shri Bhagwat Jha Azad** : Whether the Government have seriously considered that the agitation of Consumers Cooperative Societies cannot be successful on a large scale till the Government discontinues discriminatary treatment towards the Societies. These days the individuals can get their job done easily and the work of the societies is not done. Is the Government intending to amend the rules. Until the rules are amended in such a way that facilities available to the individual traders are made available to the Societies the agitation cannot be successful.

**श्री ब० सू० मूर्ति** : यह तो बहुत लम्बा प्रश्न है। मैं इतनी हिन्दी नहीं समझ सकता।

**अध्यक्ष महोदय** : वे अनुवाद की सुविधा का लाभ नहीं उठा रहे।

**श्री भागवत झा आजाद** : मैं निवेदन करता हूं कि मेरे प्रश्न का उत्तर दिया जाये। मैंने कहा है कि जब तक नियमों में संशोधन नहीं किया जाता यह आंदोलन सफल नहीं हो सकता। उनकी राय क्या है ?

**अध्यक्ष महोदय** : राय नहीं पूछी जा सकती।

**श्री भागवत झा आजाद** : मैं राय नहीं बल्कि यह पूछ रहा हूं . . . .

**अध्यक्ष महोदय** : अभी उन्होंने राय की बात कही है।

**श्री भागवत झा आजाद** : मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार आंदोलन को सफल बनाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ? जब तक सरकार व्यापारी और समिति के भेद करने की नीति को नहीं छोड़ती वह सफल नहीं हो सकता। यह बहुत सरल और महत्वपूर्ण प्रश्न है।

**सामुदायिक विकास और सहकार मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : जब कभी मूल्य वृद्धि विरोधी आन्दोलन के परिणामस्वरूप समितियां स्थापित होंगी सरकार उन के लिए सभी प्रकार की सहायता देगी और हम इस बात का स्वागत करेंगे कि यह आन्दोलन देश भर में हो।

**डा० सरोजिनी महिषी :** क्या सरकार को यह पता लगा है कि मूल्य वृद्धि विरोधी आन्दोलन के परिणामस्वरूप जो उपभोक्ता सहकारी समितियां स्थापित हुई हैं उनमें उन समितियों की अपेक्षा अधिक स्वयं सेवी प्रयत्न किये गये हैं जिन की स्थापना अधिकारियों द्वारा जारी किये गये आदेशों के कारण हुई है ?

**श्री ब० सू० मूर्ति :** हम इस प्रकार का अन्तर नहीं बता सकते ।

**श्री नाथ पाई :** क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर गया है कि जब कभी दिल्ली की किसी बस्ती में लोगों ने अपनी समितियां स्थापित करने की पहल कदमी, कल्पना और साहस दिखाया है, उन्हें वह सहायता और संरक्षण प्राप्त नहीं होता जिसके लिए नागरिक अधिकारी है और निहित स्वार्थों वाले और चोर बाजारी करने वाले लोगों ने उन पर प्रहार भी किये हैं, यदि ऐसा है तो सरकार इस आन्दोलन को सहायता देने और उन्हें संरक्षण दिलाने के लिए क्या किया है ?

**श्री सु० कु० डे :** मुझे पता नहीं है कि कहीं ऐसे अत्याचार किये गये हैं ।

**श्री नाथ पाई :** मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नित्य प्रति ऐसा हो रहा है ।

**श्री सु० कु० डे :** मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि बड़े बड़े नगरों में उपभोक्ता सहकारी समितियों के प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक, गत 16 मास के अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए पुनर्विचार किया जा रहा है । इस पर अब योजना आयोग के साथ चर्चा की जा रही है और शीघ्र ही हम निश्चित निर्णय करेंगे ।

**श्री नाथ पाई :** मैं तो यह निवेदन कर रहा था कि माननीय मंत्री ने तुरन्त मेरी इस बात का खण्डन कर दिया था कि समितियों के लोगों पर अत्याचार किये जा रहे हैं । आप तो ध्यानपूर्वक समाचार पत्र पढ़ते हैं । आपको स्मरण होगा कि जब विनयनगर में नागरिकों ने जो निम्न मध्य वर्ग के हैं, दूध खरीदने से इन्कार कर दिया तो महिलाओं को पीटा गया और लोगों की मारपीट की गई । क्या वे इतनी साधारण सी बात नहीं जानते ?

**श्री सु० कु० डे :** मैंने ऐसे अत्याचारों की बात नहीं सुनी ।

**श्री अ० प्र० शर्मा :** एक व्यवस्था का प्रश्न है । आपने पहले एक निर्णय दिया था कि जब एक स्पष्ट प्रश्न पूछा जाये तो उत्तर भी स्पष्ट होना चाहिये किन्तु यहां मंत्री महोदय हर प्रश्न के उत्तर में कह रहे हैं कि "सभी संभव" "यथा शीघ्र' आदि । अतः यह प्रश्न का उत्तर नहीं है ।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं ने यह बात कही थी और उसे दोहरा भी सकता हूं कि जहां मैं माननीय मंत्रियों से कहता हूं कि उनका उत्तर प्रथम प्रत्यक्ष, स्पष्ट निश्चित सीधा और ठोस होना चाहिये मुझे सदस्यों से भी कहना है कि प्रश्न भारी भरकम पूर्वधारणाओं पर आधारित और असंगत नहीं होना चाहिये और वे स्पष्ट होने चाहिये । अतः यदि प्रश्न सीधा और छोटा हो तो मैं निश्चित रूप से इस बात पर बल दूंगा कि उत्तर भी स्पष्ट और निश्चित होना चाहिये । किन्तु इस मामले में सभी सदस्यों को मेरी सहायता करनी चाहिये न कि केवल एक पक्ष को ।

**श्री नाथ पाई :** मुझ आशा है कि आपके आदेश का सम्बन्ध मेरे प्रश्न से नहीं है ।

**अध्यक्ष महोदय :** उस से भी है । अगला प्रश्न

**Shri Onkar Lal Barwa :** you had called me :

**Mr Speaker :** But now it is not possible.

**Prices of Gur and Khandsari**

*282. **Shri Vishram Prasad:**
**Shri Bagri:**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refder to the reply given to Starred Question No. 191 on the 15th September, 1964 and state :

(*a*) whether Government have since decided to impose control on the prices and production of gur and khandsari;

(*b*) whether Government have also decided to make available khandsari at reasonable prices to the consumers with a view to reduce the consumption of sugar; and

(*c*) if so, the details thereof?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :** (क) से (ग). सरकार ने ऐसा कोई सामान्य निर्णय नहीं किया है। तथापि, उत्तर प्रदेश सरकार ने खंडसारी की बिक्री के लिए अधिकतम कीमतें निर्धारित की हैं और उत्तर प्रदेश से खंडसारी का आयात करने वाले राज्यों को कहा गया है कि वे आयातित खंडसारी की बिक्री उत्तर प्रदेश में नियन्त्रित कीमतों के बराबर कीमतों पर करें। राज्य सरकारों को यह भी अधिकार दिया गया है कि वे खंडसारी एककों और शक्ति चालित कोहलुओं को लाइसेंस दे और शर्करा कारखानों के आरक्षित क्षत्रों में उनके कार्य को नियमित करें।

**Shri Bagri :** When for the sake of giving incentives to the big industries restrictions are imposed on small industries, the latter break down which is absolute against the objective of socialism though the Government talks of socialism. Whether it has come to the notice of the Government that by imposing licenses and restrictions on Khandsari, unrest has been created among the farmers and the industry of khandsari is dwindling. If so is the Government intending to reconsider these restrictions.

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) :** जहां तक गुड़ का सम्बन्ध है हमने न तो उस के यातायात और न ही मूल्य पर कोई प्रतिबन्ध लगाया है । उत्तर प्रदेश सरकार ने खण्डसारी के उत्पादन का विनियमित करने के लिए कुछ उपाय किये हैं। मैं समझता हूं कि इन उद्योगों के विकास पर कोई प्रतिर्वध नहीं लगाया गया।

**Shri Bagri :** The owners of sugar factories are given the lattitude to increase price in lieu of their export to other countries. Apart from that Government are giving crores of rupees to them so that they do not incur loss. Keeping this in view with such assistance be given to the manufacturers of Gur and khandsari.

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** खण्डसारी के कारखाने छोटे हैं । अत: उनके लिए अधिक धन अपेक्षित नहीं होता । किन्तु जहां तक आवश्यक है गुड़ और खण्डसारी उद्योग के विकास के लिए भी सहायता दी जा रही है ।

**श्री क० ना० तिवारी :** क्या खाद्य प्रदेश समाप्त करने और नियंत्रण समाप्त करने से गड़ का मूल्य गिर गया है और यदि ऐसा है तो यह बात ध्यान में रखते हुए कि 1964–65 में चीनी का उत्पादन लगभग लक्ष्य के अनुसार होगा, क्या सरकार चीनी का भी नियंत्रण हटा रही है ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** नहीं श्रीमान्। ऐसा विचार नहीं किया जा रहा हैं।

**Shri Parkash Vir Shastri :** When M.P. Government seized the stocks of khandsari its price was rupees 47 and some annas. Now when the khandsari is being decontrolled U.P. Government has announced that the price would go down and Government would purchase khandsari now the price of khandsari is rupees 27 and they have decontrolled it. When a Government gives such an assurance and does not carry it out, who is responsible for this fall in the prices? Either they should remove restrictions on itsinter-state movment or should purchase khandsari on that price. when the Government itself perpeterates such injustice on the people now the work would go on?

**Mr Speaker :** How can he answer this question?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** यह उत्तर प्रदेश सरकार का उत्तरदायित्व है और मुझे आशा है कि वह अपने उत्तरदायित्व को पूरा करेगी।

**श्री अ० प्र० जैन :** चूंकि गुड़ और खण्डसारी ऐसे पदार्थ हैं जो चीनी के स्थान पर प्रयोग किये जा सकते हैं अतः क्या वे अखिल भारतीय चीनी नीति के अन्तर्गत आते हैं और यदि ऐसा है तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यवाही उस नीति के अनुकूल है या प्रतिकूल ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम् :** जहां तक खांडसारी के उत्पादन और उपभोग का सम्बन्ध है, मुख्यतः उसका उत्पादन और उपभोग भी उत्तर प्रदेश में ही होता है। अतः हमने उत्तर प्रदेश सरकार को उस पर नियंत्रण करने की अनुमति दी है और कितनी मात्रा का निर्यात किया जा सकता है उसकी अनुमति है। यह राष्ट्रीय नीति के प्रतिकूल नहीं है।

**श्रीमती शारदा मुकर्जी :** गुड़ और खण्डसारी के उत्पादन में कितना गन्ना इस्तेमाल होता है और क्या सरकार चीनी मिल और खांडसारी निर्माताओं द्वारा गन्ने के खरीद के बारे में एकीकृत नीति बना रही है। इस समय मूल्यों में बहुत अन्तर प्रतीत होता है।

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** लगभग 30 प्रतिशत गन्ना चीनी मिलों में चीनी के उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। शेष खांडसारी और गुड़ के निर्माण में इस्तेमाल होता है। कुछ जगहों पर चीनी मिलों के लिये क्षेत्र रक्षित किये जाते हैं। इसी आधार पर हम चीनी मिलों द्वारा दिये जाने के मूल्य का निर्धारण करते हैं।

**Shri Jagdev Singh Sidhanti :** These days sugarcane is being crushed and the traders decrease the price of Gur and Khandsari. Will the Government protect the farmers from this decrease in prices ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** हमने गन्ने का न्यूनतम मूल्य अधिसूचित किया है जो किसानों को मिलेगा ? मैं नहीं समझता कि किसी स्थान पर मूल्य स्तर से नीचे गिरा है।

**Shri Onkar Lal Berwa :** What is the number of Gur and khandsari factories in the Public Sector ? Is the Government is binding to increase these factories and if so, where?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** मेरी जानकारी के अनुसार सरकारी क्षेत्र में गुड़ और खाण्डसारी के कोई कारखाने नहीं हैं। कुछ सहकारी कारखाने, हो सकते हैं। नये कारखाने स्थापित करने का कोई विचार नहीं है।

**श्री स० मो० बनर्जी :** इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि चीनी की कमी है और उसकी पूर्ति खाण्डसारी द्वारा की जाती है, सरकार खाण्डसारी निर्माताओं को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कह रही है ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** यह प्रश्न चीनी, गुड़ और खांडसारी के निर्यात में उपलब्ध गन्ने के उपयोग के सम्बन्ध में है। निश्चय यह करना है कि गन्ने का कैसा उपयोग आर्थिक दृष्टि से लाभकारी है। वैज्ञानिक और तकनीकी राय यह है कि चीनी के निर्माण में इसका उपयोग सबसे अच्छा है। अतः चीनी के निर्माण को हम प्राथमिकता देते हैं। जहां तक गुड़ और खाण्डसारी में गन्ने के उपयोग का सम्बन्ध है, चूंकि हम सारा गन्ना चीनी के उत्पादन में इस्तेमाल नहीं कर रहे इसलिये उस उपयोग की भी अनुमति दे रहे हैं जो खाण्डसारी निर्माता करते हैं।

**श्री काशी नाथ पांडे :** क्या यह सच है कि सरकार ने चीनी मिलों को गन्ना देने के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया है? क्या उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को हिदायत दी है कि वे खाण्डसारी निर्माताओं को दिये जाने वाले गन्ने का न्यूनतम मूल्य भी निर्धारित करे।

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** अब तक किसानों को खाण्डसारी उद्योग गन्ने के निर्धारित न्यूनतम मूल्य से अधिक मूल्य मिलता है। अतः ऐसी स्थिति पैदा होने पर इस पर विचार किया जायेगा।

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya**: Khandsari is selling at rupees 27 per maund in U.P. whereas in Rajasthan, Gujarat and other provinces it is selling at rupees 60 to 70 per maund. This reason for this difference is that restrictions have been imposed on the movement of khandsari. Is the Government intending to remove the restrictions because it is leading to black marketing.

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** ये प्रतिबन्ध इसलिये लगाये गये हैं कि उत्तर प्रदेश में उपभोग के लिए खाडसारी उपलब्ध हो सके। वास्तव में उसी मात्रा में कारखाने को चीनी कम दी जाती है क्योंकि उन्हें खांडसारी मिल जाती है। उत्तर प्रदेश की आवश्यकता पूरी करने के बाद जितनी खांडसारी बच जाती है उसे ही बाहर भेजने की अनुमति दी जाती है। इस लिए अन्य क्षेत्रों में कमी होने से इसके मूल्य बढ़ जाते हैं।

**Shri Sheo Narain :** When the gur is selling at rupees 27, why the Government does not purchase it ?

Why gur was sold at rupees 80 per maund in Gujrat last year? Why Government does not seize the stock of gur so that blackmarketing is checked ? What objection has Government to this process? If the Central Government says that it is the responsibility of U.P. what is the responsibility of the Central Government?

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya** : Hon. Members angry way of asking the question creates fear.

**Mr Speaker :** Why is the Hon. Member afraid? I should be afraid because all annoyance is concentrated upon me.

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : मैंने पहले बताया है कि सारी खांडसारी का उद्योग उत्तर प्रदेश में होता है। अत : उत्तर प्रदेश की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाती है और उत्तर प्रदेश सरकार को इसके वितरण और उत्पादन पर नियंत्रण की अनुमति दी गई है ।

**श्रीमती सावित्री निगम** : अनेक विदेशों में भूरी चीनी की मांग को दृष्टिगत रखते हुए और गुड़ और खांडसारी के गिरते हुए मूल्यों का ध्यान रखते हुए जिसके कारण किसानों को कठिनाई होती है क्या सरकार खांडसारी को निर्यात के लिए खरीदने का विचार रखती है ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : नहीं श्रीमान, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

**Shri Kashi Ram Gupta** : The Hon. Minister has frequently said that U.P. Government has adopted this policy for making khandsari available for U.P. and the Central Government also perhaps agrees to that. May I know as to why Government is supporting the policy which leads to fall of prices.

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : श्रीमन इस समय भी गुड़ और खांडसारी के निर्माता चीनी मिलों की अपेक्षा अधिक मूल्य दे सकते हैं। अतः जहां तक किसानों का संबंध है उन्हें कोई कठिनाई नहीं है । इसलिए इस संबंध में कोई आदेश देने का सवाल पैदा नहीं होता ।

**Mr Speaker** : Next question.

### अधिक फसल देने वाली बीजों की सुधरी हुई किस्में

\+

*283. **श्री रा० गि० दुबे** :
**श्री यशपाल सिंह** :
**श्री विश्राम प्रसाद** :
**श्री बागड़ी** :
**श्री बृजराज सिंह कोटा** :
**श्री श० ना० चतुर्वेदी** :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कृषि अनुसंधान संस्था ने मकई, ज्वार, कपास तथा खराब न होने वाले गेहूं की अधिक फसल देने वाली मिश्रज अनाज की किस्मों का विकास किया था ; और

(ख) देश भर में किसानों को नये अनाज के बीज देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं।

**खाद्य और कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां। भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान में कपास के अतिरिक्त अन्य फसलों को अधिक फसल देने वाली तथा संकर अनाज की किसमें तैयार की गई हैं।

(ख) संकर मक्का तथा ज्वार के बीजों का प्रवर्धन राष्ट्रीय बीज निगम करती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में तैयार हुए गेहूं के बीजों का प्रवर्धन संस्थान तथा राज्यों के कृषि विभाग दोनों करते हैं। प्रवर्धन के पश्चात् विकसित बीज कृषकों को बांट दिये जाते हैं।

**श्री रा० गि० दुबे** : प्रयोग के दौर में विभिन्न किस्मों की फसल में कितनी वृद्धि हुई है और उनके विभिन्न क्षेत्रों में वितरण और बुआई पर कितनी वृद्धि की आशा है ?

**श्री शाहनवाज खां** : यह सिंचाई उर्वरक और भूमि की किस्म आदि कई बातों पर निर्भर करता है। किन्तु सामान्यतः संकर मक्का के उत्पादन में 70 से 80 प्रतिशत वृद्धि हुई है। ज्वार की एक किस्म खोरगम के मामले में भी यही स्थिति है।

**श्री रा० गि० दुबे** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ज्वार, बाजरा और अन्य किस्मों के अनाज की काफी मात्रा कीड़ा लगने से खराब हो जाती है, इस संस्था ने उस खराबी को रोकने के लिए क्या उपाय निकाला है ?

**श्री शाहनवाज खां** : ज्वार और बाजरा में कीड़ा नहीं लगता। उनमें और रोग हो सकते हैं। केवल गेहूं में ही कीड़ा लगता है।

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम )** : इस संस्था में अन्य अनाजों को कीड़े से बचाने के भी उपाय किये जा सके हैं।

**Shri Yashpal Singh** : When is the beaucratic system going to be abolished because the farmers have to wait upon the Agriculture officer for days together? When is the Government going to undertake the responsibility of delivering seeds at the house of the farmers?

**Shri Shah Nawaz Khan** : Seeds are available at all block Centres and Cooperative societies. Possibly it has been delivered to all farmers who have made a demand.

**Shri Bagri** : Is the Hon. Minister aware of the fact that this time in the sowing season of Rabi and Kharif crops Jowar and Bajra seed has sold at rupees 40 per maund and wheat seed has been sold at rupees 32 in the suburbs of Delhi. It has not been made available by the Government. What percentage of Jowar, Bajra and wheat seed can be made available by the Government and what stock is with them to meet the damand of the country?

**Shri Shah Nawaz Khan** : The Central Government does not keep stocks of seed. The State Governments make their own arrangements. This year their has been shortage of seed in Uttar Pradesh. They had in the beginning asked for only twenty to fifty thousand tons of seed, and thereafter they made a demand for forty thousand tons. A large portion of it has been given to them. The demands of Rajasthan and other states have been fulfilled.

**श्री श० ना० चतुर्वेदी** : ज्वार और गेहूं की सुधरी हुई किस्म गत खरीफ में कितने क्षेत्र में बोई गई ?

**श्री शाहनवाज खां** : कुल 1.30 लाख एकड़ भूमि में संकर ज्वार बोई गई थी। इसे 1960 में ही आरम्भ किया गया था। यह क्षेत्र बहुत अधिक नहीं है।

**श्री मा० श्री० अणे** : संकर ज्वार कितने क्षेत्र में बोई गई ?

**अध्यक्ष महोदय** : यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है।

**श्री मा० श्री अणे** : विदर्भ और महाराष्ट्र के किसानों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है।

**श्री रंगा** : क्या सरकार की यह नीति है कि जिन उत्पादकों की सिफारिश पंचायतों ने की है उन्हें और पंचायतों सुधरा हुआ बीज मुफ्त या रियायत पर दिया जाए, यदि हां, तो मूल्य में कितनी रियायत दी जाती है ?

**श्री शाहनवाज खां :** बीज रियायती दर पर नहीं दिये जाते । पहले एक मुख्य बीज तैयार किया जाता है और फिर उसकी संख्या बढ़ाई जाती है। इसे लागत मूल्य पर बेचा जाता है जो उत्पादकों के लिए लाभकारी और आकर्षक है।

**कोचीन का जहाज निर्माण कारखाना**

\+

*284. { **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
**श्री विश्राम प्रसाद :**
**श्री श्रीनारायण दास :**

क्या **परिवहन** मंत्री 8 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 36 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन के जहाज निर्माण कारखाने की स्थापना के बारे में जापानी सार्थ मैसर्स मित्सुबिशी से हो रही बातचीत में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उस सार्थ से कब तक करार हो जाने की सम्भावना है ?

**परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर ) :** (क) और (ख) : जापान के मैसर्स मित्सुबिशी से सहयोग के लिए उनकी अन्तिम शर्तों का लिखित उत्तर बहुत शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है।

**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** वे मुख्य बातें क्या हैं जिन के बारे में सहयोग देने वाली कम्पनी के साथ इतने समय से बातचीत हो रही है ?

**श्री राज बहादुर :** जहाज के निर्माण के लिए स्वामित्व और नक्शों और रूपांकन आदि के लिए दी जाने वाली राशि की मात्रा के बारे में मुख्य बातों पर बातचीत हो रही है।

**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या सरकार यह बता सकती है कि दोनों पक्षों में करार हो जाने के बाद जापानी कम्पनी को परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में कितना समय लगेगा ?

**श्री राज बहादुर :** हमने उन्हें अपनी शर्तें अगस्त में बता दी थीं। वे उनका अध्ययन करते रहे हैं। इस बीच में उन्होंने करार के अन्तिम संभावित रूप के बारे में भी कुछ अनौपचारिक बातचीत की है। आशा है मामले दो सप्ताह में उत्तर आ जायगा। उसके बाद वे आएंगे और करार हो जायगा। करार होते ही काम आरम्भ हो जायगा।

**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या मित्सुबिशी कम्पनी ने यह संकेत दिया है कि वे परियोजना में कितनी पूंजी लगायेंगे ?

**श्री राज बहादुर :** ये तो ब्यौरे की बातें हैं। इस समय कुछ कहना कठिन है।

**श्री प० कुन्हन :** इस कम्पनी के साथ करार होने में विलम्ब को दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार किसी अन्य कम्पनी के साथ बातचीत करने का विचार कर रही है ?

**श्री राज बहादुर :** मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को पता है कि हम 1960 से 1962 तक अन्य देशों के साथ सहयोग के लिए बातचीत करते रहे हैं। अब 1962 के बाद से जापानियों के साथ बातचीत हो रही है और इसमें काफी प्रगति हो चुकी है और मुझे संदेह नहीं कि इसमें सफलता मिलेगी।

**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

**श्री प० कुन्हन** : एक अनुपूरक प्रश्न की अनुमति दीजिये। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

**श्री नम्बियार** : यह मामला बहुत समय से विचाराधीन है।

**अध्यक्ष महोदय** : अत: थोड़ा और विलम्ब हो जाए तो कोई बात नहीं। अगला प्रश्न।

**भूमि संरक्षण योजना पर राज्यों के कृषि निदेशकों का सम्मेलन**

+

*285. **श्री बागड़ी** :
**श्री रामेश्वर टांटिया** :
**श्री विद्या चरण शुक्ल** :
**श्री विश्राम प्रसाद** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूमि संरक्षण उपायों को नियमबद्ध करने के बारे में विचार करने के लिये राज्यों के कृषि निदेशकों तथा मुख्य वन संरक्षकों का अक्तूबर, 1964 के पहले सप्ताह में एक सम्मेलन हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में क्या सुझाव दिये गये और उनको कार्यान्वित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**खाद्य और कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां :

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3504/64]

**Shri Bagri:** Some land is not Cultivable because of subsoil water. Has this Committee considered the problem of Water logging? If so the results thereof?

**Shri Shah Nawaz Khan:** Arrangements are being made for drainage in the water logged area to make it cultivable.

**Shri Bagri:** Has some target been fixed for completion of drainage system, including the methods of drainage and the time limit when the water logged land will be free of water. Whether time limit has been fixed for making the water logged lands cultivable in Punjab and Rajasthan?

**Shri Shah Nawaz Khan:** Yes sir, the target is being fixed. In Punjab 90 lacs acres of land is water logged. In Rajasthan some areas has been water logged due to floods. In kotah and Chambal some land is water logged because of the canals in that area. Government is working out a big project in this connection. In U.P. also a scheme is under consideration.

**श्री रा० गि० दुबे** : क्या केन्द्रीय सरकार को यह पता लगा है कि कुछ राज्यों में केन्द्र द्वारा दी गई राज सहायता की राशि कर्मचारीयों पर व्यय कर दी गई है और ब्याज और कर की दर इतनी अधिक है कि किसान भूमि संरक्षण स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं।

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : इस विषय पर सदा ध्यान दिया जाता है वास्तव में हम विचार कर रहे हैं कि किसानों को क्या प्रोत्साहन दिया जाए जिससे वे भूमि संरक्षण के उपायों को अपना लें ।

**श्री शिवाजी राव शं० देशमुख** : चूंकि भूमि संरक्षण के उपाय इस बात पर निर्भर करते हैं कि रेत खेत से बाहर इकट्ठी कर दी जाये अतः कम का विचार है कि भूमि संरक्षण का काम सरकार के खर्च पर हो ताकि कृषि वाले खेतों, में इन उपायों पर खर्च कम हो और खर्च की लागत में भी कमी हो ।

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : भूमि संरक्षण के अलग अलग कार्यक्रमों के लिए राज सहायता की अलग अलग दरें निर्धारित की गई हैं । हम यथा संभव इस बात का हिसाब लगाते हैं कि भूमि संरक्षण पर प्रति एकड़ कितना खर्च आता है और किसान को कितना लाभ होगा । उसे ध्यान में रखते हुए राज सहायता कम या अधिक दी जाती है ।

**श्री शिवाजी राव शां० देशमुख** : प्रश्न इससे भिन्न था भूमि संरक्षण के लिए खेतों में काम करना होता है जहां रेत इकटठा हो जाता है और कृषि के खेत से उसे दूर करना होता है । अतः प्रश्न यह है कि क्या सरकार उस काम का खर्च वहन करेगी ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : राज्य सहायता किसानों को व्यक्तिगत रूप में नहीं दी जाती । सारे क्षेत्र का भूमि संरक्षण करना होता है । अतः इस में व्यक्तिगत समस्याएं नहीं उठती ।

**श्री बारूप्पा** : क्या यह सच है कि अनेक राज्य सरकारों ने भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में अधिक काम करने के लिए केन्द्रीय सरकार से कहा है यदि ऐसा है तो सरकार का क्या निर्णय है ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम**: हां, श्रीमन, अगले वर्ष से चौथी योजना के लिए अधिक काम के लिए और अधिक सहायता देने का विचार है ।

**Shri Onkar Lal Berwa**: Is it a fact that revenue is being charged from the water logged land in which crops have been damaged. Has government taken it into consideration and asked the state Governments to remit the taxes ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : यह प्रश्न अलग है । प्रश्न तो भूसंरक्षण से सम्बन्धित है । इसमें सेम का प्रश्न नहीं आता ।

**Shri Onkar Lal Berwa:** What other question is possible regarding soil conservation ?

**Shri Yashpal Singh:** Whether this fact has come to the notice of the government that soil conservation centres are being set up where there is no soil erosion and people do not wish to go to those places where soil erosion taking place because there are mosquitoes ?

**Shri Shah Nawaz Khan:** The information of the Hon. member is incorrect.

**श्री मुतु गोंडर :** भूमि संरक्षण के लिए वनों की आवश्यकता है किन्तु सभी कहीं ईंधन प्राप्त करने के लिए अन्धाधुन्ध वृक्ष काटे जा रहे हैं। क्या सरकार को यह विदित है और यदि हां, तो क्या सरकार सह सस्ते दाम पर मिट्टी का तेल और गैस उपलब्ध करेगी ताकि वनों में वृक्ष अन्धाधुन्ध न काटे जाएं और इस से भूसंरक्षण को लाभ हो।

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** यह बात इस प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आती।

**श्री भागवत झा आजाद :** विवरण के अनुसार तीसरी योजना की अपेक्षा चौथी योजना में तीन चार गुना अधिक खर्च करने का प्रस्ताव है। क्या तीसरी योजना में किये गये वास्तविक खर्च के आधार पर ये सुझाव दिये गये हैं। यदि हां, तो क्या वह खर्च तीसरी योजना के लक्ष्य के अनुसार है ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के संबन्ध में उपलब्ध मशीनों के सम्बन्ध में यह खर्च किया जा सकता है। अतः यह केवल खर्च के लिए राशि ही नियत नहीं की गई। आवश्यक व्यवस्था करने का प्रश्न है। इसलिए पहले से काम करने को है ताकि चौथी योजना में इस काम को तेज़ किया जा सके।

**Shri Daljit Singh** : Vast stretches of land are lying barren in the Forests and such land is near the public undertakings. What efforts are being made by the Government to bring it under cultivation?

**Shri Shah Nawaz Khan:** All possible efforts are being made so that all barren land is brought under cultivation. Necessary instructions have been issued to all states.

**Shri Sheo Narain:** The acreage of land taken over under the soil conservation scheme in U.P. and the amount spent thereon?

**Mr. Speaker:** Individual states cannot be taken?

---

## प्रश्नों के लिखत उत्तर

## WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

### सहकारी समितियों को सहायता

***286. श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सहकारी समितियों को राज्य सहायता देने की नीति का पुनरीक्षण करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो किस रूप में ;

(ग) सहकारी समितियों को ऐसी सहायता का पात्र बनाने के लिए क्या मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं; और

(घ) नीति का पुनरीक्षण किये जाने के क्या कारण हैं ?

**सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति)** : (क) और (ख) सरकार संभाव्यतः चल सकने योग्य सेवा सहकारी समितियों को 3 से 4 वर्ष की एक सीमित अवधि के लिए जब तक वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, पूर्णकालिक सवैतनिक सचिव रखने में उन्हें जो कमी पड़ेगी उसकी पूर्ति के लिए उन्हें दी जाने वाली सहायता के स्केल में परिशोधन करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

(ग) सहायता के परिशोधत स्केल के मानक, जिन पर विचार किया जा रहा है, मोटे तौर पर निम्न प्रकार है :—

(1) क्षेत्र के सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप समिति को सम्भाव्यतः चल सकने योग्य माना गया होना चाहिये ;

(2) समिति को एक पूर्णकालिक सवैतनिक सचिव रखना चाहिए ;

(3) समिति को सदस्यता, अंश-पूंजी, सदस्यों के लिए ऋण, साखेतर व्यापार जैसे उर्वरकों, आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री आदि बढ़ाने के लिए विकास का एक अनुमोदित कार्यक्रम लागू करना चाहिये; और

(4) समिति को कुछ अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए पहले 3 या 4 वर्षों के लिए उसकी होनेवाली कमी के बराबर उपदान दिया जाएगा और इस उपदान की अदायगी किसी भी वर्ष में इस शर्त पर की जाएगी कि समिति का कार्य उससे पिछले वर्ष संतोषजनक रहा हो।

(घ) यह महत्वपूर्ण है कि सेवा सहकारी समितियां यथासम्भव कम से कम समय में चल सकने योग्य यूनिटों के रूप में विकसित हों और इस उद्देश्य के लिए अपनी सदस्यता और साधन बढ़ाएं और एक बहुत बड़े पैमाने पर साख और साखेतर व्यापार करें। यह तब तक सम्भव नहीं हो सकेगा जब तक कि प्रत्येक समिति के पास कम से कम एक पूर्णकालिक सवैतनिक कर्मचारी नहीं होगा।

## कृषि फार्म

*287. **श्रीमती सावित्री निगम** :
**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
**श्री श० ना० चतुर्वेदी** :
**श्री श्रीनारायण दास** :
**श्री भागवत झा आजाद** :
**श्री यशपाल सिंह** :
**श्री म० ना० स्वामी**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय की तकनीकी समिति ने यह सिफारिश की है कि सरकार को, ऐसे फार्मों को जो खेती के कुछ निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार नहीं चलाये जा रहे हैं, अपने हाथ में ले लेना चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या उन सिद्धान्तों को कृषि की विभिन्न वर्तमान प्रक्रियाओं अथवा उनसे प्राप्त उत्पादनों से संबद्ध किया जायेगा; और

(घ) क्या इन सिद्धान्तों को अपनाने में किसानों की असफलता के बारे में यह विस्तार अधिकरण रिपोर्ट देता है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम )** : (क) से (घ) एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3505/641]**

## गंगा नदी पर पुल

*288. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री यशपाल सिंह :**
**श्री सरजू पाण्डेय :**
**श्री विश्राम प्रसाद :**
**श्री अ० प्र० शर्मा :**
**श्री राम सेवक :**
**श्री फ० गो० सेन :**
**श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :**
**श्रीमती सावित्री निगम :**
**श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गंगा नदी पर प्रस्तावित पुल के बारे में उत्तर प्रदेश और बिहार ने जो अपने अपने अलग अलग प्रस्ताव दिये हैं, उनके वित्तीय पहलू का अध्ययन करने के लिए परिवहन गवेषणा निदेशालय ने उन प्रस्तावों में बताये गये दोनों स्थानों का लागत-लाभ विश्लेषण कार्य प्रारम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो अध्ययन के क्या परिणाम निकले और इस मामले में यदि कोई अन्तिम निर्णय किया गया है तो वह क्या है ?

**परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर )** : (क) जी हां ।

(ख) अभी तक अध्ययन पूर्ण नहीं हुआ है ।

## FOODGRAINS AS LAND REVENUE

*289 **Shri Onkar Lal Berwa:**
**Shri Gulshan:**
**Shri Sideshwar Prasad:**
**Shri Surendra Pal Singh:**
**Shri Vishwa Nath Pandey:**
**Shri Vishram Prasad:**
**Shri Yashpal Singh:**
**Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the Central Government suggested to the States to consider

the question of realising land revenue and agricultural loans in kind (agricultural produce); and

(b) If so, the reaction of the State Governments thereto?

**The Minister for Food and Agriculture (Shri C. Subramaniam):** (a) Yes, Sir.

(b) Most of the State Governments considered the suggestion to be unworkable due to obvious difficulties, *viz.* keeping a check on the quality and standard of foodgrains, problems of storage in small quantities in numerous out of the way places, the high cost of collection, the pricing of foodgrains of different kinds and qualities in different areas, the setting up of a huge administrative machinery, etc.

**हल्दिया परियोजना के लिए विदेशी मुद्रा**

*290. **श्री हेम बरुआ :**
**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
**श्री रा० बरुआ :**
**श्री अ० क० गोपालन :**
**श्री लक्ष्मीदास :**
**श्री म० ना० स्वामी :**
**श्री इम्बीचिबाबा :**
**श्री अ० कु० दास :**
**श्री राम सहाय पाण्डेय :**
**श्री द्वारका दास मंत्री :**

क्या **परिवहन** मंत्री 29 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 468 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया परियोजना के लिए अपेक्षित विदेशी मुद्रा को पूरा करने के लिए सरकार के ऋण सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र पर विश्व बैंक ने अपन निर्णय सूचित कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय क्या है ?

**परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) अभी तक नहीं। विश्व बैंक द्वारा अध्ययन संचालन करने और आवश्यक वित्तीय दिता एकत्रित करने के लिये सितम्बर, 1964 में भारत सरकार द्वारा गठित अध्ययन दल अभी तक अपने अध्ययन में लगा हुआ है। दल से अपना काम चार महीनों में समाप्त कर देने के लिए कहा गया है : बैंक ने अतिरिक्त दित्ता मिल जाने पर शीघ्र निर्णय लेने का बचन दिया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

**आय-कर अपीलीय न्यायाधिकरण का पुनर्गठन**

*291. **श्री स० मो० बनर्जी :**
**श्रीमती राम दुलारी सिन्हा :**
**श्री ज० ब० सिं० विष्ट :**

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ह सच है कि आय कर अपीलीय न्यायाधिकरण का पुनर्गठन किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो किस ढंग से उसका पुनर्गठन किया जायेगा ?

**विधि और सामाजिक सुरक्षा मंत्री (श्री अ० कु०सेन)** : (क) मामला अभी विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

## उचित मूल्य की दुकानों का लूटा जाना

*292. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
**श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में सितम्बर, और अक्तूबर, 1964 में कुछ राज्यों में दोष-पूर्ण वितरण और अनुचित मूल्यों के कारण उचित मूल्य की दुकानें लूटी गई थीं ; और

(ख) यदि हां, तो सितम्बर और अक्तूबर, 1964 में देश भर में लूटमार और दंगों की कितनी घटनायें हुई ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम )** : (क) और (ख) सितम्बर, और अक्तूबर, 1964 में मैसूर में उचित मूल्य की दुकानों के लूटने की तीन वारदातें और उत्तर प्रदेश में एक वारताद हुई थी तथापि, ये वारदातें किसी दोषपूर्ण वितरण या अनुचित कीमतें के कारण नहीं हुई थीं । अन्य किसी भी राज्य में उचित मूल्य की दुकानों के लूटने की सूचना नहीं मिली हैं ।

## इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के पायलट (विमान-चालक)

*293. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
**श्री यशपाल सिंह :**
**डा० राणेन सेन :**
**श्री दीनेन भट्टाचार्य :**
**डा० सारादीश राय :**
**श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :**
**श्री ओंकार लाल बेरवा :**
**श्री हुकम चन्द कछवाय :**

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के उच्च प्रबन्ध को सुदृढ़ बनाने और उसका पुनर्गठन करने की आवश्यकता पर विचार कर लिया है । और यदि हां तो इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ।

(ख) इण्डियन एयरलइन्स कारपोरेशन के पायलटों को क्या शिकायतें हैं और उनकी जांच करने और उन को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) उन पायलटों के विरुद्ध, जिन्होंने गैर-जिम्मेदाराना तरीके से काम किया है और सेवाओं को अस्त-व्यस्त किया है, क्या अनुशासनिक कार्यवाही की गई है ?

**असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन सभी पहलुओं से सुधार करने के उपायों और साधनों पर विचार कर रहा है ।

(ख) इण्डियन कार्मशियल पायलटस एसोसियेशन और इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के प्रबंधकों के बीच हाल की बातचीत के परिणाम-स्वरूप पायलटों द्वारा उठाये गये अधिकांश मसलों पर सन्तोषजनक रूप से समझौता हो गया है और जहां तक सरकार को जानकारी है अब कोई बड़ा मसला समझौते के लिए बाकी नहीं है ।

(ग) उस घटना की, जिसमें कई पायलटों ने 24 और 25 अक्तूबर, 1964 को बीमार होने की सूचना भेजी थी, जांच की जा रही है । इस सम्बन्ध में मैं अपने द्वारा 26-11-1964 को सभा में दिये गये विवरण का भी हवाला देता हूं ।

## सेतु समुद्रम परियोजना

*294. श्री कपूर सिंह
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री धर्मलिंगम :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री यशपाल सिंह :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने हाल में मद्रास में कहा है कि वे पाक जल-डमरु-मध्य को मन्नार की खाड़ी में मिलाने वाली सेतुसमुद्रम परियोजना को शीघ्र पूरा करने के पक्ष में हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना को चतुर्थ योजना में शामिल कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस पर कितना धन व्यय होगा ?

**परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर )** : (क) 6 नवम्बर 1964 को मद्रास में जवाहर डाक के उद्घाटन समारोह के अवसर पर अपने भाषण में प्रधान मंत्री ने कहा था कि वे चौथी पंचवर्षीय योजना में सेतुसमुद्रम परियोजना पर कार्य प्रारम्भ करा देने के लिये उत्सुक हैं ।

(ख) अभी प्रस्ताव को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लेने के लिये विचार किया जा रहा है ।

(ग) तीस फीट डुबाव के जहाजों को ले जाने वाली नहर की लागत लगभग 22 करोड़ रुपये प्राक्कलित की जाती है ।

## Prices of Jowar

*295. **Shri D. S. Patil:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is much difference in the minimum prices of jowar in different States as recently announced by the Central Government;

(b) whether the State Governments have accepted these prices or some of the States have themselves fixed the minimum prices;

(c) the prices of jowar fixed by the various States; and

(d) the reasons for fixing varying prices of each State?

**The Minister for Food and Agriculture (Shri C. Subramaniam):** (a) to (d). According to information so far received only the Governments of the States of Rajasthan and Maharashtra have fixed the producer's prices for jowar. The price fixed by the Rajasthan Government is within the range indicated by the Central Government. The Government of Maharashtra had already fixed the producer's price before the Government of India decided to fix such prices and indicated the range. The price already announced, therefore continues.

The prices fixed by the two States are as follows:—

(Rupees per quintal)

| | | |
|---|---|---|
| Rajasthan | Red and yellow varieties of jowar | Rs. 38/-. |
| | White variety | Rs. 40/-. |
| Maharashtra | Yellow medium variety | Rs. 43/-. |
| | White superior variety | Rs. 45/-. |

## संयुक्त अरब गणराज्य से चावल

*296. श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री धर्म लिंगम् :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम हरख यादव :
श्री बसवन्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत पर्याप्त मात्रा में चावल खरीदने के लिये संयुक्त अरब गणराज्य से एक समझौता कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम ) :** (क) और (ख). संयुक्त अरब गणराज्य से 71,000 मीट्रिक टन चावल की खरीद के लिये 19 नवम्बर, 1964 को एक करार पर हस्ताक्षर

हुए हैं । चावल का लदान दिसम्बर, 1964 के दूसरे सप्ताह से आरम्भ होगा और मई, 1965 तक पूरा हो जाने की आशा है । चावल के मूल्य का भुगतान अविनिमेय भारतीय मुद्रा में किया जाएगा जिसको संयुक्त अरब गणराज्य भारत से माल खरीदने के लिये प्रयोग करेगा ।

**खाद्य तथा कृषि और सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालयों में समन्वय**

*297. **श्री यशपाल सिंह :**
**श्री रामेश्वर टांटिया :**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्रालय और सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करने की समस्या का अध्यन करने के लिए एक समिति नियुक्त की गयी है जिससे कृषि उत्पादन बढ़ाने की कार्यवाहियों को अन्तिम रूप देने के मामले में विलम्ब न हो ;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ग) इस प्रतिवेदन में क्य सिफारिशें की गयी हैं ?

**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम ) :** (क) किसी ऐसी समिति की स्थापना नहीं की गई है परन्तु खाद्य और कृषि मंत्री ने सिविल विमानन मंत्रालय के सचिव, श्री वी० शंकर जो कि अभी तक खाद्य विभाग के सचिव रहे हैं, से कहा है कि वे खाद्य और कृषि मंत्रालय तथा सामुदायिक विकास सहकार मंत्रालयों के कार्यकलापों में प्रभावी समन्वय स्थापित करने के लिए अध्ययन करें जिससे कि कृषि उत्पादन पर उन का अधिक-से-अधिक प्रभाव पड़े ।

(ख) जी नहीं । आशा है कि श्री शंकर शीघ्र ही अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देंगे ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**संयुक्त सहकारी खेती**

*298. **श्री विश्राम प्रसाद :**
**श्री बागड़ी :**
**श्री यशपाल सिंह :**
**श्री श्रीनारायण दास :**
**श्री दे० द० पुरी :**
**श्री ओझा :**
**श्री ओंकार लाल बरवा :**
**श्री ओंकार सिंह :**
**श्री गुलशन :**
**श्री यु० सिं० चौधरी :**

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री 15 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 199 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त सहकारी खेती में एक मध्यवर्ती क्रम आरम्भ करने के बारे में सरकार ने इस बीच कोई निर्णय कर लिया है ;

(ख) क्या प्रो० डी० आर० गाडगिल के सभापतित्व में नियुक्त निदेश समिति का प्रतिवेदन इस बीच मिल गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) इस मामले पर अभी भी विचार हो रहा है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

## चीनी कारखानों का आधुनीकीकरण

*299. **श्री रा० गि० दुबे :**
**श्री यशपाल सिंह :**
**श्री विभूति मिश्र :**
**श्री क० ना० तिवारी**
**श्री सुबोध हंसदा :**
**श्री स० चं० सामन्त :**
**श्री म० ला० द्विवेदी :**
**श्रीमती सावित्री निगम :**

क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** 15 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 200 के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पुराने तथा अलाभकर चीनी के कारखानों के पुनःस्थापन तथा आधुनिकीकरण के प्रश्न पर विचार करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस में क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या आधुनिकीकरण से कुछ व्यक्तियों के बेरोज़गार हो जाने की संभावना है तथा यदि हां तो किस सीमा तक ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) जी, अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठते ।

## खरीफ की फसल

*300. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री यु० सिं० चौधरी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस मौसम में खरीफ की फसल पूरे देश में औसत से अधिक हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो अनुमानतः खरीफ की फसल में कितना अनाज (राज्यवार) हुआ है तथा देश में अनाज की कमी को पूरा करने में इससे कितनी सहायता मिली है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम ) : (क) प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार देश के अधिकतर भागों में पिछले तीन वर्षों के औसत उत्पादन की अपेक्षा चालू वर्ष में खरीफ की फसल अधिक हुई है ।

(ख) 1964-65 के दौरान खरीफ की फसलों के उत्पादन के मात्रा सम्बंधी अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं । बाजारों में नई फसल अभी आना शुरू हुई है । जब बाजारों में फसल का आना बढ़ेगा और पूरे तौर से बढ़ जाएगा और व्यापार नई मूल्य नीति के अनुसार काम करना शुरू कर देगा तब मल्यों और उपलब्धि का प्रभाव महसूस होगा ।

## पर्यटन के विकास के लिए निगम

*301. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रवीन्द्र बर्मा :
श्री पें० वेंकटसुब्बया :
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन के विकास के लिये तीन निगम स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इन निगमों के क्या नाम होंगे तथा इन से पर्यटकों को किस प्रकार सहायता मिलेगी ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर ) : पर्यटन के विकास से संम्बंधित विभिन्न कार्यकलापों के प्रबन्ध के लिये दो निगम स्थापित करने का विचार है । इनमें से एक निगम होटलों की व्यवस्था करेगा और दूसरा अन्य वाणिज्यिक कार्यों, जैसे सौदा खरीदने की सुविधा, सायंकालीन मनोरंजन, पर्यटकों के लिये परिवहन सेवा और पर्यटक विज्ञापन सामग्री के उत्पादन और बिक्री इत्यादि की व्यवस्था करेगा । पर्यटकों के लिये टैक्सी और कोच इत्यादि चलाने का काम एक कम्पनी करेगी जिसकी नियंत्रक कम्पनी यह निगम होगा ।

## भूख से मृत्यु

*303. श्री यशपाल सिंह :
श्री कपूर सिंह :
श्री सोलंकी :
श्री बूटा सिंह :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री गुलशन
श्री यु० सिं० चौधरी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 29 सितम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1505 के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूख के कारण हुई मृत्यु की घटनायें सरकार को बताई गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन स्थानों पर ये घटनायें हुई हैं ; और

(ग) क्या उनकी कोई जांच आरम्भ की गई थी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम् ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

## ग्राम पंजायतों की ट्रेनिंग के सम्बन्ध में गोष्ठी

709. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री नीलोखेडी में हुई ग्राम पंचायतों की ट्रेनिंग सम्बंधी गोष्ठी की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकारों को भेजी गयी हिदायतों की एक प्रति टेबल पर रखने की कृपा करेंगे ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति ) : हिदायतों की एक प्रति टेबल पर रखी जाती है । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०–3506/64 ।]

## सहकारिता पर व्यय

710. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो कुल राशि रखी गई है उसमें से कितने प्रतिशत राशि योजना के शुरू के तीन वर्षों में सहकारिता पर राज्यवार खर्च की गई है ;

(ख) अलग-अलग राज्यों में हुई खर्च में असमानता किस कारण से है ; और

(ग) इसी अवधि में जो कुल राशि रखी गयी थी उसमें पहले तीन वर्षों में कुल राज्यवार कितनी कमी रही है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०–3504/64]

(ख) इसके मुख्य कारण यह हैं कि कोई राज्य अपने साधनों को, योजना के विभिन्न अंगों के लिए निर्धारित प्राथमिकता को देखते हुए, प्रशासकीय, संगठन सम्बंधी और सहकारिता आन्दोलन के विकास के स्तर और दिये गये धन को उस पर खर्च करने की क्षमता को देखते हुये कितनी राशि की व्यवस्था कर सकता है ।

**यात्री सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण**

711. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
**श्री ओंकार लाल बेरवा**
**श्री गुलशन :**
**श्री हुकम चन्द कछवाय :**
**श्रीमती जमुनादेवी :**
**श्री उइके :**

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों में यात्री सड़क परिवहन का पूर्ण राष्ट्रीयकरण हो चुका है ;

(ख) किन राज्यों में यात्री सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण करने के लिए केन्द्र की सहमति मांगी है ; और

(ग) किन राज्यों को इस प्रयोजन के लिए अनुमति दे दी गई है या दी जा रही है ?

**परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर )** : (क) केवल हिमाचल प्रदेश ।

(ख) और (ग). चूंकि मोटर परिवहन के सम्बंध में कार्यकारी अधिकार राज्य सरकारों के पास होते हैं अतः जो अन्तर्राज्यीय योजनायें नहीं हैं, उनमें यात्री सड़क परिवहन के राष्ट्रीयकरण के लिए भारत सरकार की सहमति की आवश्यकता नहीं होती । जब राज्य सरकारों से अन्तर्राज्यीय मार्गों सम्बंधी योजनायें केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगने के लिए आती हैं, तो उन पर विचार किया जाता है और जिन मामलों में आवश्यक समझा जाता है, उनमें मोटर गाड़ी एक्ट, 1939 की धारा 68 डी (3) के अधीन अनुमति दे दी जाती है ।

**मध्य प्रदेश में चीनी की मिल**

712. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
**श्री राम सहाय पाण्डेय :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में चीनी की मिलें स्थापित करने के बारे में भारत सरकार के पास कोई प्रस्ताव आये हैं ;

(ख) कितने प्रस्ताव आये और कब आये ; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किया गया ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री.दा० रा० चह्वाण )** : (क) और (ख). मध्य प्रदेश में चीनी की मिलें स्थापित करने के लिए 10 आवेदन पत्र आये—एक 1959 में और नौ 1963 में ।

(ग) इन पर विचार हो रहा है और निर्णय होने में कुछ समय लगेगा ।

## केरल में कुटीर उद्योग

713. श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में कुटीर उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार ने कितनी राशि आवंटित की है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) सरकार को ऐसे किसी प्रस्ताव का पता नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

## क्विलैंडी में मछुओं को नाव किनारे लाने की सुविधायें

714. श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल में क्विलैंडी में समुद्री दीवारों के निर्माण के फलस्वरूप मछुओं को नाव किनारे तक लाने में कठिनाई होती है ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें नाव किनारे तक लाने की ससुविधा प्रदान करने के लिए सरकार क्या उपाय करने की सोच रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण ) : (क) जी हां ।

(ख) क्विलैंडी में जो समुद्री दीवार बनाई जा रही है, उसमें लगभग 100 फुट लम्बा स्थान बीच में छोड़ने का प्रबन्ध किया जा रहा है ताकि मछुओं की नावें किनारे तक आ सकें । आशा है कि इसके बाद मछुओं की कठिनाइयां समाप्त हो जायेंगी ।

## टिड्डी दल

715. श्री कर्णी सिंहजी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में टिड्डियों की संख्या कितनी बढ़ी है ; और

(ख) इनसे कितना नुकसान हुआ ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) टिड्डी दलों की संख्या बढ़ने और उनके आने-जाने का कार्य अनुसूचित रेगिस्तान और फसल न उगाने वाले क्षेत्रों

तक ही सीमित रहा । लगभग 5,500 हेक्टा एकड़ क्षेत्र में राजस्थान में बारमेड़ जिले के सुन्दर क्षेत्र में, जैसलमेर जिले में अदिया, बादेवाला, किशनगढ़, लांगवाला, नोख, पोचिना, रणडुआ, सादेवाला और तनोट क्षेत्र में, बीकानेर जिले के बीकानेर और कोलायत क्षेत्र में टिड्डियों की संख्या बढ़ी है ।

(ख) चूंकि इन पर नियंत्रण रखने की कार्यवाही सुव्यवस्थित ढंग से की जाती है और इनके पैदा होने पर ही इन पर नियंत्रण करने का प्रयत्न किया जाता है, अतः फसल को नुकसान पहुंचने का कोई समाचार नहीं मिला है ।

## भारत-जर्मन कृषि विकास कार्यक्रम

716. **श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 26 नवम्बर, 1963 के अतारांकित प्रश्न संख्या 489 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत-जर्मन कार्यक्रम के फलस्वरूप कृषि की गतिविधियों में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (भारत-जर्मन कार्यक्रम के परिणामस्वरूप कृषि के क्षेत्र में विकास सम्बन्धी गतिविधियों की प्रगति बताने वाला एक टिप्पण सभा पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3508/64**] ।

## केरल में काडुवल्ली नदी पर पुल

717. **श्री पोट्टेकाट्ट :**
**श्री अ० व० राघवन :**

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कन्ननूर जिले में वेस्ट कोस्ट रोड पर कोडुवल्ली नदी पर एक पुल बनाने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) कार्य कब आरम्भ होगा ?

**परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). एरानहोली नदी पर कोडुवल्ली में जो वर्तमान पुल है वह कमजोर और जीर्ण अवस्था में है । राज्य सरकार राज्य के खर्च से पुल बनवा रही है । लेकिन केरल में बेस्ट कोस्ट रोड पर तेल्लीचेरी होकर दूसरे रास्ते के एक भाग के रूप में कोडुवल्ली नदी पर एक पुल बनाने का विचार है। भारत सरकार ने इस दूसरे रास्ते का मार्ग स्वीकृत कर दिया है और नया पुल बनाने का छानबीन कार्य चल रहा है ।

## केरल में बालियापट्टम नदी पर पुल

718. **श्री पोट्टेकाट्ट :**
**श्री अ० व० राघवन :**

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में वेस्ट कोस्ट रोड पर बालियापट्टम नदी पर एक पुल बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में निर्माण कार्य आरम्भ हो जायेगा?

**परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). बालियापट्टम नदी पर वर्तमान सड़क-रेलवे पुल के लगभग 1600 फुट चढ़ाव की ओर एक नया सड़क पुल बनाने का प्रस्ताव है। नया पुल बनाने के लिए उपयुक्त स्थान छांटने हेतु जांच का काम चल रहा है। आशा है कि कार्य चालू योजना में आरम्भ हो जायेगा।

## अमोनियम सल्फेट की सप्लाई

719. **श्री हेमराज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में पहाड़ी क्षेत्रों में अमोनियम सल्फेट 100 किलो वाले बोरों में सप्लाई की जाती है जबकि अन्य उर्वरक 50 किलो वाले बोरों में सप्लाई किया जाता है ;

(ख) क्या यह सच है कि पहाड़ी क्षेत्रों में 100 किलो वाले बोरों को ले जाने में कठिनाई होती है ; और

(ग) यदि हां, क्या सरकार देश के पहाड़ी क्षेत्रों में 50 किलो वाले बोरों में अमोनियम सल्फेट सप्लाई करने का विचार रखती है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) इस समय देश में बने और आयात किये गये दोनों प्रकार के अमोनियम सल्फेट को 100 किलो वाले बोरों में रखा जाता है। अन्य नाइट्रोजन और मिश्रित किस्म के उर्वरक जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, कैलीशियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फास्फेट और नाइट्रो फास्फेट को 50 किलो वाले बोरों में सप्लाई किया जाता है।

(ख) हिमाचल प्रदेश के संघ राज्य क्षेत्र ने मंत्रालय को सूचित किया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में 100 किलो वाले बोरों को लाने ले जाने में कठिनाई होती है।

(ग) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों की जरूरत पूरी करने के लिए 50 किलो वाले बोरों में अमोनियम सल्फेट सप्लाई करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

## पहाड़ी फसलों के संबंध में अनुसंधान

720. **श्री हेम राज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न भागों में पहाड़ी फसलों के सम्बन्ध में अब तक क्या अनुसन्धान किये गये हैं ;

(ख) क्या अनुसन्धान के परिणामों को प्रकाशित कर दिया गया है, और यदि हां, तो किन भाषाओं में ;

(ग) विभिन्न क्षेत्रों में किसानों को इनका ज्ञान कहां तक करा दिया गया है ; और

(घ) पहाड़ों पर किसानों को इससे कितना लाभ हुआ क्या इसका कोई अनुमान लगाया गया है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—3509/64]

## खरीफ फसल के अनाज की कीमतें

721. **श्री राम हरख यादव :**
**श्री मुरली मनोहर :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के परामर्श से **उस** राज्य में खरीफ फसल के अनाजों की कीमतें निर्धारित कर दी हैं ;

(ख) क्या सरकार स्वयं भी कुछ अनाज खरीदना चाहती है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार कौन-सा अनाज सीधे उत्पादकों से खरीदना चाहती है ; और

(घ) क्या सरकार उत्पादकों को कोई विशेष लाभ देना चाहती है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)** : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

## उड़ीसा में सड़क परियोजनायें

722. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में उड़ीसा में किन-किन सड़क परियोजनाओं के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी और उनके लिए केन्द्रीय कोष से कितनी वित्तीय सहायता दी जानी थी ;

(ख) उनमें से अब तक कितनी बन गई हैं ; और

(ग) इस राशि के लिए कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई थी ?

**परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में उड़ीसा सरकार को केन्द्रीय सड़क निधि (सामान्य) रक्षित राशि में से कुल 16.00 लाख रु० की राशि देने को कहा गया था। उड़ीसा में पिपली-कोणार्क सड़क के विकास के अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए राज्य सरकार इस अनुदान का एक भाग (11.50 लाख रु०) खर्च करना चाहती है। पहले इस सड़क को रक्षित राशि में से 18.00 लाख रु० का अनुदान देने की स्वीकृति दे दी गई थी और अब इस सड़क के सुधार पर पुनरीक्षित खर्च का अनुमान 63.00 लाख रु० है।

शेष 4. लाख रु० की राशि को उड़ीसा राज्य सरकार नियंत्रण और परीक्षण प्रयोगशाला के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। परन्तु भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को

स्वीकार नहीं किया है और राज्य सरकार से कहा गया है कि इस राशि का इस्तेमाल करने के लिए वह किसी अन्य सड़क या पुल सम्बन्धी प्रस्ताव भेजे।

इसके अलावा केन्द्रीय सड़क निधि में से उड़ीसा राज्य के नाम आवण्टित राशि में से 45.50 लाख रु० की एक अन्य राशि भी उपलब्ध है। इस राशि का इस्तेमाल करने के लिए राज्य सरकार के प्रस्तावों की प्रतीक्षा की जा रही है।

## खाद्य तेलों की कीमतें

723. **श्री श्याम लाल सर्राफ :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वर्ष में खाद्य तेलों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस का मूल्य बढ़ने से रोकने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी, हां।

(ख) कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए अनेक उपाय किये जा चुके हैं। इन उपायों में जून 1964 में इसके वायदा बाजार पर लगाया गया प्रतिबन्ध (यद्यपि मूंगफली की अच्छी फसल की आशा से बाद में यह प्रतिबन्ध 15 सितम्बर से हटा दिया गया), ऋण सुविधाओं में कड़ाई बरतना और निर्यात पर नियंत्रण आदि सम्मिलित हैं। अभी हाल में देश के भीतर तिलहनों और तेलों के आवागमन पर लगे नियंत्रण को भी ढीला कर दिया गया है। देश के भीतर सप्लाई बढ़ाने के लिए अलसी / सरसों और सोयाबीन का तेल का कुछ आयात करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

## बर्मा से आलू के बीज

724. **श्री राम हरख यादव :**
**श्री मुरली मनोहर :**
**श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने बीज के प्रयोजन के लिए इस्तेमाल करने हेतु बर्मा से आलू खरीदने का एक करार किया है ;

(ख) यदि हां, तो आलू कितनी मात्रा में खरीदने का विचार है ; और

(ग) करार की शर्तें क्या हैं ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) से (ग). देश के विभिन्न राज्यों में किसानों को सहकारी समितियों को सप्लाई करने के लिए राज्य व्यापार निगम तदर्थ आधार पर बर्मा से आलू का आयात करने का प्रबंध कर रहा है। इस मौसम में 10 लाख रु० की कीमत का 40,000 मन आलू आयात करन का विचार है।

## महाराष्ट्र के आदिवासी

725. श्री दे० शि० पाटिल :
श्री कामले :

क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र राज्य के संसद् सदस्यों ने उस राज्य के आदिवासियों की समस्याओं के बारे में 22 सितम्बर, 1964 को प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर) : (क) जी हां ।

(ख) उसकी मुख्य बातें यह थीं :--

(एक) कि अनुसूचित आदिम जातियों के लिए एक अलग कमिश्नर होना चाहिए ।

(दो) अनुसूचित आदिम जातियों की सूची का पुनरीक्षण विशेषतया महाराष्ट्र राज्य के संबंध में ।

इस प्रश्न पर सावधानी पूर्वक विचार किया गया कि क्या अनुसूचित आदिम जातियों के एक एक अलग कमिश्नर हो और यह निर्णय किया गया कि अलग कमिश्नर रखा जाना जरूरी नहीं है। जहां तक अनुसूचित आदिम जातियों की सूची के पुनरीक्षण का प्रश्न है, यह विचाराधीन है, इस संबंध में लोक सभा में 22 अप्रैल, 1964 को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 2379 के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

## महाराष्ट्र के लिए रबी की फसल के बीज

726. श्री दे० शि० पाटिल : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने रबी की फसलों के बीज की मांग काफी बड़ी मात्रा में की थी ; और

(ख) यदि हां, तो कौन कौन से बीज कितनी-कितनी मात्रा में उस राज्य की जरूरत पूरी करने के लिए दिये गये ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख). किसानों को उचित मूल्य पर रबी फसलों के बीज उपलब्ध कराने में महाराष्ट्र सरकार ने भारत सरकार से 5000 टन गेहूं के बीज की मांग की थी । उन्हें इतनी मात्रा में गेहूं के बीच पंजाब से दिलवा दिया गया । इस में से 3000 टन की मात्रा 25 नवम्बर, 1964 तक महाराष्ट्र को भेज दिया गया था ।

## मध्य प्रदेश में परिसीमन आयोग

727. श्री राघेलाल व्यास : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सहकारी सदस्यों की अनुपस्थिति में कुछ अन्य व्यक्तियों ने मध्य प्रदेश में संसदीय और विधान मंडलीय चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में परिसीमन आयोग के

अध्यक्ष तथा सदस्यों से भेंट की और इस संबंध में उन्होंने अपना दृष्टिकोण भी उन के सामने रखा ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी बातचीत का कोई अभिलेख रखा गया है ; और

(ग) उन व्यक्तियों के क्या नाम हैं और किस तारीख को उन्होंने भेंट की थी ?

**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव)**: (क) और (ख). परिसीमन आयोग उन व्यक्तियों की सूची नहीं रखता, जो आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों से भेंट करते हैं, वह उनकी बात चीत का अभिलेख भी नहीं रखता ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**मध्य प्रदेश में परिसीमन आयोग**

728. **श्री राधेलाल व्यास** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश राज्य के सहयोगी सदस्यों के साथ परिसीमन आयोग की अन्तिम बैठक किस तारीख को और कहां हुई थी ;

(ख) उपरोक्त बैठक के बाद परिसीमन आयोग की कितनी बैठकें हुईं, किस तारीख को, कहां और कितने समय के लिए जिन में सहयोगी सदस्यों को आमंत्रित नहीं किया गया और जिन में मध्य प्रदेश राज्य के संसदीय और विधान मंडलीय चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में चर्चा की गई ;

(ग) परिसीमन आयोग ने सहयोगी सदस्यों की अनुपस्थिति में मध्य प्रदेश राज्य के कितने संसदीय और विधान मंडलीय चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में निर्णय किया और उनकी घोषणा की और कितने मामलों में निर्णय स्थगित किया गया और क्या ऐसे चुनाव क्षेत्रों के नाम बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव)** : (क) सहयोगी सदस्यों के साथ परिसीमन आयोग की अन्तिम बैठक 22 से 24 फरवरी, 1964 तक नई दिल्ली में भारत के चुनाव कमिश्नर के कार्यालय में 1, औरंगजेब रोड़ पर हुई थी ।

(ख) सहयोगी सदस्यों की अनुपस्थिति में इस आयोग की बैठक 25 फरवरी, 4 मार्च, और 6 अप्रैल, 1964 को नई दिल्ली में चुनाव कमिश्न के कार्यालय में हुई । उपरोक्त तिथियों को बैठकें कितनी-कितनी देर तक हुई, इसका कोई अभिलेख कार्यालय में नहीं रखा गया है ।

(ग) सहयोगी सदस्यों की उपस्थिति में कोई अंतिम निर्णय नहीं किये गये । सहयोगी सदस्यों के साथ हुई चर्चा के दौरान आयोग के किसी सदस्य ने किसी सुझाव के पक्ष में अपनी राय दी हो, यह हो सकता है, लेकिन इसे आयोग का निर्णय नहीं कहा जा सकता है । सभी चनाव क्षेत्रों के संबंध में आयोग की एक बैठक में निर्णय किया गया जिस में सहयोगी सदस्य उपस्थित नहीं थे । अतः सहयोगी सदस्यों के सामने जिन चुनाव क्षेत्रों के संबंध में निर्णय किये गये और जिन के बारे में निर्णय स्थगित किये गये, उनकी सूची सभा पटल पर रखने का कोई प्रश्न नहीं है ।

## मध्य प्रदेश में चुनाव क्षेत्र

729. **श्री राधेलाल व्यास** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में ऐसे कौन कौन से संसदीय और विधान मंडलीय चुनाव क्षेत्र हैं, जिनके बारे में परिसीमन आयोग ने अन्तिम निर्णय कर लिया था लेकिन जिस रूप से अंतिम निर्णय लिये गये, थे, उस रूप में उन्हें सहयोगी सदस्यों के सामने नहीं रखा गया था ; और

(ख) ऐसे कौन-कौन से संसदीय और विधान मंडलीय चुनाव क्षेत्र हैं जिन के बारे में परिसीमन आयोग ने सहयोगी सदस्यों की उपस्थिति में अंतिम निर्णय लिये थे परन्तु बाद में सहयोगी सदस्यों का परामर्श किये बिना ही उन निर्णयों को बदल दिया गया ?

**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव)**: (क) और (ख). सहयोगी सदस्यों से परामर्श करने के बाद ही परिसीमन आयोग ने अंतिम निर्णय किये थे। इन में से कोई भी निर्णय सहयोगी सदस्यों के सामने नहीं रखे गये और न ही परिसीमन ऐक्ट, 1962 के अधीन ऐसी किसी प्रक्रिया की व्यवस्था है । परिसीमन आयोग के ये निर्णय एक आदेश के रूप में भारत के गजट में प्रकाशित किये गये थे और उनकी प्रतियां मध्य प्रदेश के प्रत्येक सहयोगी सदस्य के पास भेज दी गई थीं ।

## परिसीमन आयोग की कार्यवाही का वृतांत

730. **श्री राधेलाल व्यास** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में संसदीय और विधान मंडलीय चुनाव क्षेत्रों के पुनर्गठन के बारे में परिसीमन आयोग की बैठकों की कार्यवाही का वृतान्त रखा गया है, और यदि हां, तो क्या उसकी प्रतियां सहयोगी सदस्यों के पास भेज दी गई हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यदि वृतान्त रखा गया है, तो क्या अब उसकी प्रतियां सहयोगी सदस्यों के पास भेजी जायेंगी ?

**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव)**: (क) और (ख). परिसीमन आयोग का प्रत्येक सदस्य उन विचारों का नोट रखता है, जो चर्चा के दौरान सहयोगी सदस्यों द्वारा प्रकट किये जाते हैं । अलग से कोई वृतान्त नहीं रखा जाता । अतः कार्यवाही वृतान्त की प्रतियां सहयोगी सदस्यों के पास भेजने का प्रश्न नहीं उठता ।

## Production of Cotton

731. **Shri Bibhuti Mishra:**
**Shri K. N. Tiwary:**
**Dr. M. S. Aney:**
**Shri A. K. Gopalan:**
**Shri Nambiar:**
**Dr. Saradish Roy:**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government are formulating a scheme to increase the production of cotton from 115 pounds per acre to 543 pounds which is the approximate production in Russia;

(b) if so, the outlines of the scheme; and

(c) the extent of assistance promised by the Indian Cotton Mills Association in this behalf?

**Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan)**: (a) A scheme of package programme for cotton, recently introduced by the Government of India aims at increasing to the extent possible the per acre yield of cotton in selected areas where potentialities for increased production are high.

(b) The scheme aims at (i) increasing the production of long staple cotton in the country to meet the demands of the mills who are at present importing a sizable quantity of this variety of cotton from abroad, (ii) the following coverage of area by the end of 1965-66.

| 1963-64 | 1964-65 | 1965-66 | |
|---|---|---|---|
| 5,69,708 | 11,85,000 | 17,15,000 | Acres |

(c) So far, no direct promise of assistance has been received from the Indian Cotton Mills Association in this behalf.

## सहकारी चीनी कारखाने

732. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री दलजीत सिंह :**
**श्री पोट्टेकाट्ट :**
**श्री अ० व० राघवन :**
**श्री केप्पन :**
**श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :**
**श्री दे० शि० पाटिल :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष अक्तूबर के महीने में वर्तमान चीनी की कुल मिलों के विस्तार के लिए और कुछ नयी चीनी मिलों को खोलने के लिए लाइसेंस दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितनी मिलों का विस्तार किया जायेगा और कितनी नई मिलें खोली जायेंगी ;

(ग) कितनी उत्पादन क्षमता के लिए लाइसेंस दिया गया है ; और

(घ) इस से तीसरी पंचवर्षीय योजना का चीनी का लक्ष्य किस हद तक पूरा हो जाने की आशा है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)**: (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नही होते ।

(घ) तीसरी योजना के लिये अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के हेतु लाइसेंस पहले ही दे दिये गये थे और उस में से अधिकांश क्षमता स्थापित भी हो चुकी है । आशा है कि तीसरी योजना का चीनी उत्पादन का लक्ष्य पूरा हो जायेगा ।

## कर्मचारी भविष्य निधि योजना

733. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री त्रिविक्रम कुमार चौधरी :

क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि योजना को 25 अन्य उद्योगों और संस्थापनाओं पर लागू करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उन के नाम क्या हैं और उन में कितने कर्मचारी काम करते हैं ; और

(ग) किन उद्योगों और संस्थापनाओं में अभी यह योजना लागू नहीं की गई है और इन में कितने कर्मचारी काम करते हैं जिन्हें इस योजना के लाभ से वंचित रखा गया है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). कर्मचारी भविष्य निधि ऐक्ट, 1952 और उस के अधीन बनाई गई योजना को अधिकाधिक उद्योगों पर, सम्बन्धित हितों की राय लेने के बाद लागू किया जा रहा है । इस ऐक्ट के अन्तर्गत आने वाले 92 उद्योगों और संस्थापनाओं का ब्योरा बताने वाली एक सूची सभा पटल पर रखी जाती है [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी**-3510/64]। इस योजना से लाभ उठाने वाले कर्मचारियों की संख्या लगभग 40 लाख है ।

(ग) इस ऐक्ट के अधीन न आने वाले उद्योगों से सम्बन्धित आंकड़े इकट्ठे नहीं किये गये हैं ।

## अनुसंधान के लिए अमरीका द्वारा अनुदान

734. श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बागड़ी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री राम सेवक :
श्री फ० गो० सेन :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय और वन अनुसंधान संस्था, देहरादून को कुछ अनुदान दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इन संस्थाओं में किन विषयों पर अनुसंधान किया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) अनुदान की राशि निम्नलिखित ब्योरे के अनुसार अनुसंधान पर खर्च की जायेगी :—

**इलाहाबाद विश्वविद्यालय :**

1. आर्डर म्युकोरेल्स संबंधी मोल्डों को इक्ट्ठा करना और उनको अलग-अलग करना और अलग-अलग तत्वों का वर्गीकरण करना ताकि महत्वपूर्ण खाद्यान्नों के उपयोगार्थ सड़ान की प्रक्रिया के उपयुक्त माइक्रो-आर्गनिज्मों का पता लगाया जा सके ।

2. उद्योगों की दृष्टि से उपयोगी माइक्रो-आर्गनिज्म को लाइओफिलाइजेशन के बाद उनके जीवित रहने और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन ताकि खाद्यान्नों के औद्योगिक सड़ाई के बारे में अपेक्षित जानकारी इक्ट्ठी की जा सके ।

3. शीतोष्ण और समशीतोष्ण वाले संबंधी फसल कटने के बाद क रोग ।

4. धान के खेतों में भूमि की एलगी और भूमि के उपजाऊपन में उसके सहयोग का अध्ययन ।

5. ऐसे आर्गनिक कम्पाउण्डों की मोलेकुलर प्रक्रियाओं का अध्ययन जिनमें एटामिक ग्रूपिंग होती है जैसी कि ऊन में होती हैं, उसे एक मेगा साइकिल से कम फ्रीक्वेन्सी पर तरल अवस्था में अल्ट्रासोनिक में सुखा कर नापा जाता है ।

6. आम पर असर डालने वाली गाल मिजेज़ की जियालाजी, खासतौर पर से यह पता लगाना कि इससे कितनी हानि होती है ।

7. सूखी फलियों में प्रोटीन, आक्सिन एसिड और बायोग्रेफिकली सक्रिय तत्वों की छानबीन ताकि नई सुधरी प्रक्रियाओं और उत्पादों के विकास के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त हो सके जिनसे सूखी फलियों का अधिक उपयोग किया जा सके ।

8. इंन्सेक्ट हेमोलिम्फ के फ्री एमिनों एसिडो और इन्सेक्ट टिशूज़ में साइट्रिक एसिड के संचय का अध्ययन ।

9. खनिज और पौदों का गठन : मुख्य तत्वों की भूमिका विशेषतया पौदों की शरीर गठन संबंधी गतिविधियों में कैलशियम का योगदान ।

10. साइट्रस पौदों पर प्रभाव डालने वाली गाल मिजेज़ की बायलाजी विशेषतया उससे कितनी हानि होती है ।]

**वन अनुसंधान संस्था तथा कालेज, देहरादून :**

1. दीमक से बचने की लकड़ी की शक्ति के संबंध में प्रयोगशाला में अधिक व्यापक छानबीन।

2. भारतीय इमारती लकड़ी की कार्य क्षमता ।

3. लकड़ी के टिकाऊपन के बारे में प्रयोगशाला में व्यापक छानबीन ।

4. फफूंदी पैदा करने वाली माइक्रीहिज्ज़ा पर छानबीन विशेषकर भारत में पैदा होने वाली बेंत के संबंध में ।

5. भारतीय इमारती लकड़ी के घनत्व और रेशो की विशेषता, जो उसकी अच्छी किस्म की परिचायक होती है, का अध्ययन ।

## चीनी का उत्पादन

735. श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बागड़ी :
श्री रामेश्वरानन्द :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 8 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 40 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1964–65 में चीनी का उत्पादन बढ़ाने के उपायों पर इस बीच विचार कर लिया हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)**: (क) जी हां ।

(ख) सरकार ने निम्नलिखित उपाय किये हैं :—

(1) 1964–65 में चीनी मिलों द्वारा दिया जाने वाला गन्ने का न्यूनतम मूल्य 10.4 प्रतिशत या कम चीनी वाले गन्ने का प्रति क्विंटल 5.36 रु० निर्धारित कर दिया गया है और यह भी व्यवस्था की गई है कि 10.4 प्रतिशत से ऊपर चीनी निकलने पर हर 0.1 प्रतिशत पर 4 पैसे प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने की अधिक कीमत दी जायेगी ।

(2) सड़क द्वारा सम्बंधित गन्ना खरीदने के केन्द्र से कारखाने तक गन्ना पहुंचाने के लिए गन्ने की कीमत में से भाड़ा की कटौती 32 पैसे प्रति क्विंटल सीमित कर दी गई है ।

(3) अक्टूबर-नवम्बर, 1964 में जो चीनी बनाई जायेगी उसमें 1962 में इसी अवधि में चीनी मिलों द्वारा बनाई गई चीनी की मात्रा से जो अधिक मात्रा होगी उस पर उत्पादन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी ।

(4) राज्य सरकारों से कहा गया है कि चीनी मिलों को पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए वे क्षेत्रों को सुरक्षित कर दें और इस सुरक्षित क्षेत्र में वे लाइसेंस प्रणाली चलाकर खण्डसारी कारखानों तथा बिजली से चलने वाले कोल्हुओं का विनियमन करें ।

## Election Petitions

736. **Shri Bibhuti Mishra:**
**Shri K. N. Tiwary:**

Will the Minister of **Law** be pleased to state:

(a) the number of election petitions filed in the various States after the last general elections to the Legislative Assemblies, Legislative Councils, Lok Sabha and Rajya Sabha;

(b) the number of petitions that have been disposed of upto the 9th October, 1964; and

(c) the number of cases still pending?

**The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Jaganatha Rao):** (a) 367 election petitions relating to the general elections of 1962 were filed out of which 19 were dismissed by the Election Commission under section 85 of the Representation of the People Act, 1951, and 348 were referred to the Election Tribunals for trial.

(b) 300 election petitions were disposed of by the Election Tribunals upto the 9th October, 1964.

(c) 48 election petitions were pending before the Election Tribunals on the 9th October, 1964.

## Raxaul Aerodrome

737. **Shri Bibhuti Mishra:**
**Shri K. N. Tiwary:**

Will the Minister of **Civil Aviation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5 on the 13th August, 1963 and state:

(a) whether it is a fact that the construction of Raxaul aerodrome has not so far been completed;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the time by which the construction is likely to be completed and the aerodrome opened for traffic?

**The Minister of Civil Aviation (Shri Kanungo):** (a) to (c). All major works, except the terminal building have been completed. The runway is available for use. The work on the construction of the terminal building is in progress and is expected to be completed by the end of 1965.

## होटल विकास ऋण निधि

738. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या **परिवहन** मंत्री होटल उद्योग को ऋण देने के लिए होटल विकास ऋण निधि स्थापित करने के बारे में 22 सितम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1030 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय यह मामला किस स्थिति में है?

**परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर):** मामला अभी भी विचाराधीन है और कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

## भारतीय कृषि अनुसंस्थान संस्था द्वारा फसल उगाने के बारे में प्रयोग

739. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
**श्री फ० गो० सेन :**
**श्री राम सेवक :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था ने एक सफल प्रयोग किया है जिससे यह पूर्णतः सिद्ध हो गया है कि यदि फसल और उर्वरक की अदला-बदली के संबंध में एक विशेष प्रणाली को अपनाया जाये, तो किसान अपनी फसल की उपज दुगनी कर सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो फसल उगाने की इस विशेष प्रणाली की मुख्य रूपरेखा क्या है और इसे देश के किसानों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए क्या प्रभावी उपाय किये गये हैं ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** (क) जी हां। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था द्वारा किये गये प्रयोगों से पता लगा है कि फसलों और उर्वरकों की मात्रा की समुचित अदला-बदली फसल की उपज काफी बढ़ाई जा सकती है ।

(ख) इस प्रणाली की मुख्य बात यह है कि एक बार खेत में अनाज और दूसरी बार सब्जी बोई जाये और पर्याप्त मात्रा में उसमें उर्वरक डाला जाये । फसल की अदला-बदली और उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा का ब्यौरा एक विवरण में दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3511/64]**

इण्डियन फार्मिंग और खेती जैसे लोकप्रिय पत्रों में इस संबंध में लेख छपे हैं ताकि यह प्रणाली लोकप्रिय हो जाये । भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था की ओर से यह भी व्यवस्था की गई है कि इस प्रणाली का प्रदर्शन करने के लिए विभाग के लोग खेतों में जायें ।

**खेती के फार्म**

740. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री यशपाल सिंह :**
**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
**श्री श० ना० चतुर्वेदी :**
**श्री पें० वेंकटासुब्बया :**
**श्री रवीन्द्र वर्मा :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इजराइल ने भारत में खेती के फार्म बनाने की जो पेशकश की थी, क्या वह उपयुक्त नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो किस दृष्टि से ; और

(ग) जिन क्षेत्रों में इजराइल की सहायता से खेती के फार्म स्थापित किये जाने वाले थे, उनमें ऐसे फार्म बनाने के लिए क्या कोई वैकल्पिक योजना भी बनाई गई है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री ( श्री शाहनवाज खां ):** (क) इजराइल की सरकार ने ऐसी कोई पेशकश नहीं की है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

**दिल्ली में दिवाली उत्सव**

741. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अधिकांश गृहणियों ने चीनी, रवा और मैदा न मिलने के कारण दशहरा और दीवाली के उत्सव नहीं मनाये ; और

(ख) यदि हां, तो इन वस्तुओं की कमी के क्या कारण हैं ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**दक्षिण अंदमान में इमारती लकड़ी निकालने के लिए ठेका**

742. **श्रीमती सावित्री निगम :**
**श्री म० ला० द्विवेदी :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण अंदमान के गांव वासियों की पुरानी तथा निरन्तर मांग यह रही है कि उन्हें अपने गांवों के आसपास के वन क्षेत्रों से इमारती लकड़ी निकालने के लिये छोटे-छोटे ठेके दिये जायें ताकि कृषि से होने वाली अपनी थोड़ी आय को वे बढ़ा सकें ;

(ख) गांव वालों को इस प्रकार के ठेके देने के संबंध में भारत सरकार की क्या नीति रही है, इस बात को ध्यान में रखते हुये कि उक्त द्वीप में सिंचाई की सुविधायें न होने के कारण केवल एक ही फसल पैदा की जाती है ;

(ग) क्या इन गांव वालों को ऐसे ठेके नहीं दिये जा रहे हैं जबकि दक्षिण अंदमान में एक बड़े क्षेत्र से इमारती लकड़ी निकालने का ठेका देने के लिए एक बड़ी फर्म के टेण्डर पर विचार किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो दक्षिण अंदमान के गांव वालों की इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने की सोच रही है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री ( श्री शाहनवाज खां ) :** (क) जी नहीं। लेकिन अंदमान प्रशासन ने गांवों की सहकारी समितियां बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया है और ऐसी समितियां पिछले लगभग 2 वर्षों से प्रशासन की मदद से काम कर रही हैं।

(ख) सरकार की नीति यह है कि ऐसी गांव सहकारी समितियों को सहायता दी जाये ताकि लोग कम काम वाले मौसम में वन क्षेत्रों में काम करके अपनी आय बढ़ा सकें।

(ग) जब ऐसी सहकारी समितियां बनाई जाती हैं, तो उनके साधनों को देखते हुये उन्हें वन कार्य दिया जाता है। हिंगलुटन और नयाशहर क्षेत्र से इमारती लकड़ी निकालने का जो ठेका एक फर्म को दिया गया है, उससे स्थानीय गांव वालों की सहकारी समितियों के हित को कोई हानि नहीं है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

**अंदमान के वन विभाग के लैंडिंग क्रेफ्ट टैंकर का बेचा जाना**

730. **श्रीमती सावित्री निगम :**
**श्री म० ला० द्विवेदी :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान द्वीप के वन विभाग ने एक लैंडिंग क्रफ्ट टैंकर को बचने के लिए टण्डर मांगे हैं, जो कि टेण्डर मांगे जाने के लगभग 2 वर्ष पहले ही बदला गया था और उसकी पूरी मरम्मत की गई थी और यदि हां, तो उसके भागों के बदलाव और इसकी मरम्मत आदि पर कुल कितना धन खर्च किया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस विभाग ने उच्चतम टेण्डर देने वाले के हाथ इसे नहीं बेचा था, जिसने इस लैंडिंग क्रैफ्ट टैंकर के लिए लगभग 2 लाख रुपये की पेशकश की थी और हाल में दोबारा टेण्डर मांग कर इसे केवल 55,000 रु० में बेच दिया गया है ;

(ग) जिस व्यक्ति ने इसे खरीदा है क्या वह इसकी मरम्मत करा रहा है ताकि वह इसे पुनः चला सके और यदि हां, तो सरकार ने स्वयं इस लैंडिंग क्रैफ्ट टैंकर की मरम्मत करा कर स्वयं इसे क्यों नहीं चलाया ; और

(घ) पहले उच्चतम टेण्डर देने वाले के हाथ लैंडिंग क्रैफ्ट टैंकर न बेचने का क्या कारण है और सरकार को हुई हानि के लिए क्या किसी अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया गया है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) यद्यपि लैंडिंग क्रैफ्ट टैंकर 'आनन्द सागर' को बेचने के लिए 1963–64 में टेण्डर मांगे गये, लेकिन 1957 और उसके बाद इसकी मरम्मत पर कोई धन खर्च नहीं किया गया था और तभी से यह काम नहीं कर रहा था और समुद्र के किनारे इसे खड़ा कर दिया गया था।

(ख) उच्चतम टेण्डर 1,11,110 रु० और उसके बाद दूसरा 91,157 रु० का था और दोनों ने खरीदने से इनकार कर दिया और अपनी जमानत की राशि भी सरकार के पास छोड़ दी। अतः हमारे सामने यही रास्ता था कि 35,100 रु० वाले तीसरे टेण्डर के हाथ हम इसे बेच दें या फिर दोबारा टेण्डर मांगें। इसलिए दोबारा टेण्डर मांगे गये और बातचीत द्वारा 55,000 रु० का उच्चतम टेण्डर स्वीकार कर लिया गया और वह टैंकर उसे ही बेच दिया गया।

(ग) जिस व्यक्ति ने इस टैंकर को खरीदा है, उसने उसकी मरम्मत करा ली है। 1960-61 में अंदमान प्रशासन के समुद्री इंजीनियरों ने इस टैंकर का निरीक्षण किया था और उनका ख्याल था कि उसकी मरम्मत पर लाभ की अपेक्षा बहुत अधिक धन खर्च हो जायेगा। अतः यह निर्णय किया गया कि टैण्डर मांग कर इस टैंकर को बेच दिया जाये।

(घ) ऊपर (ख) के उत्तर को देखते हुये, यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

**चुनाव क्षेत्र का परिसीमन**

**744. श्री दलजीत सिंह** : क्या विधि मंत्री 8 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 137 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधान मंडलों और लोक सभा के लिए चुनाव हेतु चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में सभी राज्य परिसीमन समितियों ने अन्तिम निर्णय कर लिया हैं ; और

(ख) यदि हां, तो लोक सभा के चुनाव क्षेत्रों के बारे में क्या निर्णय किये गये हैं ?

**विधि मंत्रालय में उपमंत्री ( श्री जगन्नाथ राव )**: (क) राज्यों के लिए अलग-अलग परिसीमन समितियां नहीं हैं। परिसीमन आयोग ऐक्ट, 1962 के अधीन बनाये गये परिसीमन आयोग ने केरल, पांडिचेरी, मध्य प्रदेश, और गोवा, दमन और दियु के संबंध में संसदीय और विधान मंडलीय चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन का कार्य समाप्त कर लिया है।

(ख) इन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों संबंधी चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 7,21,8 और 18 में दिया हुआ है और ये आदेश सभापटल पर पहले ही रखे जा चुके हैं।

**पहाड़ी क्षेत्रों का विकास**

745. **श्री दलजीत सिंह :**
**श्री हेम राज :**
**श्री श्याम लाल सर्राफ :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 29 सितम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1449 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय पहाड़ी क्षेत्र विकास समिति के कार्यकारी दल ने इस बीच अपनी रिपोर्ट दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री ( श्री शाहनवाज खां ):** (क) और (ख). जी नहीं। कार्यकारी दल की रिपोर्ट मिलने में अभी कुछ समय और लग जायेगा।

**भंडार और मूल्य घोषित करने के बारे में विनियम**

746. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यापारियों द्वारा अपना भंडार और मूल्य घोषित करने के लिए बाध्य करने हेतु विभिन्न राज्यों में कौन-कौन से विशेष विनियम लागू किये गये हैं ;

(ख) इनके कारण खाद्यान्नों के व्यापारियों का स्वेच्छित सहयोग मिलने में कितनी सफलता मिली है ;

(ग) कितने खाद्यान्न व्यापारियों के विरुद्ध राज्य सरकारों द्वारा मुकदमे चलाये गये और कितना खाद्यान्न पकड़ा गया ; और

(घ) अनाज गांवों से मंडी तक स्वतंत्रतापूर्वक आने लगे इस दृष्टि से विभिन्न राज्यों ने अनुचित संग्रह रोक आदेशों में किस प्रकार के संशोधन किये हैं ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री ( श्री दा० रा० चव्हाण ) :** (क) विभिन्न राज्यों तथा प्रशासनों में जो लाइसेंस देने संबंधी लागू आदेश हैं, उनके अधीन खाद्यान्नों के व्यापारियों के लिए आवश्यक है कि वे लाइसेंस देने वाले अधिकारी के पास अपने भंडार की रिपोर्ट हर पन्द्रहवें दिन भेजें। उनके लिए यह भी आवश्यक है कि वे तीन महीने में एक बार अपने औसत क्रय और विक्रय मूल्य और औसत लाभ के बारे में भी सूचना दें।

(ख) बहुत से खाद्यान्न व्यापारियों और उनके संघों ने अपने भंडार का ब्योरा तथा इस प्रकार की जानकारी देने का विरोध किया था।

(ग) एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3512/64] ।

(घ) राज्यों द्वारा जारी किये गये अनुचित संग्रह आदेशों में ऐसा कोई संशोधन नहीं किया है कि खाद्यान्नों के बाजार में आने पर कोई विपरीत प्रभाव पड़े।

**सामुदायिक विकास और पंचायती राज मंत्रियों का सम्मेलन**

747. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, 1964 में सामुदायिक विकास और पंचायती राज मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ था, उसकी मुख्य सिफारिशों को किस सीमा तक कार्यान्वित कर दिया गया है ?

**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)**: इस सम्मेलन द्वारा की गई बहुत सी सिफारिशें ऐसे हैं जिन पर राज्य सरकारें खुद अमल कर सकती हैं। राज्य सरकारें इनकी छानबीन कर रही हैं। और इनको अमल में भी ला रही हैं।

जिन सिफारिशों पर केन्द्र द्वारा विचार किया जाना है उनकी जांच सम्बन्धित मंत्रालय और योजना आयोग के परामर्श से की जा रही है।

**कृषि उत्पादन**

748. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि उत्पादन के अन्तर्विभागीय और संस्थागत समन्वय सम्बन्धी कार्यकारी दल की सिफारिशों को राज्य सरकारों ने किस हद तक स्वीकार कर लिया है;

(ख) क्या उक्त कार्यकारी दल की सिफारिशों को अंशतः या पूर्णतः लागू करने से कृषि उत्पादन बढ़ने की संभावनायें बढ़ गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनके निर्धारण की तकनीक क्या है और उनकी उपपत्तियां क्या हैं ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री ( श्री शाहनवाज खां )** : (क) जो उत्तर प्राप्त हुए हैं, उनसे पता लगता है कि सामान्यतः राज्य सरकारों ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। केवल कुछ ही मामलों में राज्य सरकारों ने अपनी वर्तमान व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए और/अथवा इस कारण कि उनकी वर्तमान व्यवस्था द्वारा उस सिफारिश की पूर्ति अपने आप ही हो गई है, कुछ सिफारिशों को पूर्णतः कार्यान्वित करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है।

विभिन्न राज्यों द्वारा कार्यान्वित की गई मुख्य मख्य सिफारिशों की स्थिति बताने वाला एक विवरण पुस्तकालय में रख दिया गया है। [देखिए संख्या एल० टी० 3513/64]।

(ख) अधिकांश राज्यों ने हाल में ही इन सिफारिशों को स्वीकार किया है। अतः अभी यह अनुमान लगाना समय से पूर्व है कि इस कार्यकारी दल की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के फलस्वरूप कृषि उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

**अमरीका से खाद्यान्नों का आयात**

749. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका पी० एल० 480 के अधीन अपने गेहूं के उत्पादन का 20 प्रतिशत और चावल के उत्पादन का 15 प्रतिशत भारत को भेज रहा है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान 10 अक्तूबर, 1964 को अमरीकी राजदूत के वक्तव्य की ओर गया है कि भारत खाद्य के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो सकता है और उसे विदेशों पर निर्भर नहीं होना चाहिए; और

(ग) यदि हां, तो क्या अमरीकी राजदूत के सुझावों के अनुसार सरकार ने एक नियंत्रित मूल्य प्रणाली द्वारा किसान को प्रोत्साहन देने के लिये क्या उपाय किये हैं ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) 1964–65 में पी० एल० 480 के अन्तर्गत होने वाले आयात के बारे में वक्तव्य ठीक है।

(ख) संयुक्त राज्य सूचना सेवा की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अमरीकी राजदूत ने कहा था, "कृषि फार्म के वैयक्तिक स्वामित्व, उर्वरकों तथा सिंचाई के अधिक अच्छे प्रयोग तथा सस्ते मूल्यों की प्रणाली से, जिससे किसान को अधिक उपज करने और अपने रहन-सहन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिये प्रोत्साहन मिले, भारत खाद्य उत्पादन में आत्म-निर्भर हो सकता है।"

(ग) अमरीकी राजदूत ने किसान के लिये नियंत्रित मूल्य प्रणाली के बारे में कोई विस्तृत सुझाव नहीं दिये हैं। सरकार 1962 से मूल्यों को सहारा देने की नीति अपनाती आ रही है। अभी हाल ही में खाद्यान्न मूल्य समिति (झा समिति) की सिफारिशों के आधार पर तथा राज्य सरकारों से परामर्श के बाद 1964–65 की फसलों के लिये महत्वपूर्ण खाद्यान्नों, गेहूं और चावल सहित, के उत्पादक मूल्यों का पुनरीक्षण कर दिया गया है ताकि उत्पादकों को प्रोत्साहन मिले और इन नये मूल्यों की घोषणा कर दी गई है।

**"जेड-326 ट्रेनर मास्टर" की प्रदर्शन उड़ान**

750. **श्री ब्रजराज सिंह :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री राम सेवक :**
**श्री फ० गो० सेन :**

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेकोस्लोवाकिया के दो सीटों वाले प्रशिक्षण देने वाले विमान "जेड-326 ट्रैनर मास्टर" ने 11 अक्तूबर, 1964 को दिल्ली फ्लाइंग क्लब में प्रदर्शन उड़ान की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या विमान को उपयुक्त पाया गया था; और

(ग) क्या सरकार ऐसे विमान प्राप्त करना चाहती है और यदि हां, तो कितने और किस लागत पर ?

**असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) ऐसा विमान खरीदने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

**मृत्यु सहायता कोष**

751. **श्री दे० द० पुरी** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान भविष्य निधि के मृत सदस्यों के नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों/उत्तराधिकारियों को वित्तीय सहायता देने के लिए मृत्यु सहायता कोष बनाने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या कारण हैं ?

**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव)** : (क) यह अभी विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**बोइंग विमान**

752. **श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया ने अब तक कितने बोइंग्स खरीदे हैं और कितने के लिये आर्डर दे दिया गया है;

(ख) क्या अमरीका की बोइंग कम्पनी का भारत में कोई प्रतिनिधि है;

(ग) क्या खरीद किये गये प्रत्येक ऐसे विमान पर, उस प्रतिनिधि को दलाली दी गई है और यदि हां, तो उसकी राशि क्या है तथा उसमें विदेशी मुद्रा कितनी है; और

(घ) क्या यह सच है कि उस प्रतिनिधि का भारत तथा विदेश में किसी ऐसे व्यापार-गृह अथवा उसकी सहायक कम्पनी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध है जिससे एयर इंडिया के वर्तमान चेयरमैन सम्बन्धित हैं ?

**असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) एयर इंडिया ने सात बोइंग-707 जेट विमान ले लिये हैं तथा एक का आर्डर दिया हुआ है ।

(ख) जी हां ।

(ग) बोइंग कम्पनी के भारत स्थित प्रतिनिधि को यदि कोई दलाली दी जाती है तो उस बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(घ) जी नहीं ।

**आदिवासी विकास खंड**

753. **श्री ह० चं० सोय** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के आदिवासी विकास खंड उन्हें मिली धनराशि को इस्तेमाल करने में बुरी तरह असफल रहे हैं और उसका एक मुख्य कारण यह है कि आदिवासी अधिकारियों को खंड विकास अधिकारी बना दिया गया है और वे आदिवासियों में से ही काफी लोगों को विस्तार तथा क्षेत्र कर्मचारियों (अधीक्षक और ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता) के रूप में प्रशिक्षित करने में विफल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

**सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री ( श्रीमती चन्द्रशेखर )** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी राज्य सरकार से मंगवाई गई है और मिलने पर पटल पर रख दी जायेगी ।

**मध्य प्रदेश में यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण**

754. **श्री उइके :**
**श्री विद्याचरण शुक्ल :**

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में यात्री परिवहन के शीघ्रता से राष्ट्रीयकरण के लिये कोई विधेयक भारत सरकार को उसकी सहमति के लिए भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार द्वारा सहमति दिये जाने में कोई कानूनी अड़चन है; और

(ग) यदि कोई अड़चन है तो वह कब तक दूर हो जायेगी ?

**परिवहन मंत्री ( श्री राज बहादुर )**: (क) जी हां ।

(ख) और (ग). मामला विचाराधीन है ।

**खाद्यान्नों की खपत**

755. **श्री कृष्णपाल सिंह :**
**श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1961–62, 1962–63 और 1963–64 में देश में, राज्य-वार, विभिन्न खाद्यान्नों की कितनी खपत हुई; और

(ख) इनमें से कितना उत्पादन देश में हुआ और कितना आयात किया गया ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण)** : (क) नियंत्रण न होने पर जब खाद्यान्न रेल अथवा सड़क द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में आते-जाते हों तो किसी निश्चित अवधि में देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न खाद्यान्नों की खपत का ठीक-ठीक अनुमान लगाना कठिन है ।

(ख) 1961–62, 1962–63 और 1963–64 के फसली वर्षों में भारत में उत्पादित विभिन्न खाद्यान्नों की मात्रा तथा 1962, 1963 तथा 1964 (अक्तूबर के अन्त तक) के पत्री वर्षों में आयात की मात्रा का एक विवरण पुस्तकालय में रख दिया गया है। **[देखिये संख्या एल० टी० 3514/64]**

**सहकारी आधार पर लिफ्ट सिंचाई**

756. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुंगभद्रा परियोजना जलाशय से सहकारी आधार पर लिफ्ट सिंचाई में सहायता देने के लिये भारत सरकार से अभ्यावेदन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो मैसूर राज्य को क्या सहायता दी गई है और देने का विचार है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**मंगलौर पत्तन के लिए भुमि का अर्जन**

757. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** :
**श्री कोल्ला वैंकैया** :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला मंगलौर के कुछ ग्रामवासियों तथा पंचायत समितियों से मंगलौर पत्तन परियोजना द्वारा कुछ अतिरिक्त भूमि के अर्जन के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन आये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) और (ख). मंगलौर पत्तन परियोजना के लिये 1500 एकड़ अतिरिक्त भूमि अर्जित करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ विरोधी अभ्यावेदन आये है और परियोजना की आवश्यकताओं तथा अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उन पर विचार किया जायेगा।

**केरल में भूमि संरक्षण**

758. **श्री प० कुन्हन** :
**श्री नम्बियार** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में तीसरी योजना के दौरान भूमि संरक्षण योजना में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) योजना की अवधि में और कितनी भूमि इसके अन्तर्गत आ जायेगी ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) 1 नवम्बर, 1964 तक कृषि भूमि का 6450 एकड़ का क्षेत्र भूमि संरक्षण योजना के अधीन लाया गया जिस पर 25.889 लाख रुपया खर्च हुआ।

(ख) राज्य सरकार तीसरी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में 14,000 एकड़ अतिरिक्त भूमि को संरक्षित करना चाहती है ।

**दिल्ली दुग्ध योजना**

759. **श्री सोलंकी :**
**श्री बूटा सिंह :**
**श्री गुलशन :**
**डा० रानेन सेन :**
**श्री दीनेन भट्टाचार्य :**
**डा० सारादीश राय :**
**श्री कपूर सिंह :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर 1964 में दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा पत्रधारियों को भैंस या गाय का कोई दूध नहीं मिला ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ; और

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना के पुनर्गठन के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ताकि दिल्ली में उपभोक्ताओं के प्रति यह अपने दायित्व को पूरा कर सके ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) दिल्ली दुग्ध योजना अक्तूबर 1964 में कुछ दिन भैंस के दूध को वचनानुसार नहीं दे सकी ।

7, 23 और 27 अक्टूबर, 1964 के अतिरिक्त शेष महीने में पत्रधारियों को गाय का दूध दिया गया था । 24, 26, 28 और 31 अक्तूबर, 1964 को गाय के दूध का आंशिक संभरण किया गया था ।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा प्राप्त किये जाने वाले भैंस तथा गाय के दूध की मात्रा में निम्नलिखित कारणों से बहुत कमी हो गई है :

(1) दुग्ध संग्रह तथा शीतकरण केन्द्र, किठोर, उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियों के माध्यम से इस योजना द्वारा दूध प्राप्त करने पर दूध के ठेकेदारों ने कुछ समय आन्दोलन किया था ।

(2) दिल्ली के बाजारों में क्रीम तथा घी जैसी वस्तुओं के मूल्य में भारी वृद्धि जिसके कारण दूध देने वाले अपना दूध क्रीम और घी बनाने में लगा देते हैं ।

(3) संभरणकर्ताओं से खरीदे गये दूध के मूल्य तथा किस्म के बारे में प्राइवेट खरीदने वालों की होड़ ।

(4) श्राद्धों तथा त्योहारों आदि के कारण मांग का बढ़ जाना ।

(5) चारे की फसल पर भारी वर्षा तथा बाढ़ों का प्रभाव जिसका दूध के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ।

(ग) कैरा जिला दूध उत्पादक सहकारी समिति, आनन्द के मुख्य प्रबन्धक श्री कुरियन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों के एक दल ने दिल्ली दुग्ध योजना की विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से विचार किया है। खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने रिपोर्ट पर विचार किया है और अधिकतर सिफारिशें मान ली गयी हैं। सिफारिशें क्रियान्वित की जा रही हैं। आशा है कि अब जो उपाय किए जा रहे हैं उनसे दिल्ली दुग्ध योजना की कठिनाइयां दूर हो जायेंगी।

**संविधान में संशोधन**

760. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान संविधान (सत्रहवां संशोधन) अधिनियम, 1964 की मान्यता पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की ओर गया है जिसमें यह सुझाव है कि राज्यों की सहमति से संविधान के भाग 3 में संशोधन होना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस तरह का विधान लाना चाहती है ?

**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथराव)** : (क) 30 अक्तूबर, 1964 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय में सुझाव दिया गया है कि बुनियादी अधिकारों का कोई भी संशोधन संविधान के अनुच्छेद 368 के परिधि के क्षेत्र में लाया जाना चाहिये।

(ख) इस पर ध्यानपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है और इस समय कुछ नहीं कहा जा सकता कि ऐसा विधान लाया जायेगा या नहीं।

**विदर्भ के आदिवासी**

761. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
**श्री दे० शि० पाटिल :**

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1961 की जनगणना में विदर्भ के अनुसूचित क्षेत्रों से बाहर रहने वाले आदिवासियों को आदिवासी नहीं गिना गया है क्योंकि उन्हें अनुसूचित आदिम जातियों के लोग नहीं समझा गया था ;

(ख) पुराने मध्य प्रदेश के जिलों को, जो अब नये राज्य में हैं, सम्मिलित करने के लिये सूची में संशोधन न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) चन्दा जिला से, जहां आदिवासियों की संख्या सब से अधिक है, निष्कासन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) जी हां।

(ख) सरकार को कुछ अनियमितताओं का पता है जिन्हें दूर करने के लिये सारी स्थिति का पुनर्विलोकन किया जा रहा है।

(ग) संगत जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी।

**उत्तर प्रदेश को समाज कल्याण विस्तार परियोजनाओं को सहायता**

762. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1963–64 और 1964–65 में अब तक उत्तर प्रदेश को समाज कल्याण विस्तार परियोजनाओं,

सामाजिक तथा नैतिक स्वच्छता और बाद की देखभाल के कार्यक्रम के लिये कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव)** : अपेक्षित जानकारी नीचे दी गयी है :—

**(1) कल्याण विस्तार परियोजनायें :—**

| | रुपये |
|---|---|
| 1963–64 . . . . . | 1,96,636 |
| 1964–65 . . . . . | 18,500 |

**(2) समाज तथा नैतिक स्वच्छता और बाद की देखभाल कार्यक्रम :—**

| | |
|---|---|
| 1963–64 | कुछ नहीं |
| 1964–65 | कुछ नहीं* |

## उत्तर प्रदेश में समाज रक्षा (देखभाल) योजनाओं के लिए सहायता

763. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार को 1963–64 में राज्य में समाज रक्षा (देखभाल) योजना में चालू करने के लिये केन्द्र द्वारा कोई वित्तीय सहायता दी गई थी ; और

(ख) 1964–65 में इसी प्रायोजना के लिए कितनी राशि दी गई है या देने का विचार है ?

**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव)** : (क) और (ख). समाज रक्षा (देखभाल) योजनाओं की क्रियान्विति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को 1963–64 में 1,70,899 रुपये दिये गये थे। 1964–65 में राज्य सरकार को 1.6 लाख रुपये की राशि देने की आशा है परन्तु वास्तविक राशि का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा प्राप्त निश्चित प्रस्तावों को देखते हुए किया जाएगा ।

## कृषि आंकड़े

764. **श्री वें० वेंकटा सुब्बया** :
**श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** :
**श्रीमती रेणुका बड़कटकी** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि आंकड़ों सम्बन्धी कार्यकारी दल ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

*समाज कल्याण कार्यकारी दल ने इस वर्ष के लिए 50,000 रुपये की सिफारिश की है। यदि कोई धनराशि दी गयी तो मार्च 1965 में दी जायेगी ।

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां ।

(ख) मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :--

(1) जिन राज्यों में प्राथमिक तथा अधीक्षक भूमि अधिलेख अभिकरण हैं उन्हें उपयुक्त ढंग से सुदृढ़ बनाया जाए ताकि कृषि आंकड़ों की किस्म में सुधार हो सके और उन्हें समय पर तैयार किया जा सके तथा भूमि सुधार, विकास तथा कल्याण उपायों की प्रभावी क्रियान्विति सुनिश्चित की जा सके ।

(2) खेतों की गणना के आधार पर विस्तृत भूमि अभिलेख रखने की प्रणाली को केरल, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में भी लागू किया जाए ताकि आयोजन तथा प्रशासन दोनों हीं के लिये विश्वस्त तथा व्यापक आंकड़े प्राप्त हो सकें ।

(3) पंचायतों के अधीन कृषि आंकड़ों के नियमित आदान-प्रदान तथा भूमि अभिलेखों के उपयुक्त ढंग से और समय पर रखे जाने के लिये आवश्यक परित्राण होने चाहियें ।

(4) कृषि आंकड़ा सुधार स्थायी समिति ने भूमि अभिलेखों के जिन नये फार्मों की सिफारिश की है उन्हें सभी राज्यों में लागू किया जाए ताकि देश में क्षेत्रीय आंकड़ों के मानकीकृत वर्गीकरण तथा एक रूप प्रत्ययों और परिभाषाओं को सुनिश्चित किया जा सके ।

(5) 1970 में होने वाली कृषि की विश्व जनगणना भारत में कृषकों के खेतों की सम्पूर्ण गणना द्वारा किया जाए और इसके लिए गांवों की भूमि के अभिलेखों के उपलब्ध आंकड़ों तथा अग्रेतर जांच पड़ताल से काम लिया जाए ।

(6) फसल-कटाई सर्वेक्षण उन फसलों तथा क्षेत्रों में भी किए जाएं जहां अभी तक ऐसे सर्वेक्षण नहीं किए गए ताकि देश में फसलों के उत्पादन के आंकड़ों को अधिक विश्वस्त बनाया जा सके ।

(7) खंड स्तर पर फसल उत्पादन के प्राक्कलन प्राप्त करने के लिए सर्वेक्षण किये जायें ।

(8) अतिरिक्त क्षेत्र का अनुमान लगाने तथा सिंचाई और कृषि की अन्य सुधरी हुई विधियों से होने वाले उत्पादन का पता लगाने के लिए नमूना सर्वेक्षण होने चाहियें ।

(9) मोटर गाड़ियों द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में लाये-ले जाने वाले खाद्यान्नों के आंकड़े एकत्रित करने के लिए प्रयत्न किये जायें ।

(10) केन्द्र तथा राज्यों के सम्बन्धित अधिकारियों को मंडियों की विस्तृत तथा सामयिक जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से सुदृढ़ बनाया जाए और प्रशिक्षण दिया जाए क्योंकि यह जानकारी कृषि उत्पादन तथा मूल्य नीतियों के निर्माण और क्रियान्विति के लिये महत्वपूर्ण है ।

(11) राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर कृषि अर्थ व्यवस्था के बारे में विभिन्न देशनांक तैयार करने के लिये प्रयास किए जायें ।

(12) कृषि पर होने वाले व्यय तथा अन्य लागतों, उपोत्पादों तथा छोटी-मोटी फसलों, बीज, खाद्य और व्यर्थ जाने वाली वस्तुओं के आंकड़े एकत्रित करने के लिये समय समय पर आवश्यक सर्वेक्षण होने चाहियें ।

(13) वर्तमान आंकड़ों की कमियों को पूरा करने तथा नये अध्ययन आरम्भ करने के लिये कृषि, पशुपालन, डेयरी, वन तथा मत्स्यपालन के राज्य विभागों में सक्षम और अर्हता प्राप्त व्यक्तियों के अधीन पूर्णरूपेण आंकड़ा अनुभाग खोले जायें । राज्य अनुभागों के काम को समन्वित करने के लिये केन्द्र में भी ऐसे ही अनुभाग खोले जाने चाहियें ।

(14) (क) दुग्ध संभरण योजनाओं का ग्रामीण दुग्ध संग्रह केन्द्रों पर प्रभाव, (ख) उर्वरक तथा खाद विधियों के नमूना सर्वेक्षण, (ग) कीटों तथा रोगों के बारे में प्राक्कलन, (घ) फसलों को बोने की लागत का अनुमान, (ङ) दूध, मुर्गी-पालन आदि की लागत का अनुमान—इन सब के सम्बन्ध में अनुसन्धान जारी रखा जाए ।

(15) राज्यों में फसलों तथा ढोरों के बीमे की योजनायें चलाई जायें ।

## इलाहाबाद में चुनाव न्यायाधिकरण

765. **श्री विश्राम प्रसाद :**
**श्री राम सेवक यादव :**
**श्री हेम बरुआ :**

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद में पिछले चुनावों के बाद विभिन्न चुनावों के बारे में याचिकायें प्राप्त करने के लिए एक चुनाव न्यायाधिकरण नियुक्त किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो अब तक न्यायाधिकरण को कितनी याचिकायें प्राप्त हुई हैं ;

(ग) कितनी याचिकाओं का निर्णय हो गया है तथा कितनी अभी लम्बित हैं ;

(घ) क्या कोई ऐसी याचिका भी थी जिस की सुनवाई मेरठ में होने की प्रार्थना की गई थी ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग ने कोई फसला किया है ?

**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव)** : (क) पिछले आम चुनावों के बाद इलाहाबाद में दो चुनाव न्यायाधिकरण नियुक्त किये गये थे, एक के अध्यक्ष थे श्री बी० के० चौधरी, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और दूसरे के इलाहाबाद के जिला न्यायाधीश ।

(ख) श्री चौधरी वाले न्यायाधिकरण के पास छः तथा जिला न्यायाधीश, इलाहाबाद के न्यायाधिकरण के पास पांच याचिकायें भेजी गई थीं ।

(ग) इन न्यायाधिकरणों ने आठ याचिकाओं का निर्णय कर दिया है और तीन अभी लम्बित पड़ी हैं, दो पहले न्यायाधिकरण के पास तथा एक दूसरे के पास ।

(घ) मेरठ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से श्री शाहनवाज खां के लोक सभा के लिये चुने जाने पर आपत्ति उठाते हुए 1962 का निर्वाचन याचिका संख्या 208 के याचिकाकार श्री हरि राज सिंह ने 3 जुलाई 1962 को निर्वाचन आयोग के सामने एक याचिका दर्ज की और प्रार्थना की कि :

(1) कथित याचिका को वर्तमान न्यायाधिकरण, अर्थात् श्री चौधरी वाले न्यायाधिकरण से वापिस लिया जाए, और मेरठ में किसी न्यायाधिकरण के पास स्थानांतरित किया जाय ; तथा

(2) ऐसा न हो सकने पर वर्तमान न्यायाधिकरण को मेरठ बदल दिया जाये ।

(ङ) याचिका रद्द कर दी गई थी । इस निर्वाचन याचिका को क्योंकि एक ऐसे न्यायाधिकरण के पास भेजा गया है जिसके सदस्य हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं तथा यह देखते हुए कि राज्य के विभिन्न भागों से पांच अन्य याचिकायें, जो अधिक महत्वपूर्ण थीं, उन्हें सौंपी गई थीं, यह आवश्यक समझा गया कि सभी याचिकाओं की पेशी के लिए इलाहाबाद को ही रखा जाय । तथापि श्री हरि राज सिंह को सूचना दे दी गई थी कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 88 के परन्तुक के अधीन न्यायाधिकरश किसी याचिका की कोई पेशी किसी अन्य स्थान पर भी रख सकता है जोकि अधिक सुविधाजनक हो और निर्वाचन आयोग को इस में कोई सन्देह नहीं था कि न्यायाधिकरण के विद्वान न्यायाधीश आवश्यक होने पर ऐसा करेंगे ।

## शिमला-अमीनगांव सड़क

766. श्री कृ० चं० पन्त :
श्रीमती रणुका बड़कटकी :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिलिगुड़ी से होती हुई एक पार्श्विक सड़क बनाने का कोई प्रस्ताव है जो हिमाचल प्रदेश में शिमला को आसाम में अमीनगांव से मिलायेगी ;

(ख) यदि हां, तो इस पर अनुमानतः क्या खर्च होगा ;

(ग) क्या इस का पूरा खर्च केन्द्र द्वारा किया जायेगा या सम्बन्धित राज्य इसमें हिस्सा बटायेंगे ; और

(घ) सड़क के कब तक बन जाने की संभावना है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ) हिमाचल प्रदेश में शिमला को आसाम में अमीनगांव से मिलाने वाली पार्श्विक सड़क, जो सिलिगुड़ी से गुजरेगी, बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । दिल्ली तथा सिलिगुड़ी से हो कर शिमला और अमीनगांव को मिलाने वाला राष्ट्रीय राजपथ मार्ग पहले से ही है । माननीय सदस्यों का संकेत शायद इस पार्श्विक सड़क की ओर है जिसे पहाड़ों की तराई में बनाने का विचार है और जो पश्चिम बंगाल में सिलिगुड़ी से होती हुई उत्तर प्रदेश में बरेली को आसाम में अमीनगांव से मिलायेगी । इस परियोजना पर लगभग 110 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है । इस सड़क का काम सम्बन्धित राज्यों के लोक निर्माण विभाग करेंगे और केन्द्रीय सरकार सारी लागत वहन करेगी । काम के 1968-69 के अन्त तक समाप्त होने की संभावना है ।

## बाल भवन, दिल्ली में प्रदर्शनी

767. { श्री राम सेवक :
श्री फ० गो० सेन :

क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाल भवन, नई दिल्ली में 20 अक्तूबर, 1964 को बच्चों के लिए एक प्रतर्शनी खोली गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ?

**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव)** : (क) और (ख) "हमारा तंत्रिका-तंत्र[1]" विषय पर एक प्रदर्शनी 22 अक्तूबर, 1964 को खोली गई थी । मुख्य बातें ये थीं :--

(1) त्रंत्रिका-तंत्र के विभिन्न पहलू समझाने वाले तीन बड़े चित्र ।

(2) तंत्रिका-तंत्र के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित विशेष छिड़काव पद्धति से तैयार किये गये 14 सुन्दर चार्ट ।

(3) मानव शरीर का एक नमूना, आधा प्लास्टिक का बना हुआ, जिस में तंत्रिका-तंत्र का बहुत बड़ा भाग दिखाया गया तथा भिन्न भिन्न प्रकार के संग्राहक दर्शाने वाले सिर और हाथ के प्लास्टिक के नमूने (माडल) ।

(4) विशेष रूप से तैयार किया गया एक प्रदर्शन जिस में तंत्रिका आवेग की मस्तिष्क तक और प्रतिवर्ती क्रिया में रीढ़ रज्जू तक की यात्रा रंगीन रोशनी के ऊपर-नीचे होने से दिखाई गई है ।

(5) तंत्रिका-तंत्र के विभिन्न पहलू दर्शाने वाले छः ऐसे खिलौने जिन के भागों को अलग अलग करने के बाद बच्चे पुनः उन्हें जोड़ते हैं । इस तरह खेल खेल में शिक्षा मिलती है ।

(6) सूक्ष्मदर्शीय सामग्री का वृहद रूप बच्चों को दिखाया गया है ।

(7) बच्चे विभिन्न पशुओं तथा उन के शरीर के अंगों से परिचित होते हैं और हमारे तंत्रिका-तंत्र के विकास के रुझानों के बारे में सीखते हैं ।

## चट्टानी फास्फेट का उर्वरक के रूप में उपयोग

768. **श्री श० ना० चतुर्वेदी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि की उपजता को बढ़ाने के लिए चट्टानी फास्फेट को कृत्रिम उर्वरकों से अधिक सस्ता और प्रभावी पाया गया है ;

(ख) क्या अन्य देशों में, जहां इसे प्रयोग में लाया गया है, इस से अच्छे परिणाम निकले हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस देश में इसका प्रयोग किया है और क्या परिणाम निकले हैं ; और

(घ) इस देश में चट्टानी फास्फेट कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं ?

[1]Our Nervous System.

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) मध्यम तथा अल्कालीन मिट्टी में चट्टानी फास्फेट पानी में घुल जाने वाले फास्फेटी उर्वरकों की अपेक्षा कम प्रभावी और अधिक खर्चीला है परन्तु यह जैव तत्वों से समृद्ध एसिड मिट्टी में उतना ही या अधिक प्रभावी हो सकता है ।

(ख) अमरीका के मक्का वाले क्षेत्रों और इंग्लैंड के पानी वाले क्षेत्रों में एसिड वाली मिट्टी में इसके बड़े अच्छे परिणाम निकले हैं ।

(ग) कुछ प्रयोग किए गए हैं । केरल में एसिड वाली मिट्टी में धान के लिये चट्टानी फास्फेट सुपर फास्फेट जैसा सिद्ध हुआ । नीलगिरि में सुपर-फास्फेट आलू की फसल के लिये चट्टानी फास्फेट से अधिक अच्छा सिद्ध हुआ । उक्त मिट्टियों पर फास्फेट उर्वरकों, जिन में चट्टानी फास्फेट सम्मिलित है, के प्रभाव का अध्ययन करने के लिये अग्रेतर प्रयोग हो रहे हैं ।

(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

## कारखाने पर चीनी के मूल्य

769. **श्री य० सिं० चौधरी :**
**श्री प्र० चं० बरुआ**

क्या **खाद्य** तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश चीनी कारखाना संघ का एक प्रतिनिधिमंडल हाल ही में चीनी और वनस्पति के मुख्य निदेशक से मिला था और उस ने 1964-65 के लिए कारखाने पर चीनी के मूल्यों को बढ़ाने तथा उन की घोषणा करने और चीनी पर रचनात्मक नियंत्रण करने के लिये सरकार पर जोर डाला था ;

(ख) यदि हां, तो उन की मांगें क्या थीं ; और

(ग) उन पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण)** : (क) जी हां ।

(ख) प्रतिनिधियों ने इस बात पर बल दिया कि कारखाने पर चीनी के नये मूल्य में चीनी उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के कारण लागत में हुई वृद्धि तथा अन्य वृद्धियों, जैसे कि महंगाई भत्ते आदि में वृद्धि जो कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में की गई है, को ध्यान में रखा जाना चाहिये । उन्होंने यह भी जोर दिया कि मेरठ, मजफ्फरनगर और बुलन्दशहर जिलों में स्थित कारखानों के लिये मई 1964 में 131 रुपये प्रति क्विंटल का जो कारखाने पर मूल्य तय किया गया था अप्रैल 1965 तक वही रहने दिया जाए और पूछा कि चीनी पर चयनात्मक नियंत्रण लागू करने की क्या संभावनायें हैं ।

(ग) सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में कारखाने पर चीनी के मूल्य 12 नवम्बर, 1964 को सूचित कर दिये थे । पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उक्त जिलों के लिये निर्धारित कारखाने पर मूल्य 129.25 रुपये प्रति क्विंटल है । चयनात्मक नियंत्रण लागू करने का कोई विचार नहीं है ।

## मीन क्षेत्रों का विकास

770. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
**श्रीमती लक्ष्मी बाई :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आईसलैंड की सरकार ने मीन क्षेत्रों के विकास में भारत सरकार की सहायता करने का प्रस्ताव रखा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण)** : (क) और (ख) आईसलैंड की सरकार ने भारत में मीन क्षेत्रों के विकास के लिये आईसलैंड तथा भारत के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग के कार्यक्रमों पर विचार करने का प्रस्ताव किया है । किसी उपयुक्त परियोजना के तैयार हो जाने पर आर्थिक तथा तकनीकी सहायता की मात्रा निश्चित की जायेगी ।

## मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथ

771. **श्री राम सहाय पांडेय** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार का विचार मध्य प्रदेश की कुछ और ही सड़कों को राष्ट्रीय राजपथ घोषित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये किन सड़कों पर विचार हो रहा है ?

**परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) मध्य प्रदेश की किसी सड़क को अभी राष्ट्रीय राजपथ घोषित करने का विचार नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

## चीनी का एक राज्य से दूसरे राज्य म लाना ले जाना

772. **श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के कुछ जिलों को उत्तर प्रदेश से चीनी का उनका कोटा प्राप्त होता है जब कि महाराष्ट्र के चीनी कारखानों को गुजरात के कुछ भागों को चीनी का संभरण करना है ;

(ख) क्या उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित व्यवस्था से होने वाली असुविधा की ओर सरकार का ध्यान गया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण)** : (क) महाराष्ट्र में पैदा होने वाली चीनी मुख्यतः स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने और निर्यात के लिये इस्तेमाल की जाती है सिवाय थोड़ी सी मात्रा के जो गुजरात, मध्य प्रदेश तथा मैसूर के निकटवर्ती क्षेत्रों को दी जाती है । महाराष्ट्र के लिये लगभग 3·6 लाख मीट्रिक

टन का जो वार्षिक आवंटन हुआ उसमें से अगस्त, सितम्बर और अक्टूबर, 1964 के तीन महीनों में कुल 10,817 मीट्रिक टन चीनी उत्तर प्रदेश के कारखानों से देनी पड़ी क्योंकि स्थानीय उत्पादन पहले लगाये गये अनुमान से कम हुआ था।

(ख) जी हां। परन्तु उपयुक्त वितरण के हित में इतनी थोड़ी मात्रा में बाहर से आवंटन अपरिहार्य है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

**Cooperative Movement**

774. **Shri Naval Prabhakar :** Will the Minister of **Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether a Government employee or an officer can participate in cooperative movement; and

(b) if so, whether he can hold some office in the managing committee of a cooperative society or a cooperative store ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Community Development and Cooperation (Shri B. S. Murthy) :** (a) Yes, Sir.

(b) Yes, sir, provided he is a primary member of the society or he is nominated to the managing committee by the Government.

**Delhi Wholesale Consumers' Co-operative Store**

775. **Shri Naval Prabhakar :** Will the Minister of **Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) the amount given in the form of grant and loan respectively to the Delhi Wholesale Consumers' Co-operative Stores during 1961-62, 1962-63 and 1963-64;

(b) whether it is given unit-wise ;

(c) if so, the number of primary consumer co-operative stores which a unit comprises of ; and

(d) the present number of primary consumer co-operative stores which are members of the Wholesale Consumers' Co-operative Stores ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Community Development and Cooperation (Shri B. S. Murthy) :** (a) Subsidies and loans given under the Centrally Sponsored Scheme for Consumers Co-operatives are as under:—

| Years | Amount of subsidies paid | Amount of loan paid |
|---|---|---|
| 1961-62 . . . . | Nil | Nil |
| 1962-63 . . . . . | Nil | . . |
| 1963-64 . . . . . | Rs. 4,500 | Rs., 2,75,000 |

Besides, Rs. 1,00,000 has been contributed as Government share capital.

(b) Only one wholesale store was initially sanctioned for Delhi, but more are now under consideration.

(c) One wholesale store is expected to meet the requirements of 50 primary stores.

(d) 130 primary stores.

## राशन अनुभाग

776. श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में एक राशन अनुभाग खोला जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस अनुभाग को क्या काम सौंपा जायेगा ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण)**: (क) और (ख) बड़े नगरों में राशन प्रणाली चालू करने से सम्बन्धित मामलों के लिये खाद्य विभाग में एक अनुभाग खोलने का विचार है ।

## ईस्ट अफ्रीकन एयरवेज के कर्मचारियों को प्रशिक्षण

777. श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इंडिया ने ईस्ट अफ्रीकन एयरवेज के कर्मचारियों को बुनियादी हवाई इंजीनियरी में प्रशिक्षण देने की एक योजना स्वीकार कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं और इसे कब आरंभ किया जायेगा ?

**असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) और (ख) जी हां । एयर इण्डिया ने कीनिया सरकार को कीनिया के कुछ राष्ट्रजनों को वायुयानों की देखरेख करने वाले इंजीनियरों के रूप में प्रशिक्षण देने की पेशकश की थी । योजना में उनके इंजीनियरी स्कूल में सैद्धांतिक प्रशिक्षण का उपबन्ध है जिसके बाद लगभग 4 वर्ष के लिये उनकी वर्कशापों में बोईंग विमानों तथा इंजनों के बारे में व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जायेगा । प्रशिक्षण के समाप्त होने पर प्रशिक्षार्थी श्रेणी 'ए' तथा 'सी' में भारतीय विमान देख रेख इंजीनियर की लाइसेंस परीक्षा में बैठ सकेंगे जिसमें बोईंग विमान तथा इंजन आ जाते हैं । आशय है कि प्रशिक्षण जनवरी 1965 के प्रथम सप्ताह में शुरू हो जायेगा ।

## खाद्यान्नों की वसूली

778. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र का विचार फालतू अनाज वाले राज्यों से अनाज लेकर कमी वाले राज्यों में बांटने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)** : (क) और (ख). जी हां । 1964-65 की फसल में से केन्द्रीय सरकार के हिसाब में निम्नलिखित मात्रा में चावल वसूल करने का विचार है :

| राज्य | वसूली का लक्ष्य |
|---|---|
| आन्ध्र प्रदेश . | 8 लाख मीट्रिक टन |
| मद्रास . . | 2 ,, ,, ,, |
| मध्य प्रदेश . | 4 ,, ,, ,, |
| उड़ीसा . . . | 3 ,, ,, ,, |
| पंजाब . . . . . | 2.5 ,, ,, ,, |
| कुल . | 19.5 लाख मीट्रिक टन |

## पशु पालन सम्बंधी कार्यकारी दल

**779. श्री मानसिंह पृ० पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 8 सितम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 152 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पशु पालन तथा डेयरी सहकारी समितियों सम्बन्धी कार्यकारी दल की रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : रिपोर्ट योजना आयोग को भेज दी गई थी जिसकी यह इच्छा थी कि सिफारिशों का परीक्षण किया जाए और जो बातें आवश्यक हों उसे सौंप दी जायें । सिफारिशों पर की जाने वाली कार्यवाही के बारे में टिप्पण तथा सुझाव आयोग को भेज दिए गए थे तथा उनका परीक्षण हो रहा है ।

## Flour Mills in U.P.

**780. Shri Onkarlal Berwa** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that due to the non-supply of wheat by the Centre several flour mills have been closed down in Uttar Pradesh; and

(b) if so, the number thereof and the time by which these mills are likely to resume working and the steps taken for preventing their closure in future?

**The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agricluture (Shri D. R. Chavan)** : (a) and (b). Owing to limited availability of wheat the mills in U.P. are not supplied their full quota of wheat to enable them to work all the shifts throughout the month. It is, however, not correct to say that any of these mills has closed down.

**उत्तर प्रदेश में आटे की मिल**

781. { **श्रीमती सावित्री निगम :**
**श्री विश्वनाथ पांडेय :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में आटे की ऐसी मिलों की संख्या क्या है तथा वे कहां कहां स्थित हैं जिन्होंने आटा पीसने और गेहूं उत्पादकों के निर्माण के लिये आयातित गेहूं के कोटे और लाइसेंसों के लिये अभ्यावेदन दिये हैं ;

(ख) उनमें से ऐसी कितनी मिलें हैं जो उत्पादन आरम्भ करने के लिये पूर्णतः तैयार हैं परन्तु अभी तक सरकार की ओर से स्वीकृति नहीं मिली है ;

(ग) इन मिलों को काम आरम्भ करने की आज्ञा देने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इन मामलों का फैसला होने में कितना समय लगेगा विशेषतः जबकि खाद्य की वर्तमान कमी को देखते हुए काम में न लाई जाने वाली क्षमता का सदुपयोग किया जा सकता है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)** : (क) दो, एक गोरखपुर तथा एक मुरादाबाद में ।

(ख) से (घ) गोरखपुर की मिल अभी तैयार नहीं है । मुरादाबाद की मिल सरकार की पूर्व अनमति के बिना बनाई गई है । मिल के विरुद्ध ये आरोप थे कि उसने एक अन्य पक्ष द्वारा आयात की गई मशीनों का दुरुपयोग किया है । मामले की जांच हो रही है ।

---

## ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में--प्रश्न

## RE: CALLING ATTENTION NOTICE (QUERY)

**अध्यक्ष महोदय** : ध्यान दिलाने वाली सूचना । श्री ओंकार लाल बेरवा ।

**श्री हेम बरूआ** (गोह्माटी) : नैरोबी में भारत विरोधी प्रदर्शन और कांगों के स्टेनलीविले में भारतीयों की सुरक्षा सम्बन्धी इसी विषय पर मैंने ध्यान दिलाने वाली सूचना का नोटिस दिया था और उसे अस्वीकृत कर दिया गया । मेरा यह आरोप है कि ध्यान दिलाने वाली सूचनाएं आपके पास पहुंचने के पहले ही निचले स्तर पर अस्वीकृत कर दी जाती है । मैं इस आरोप को सिद्ध कर सकता हूं...

**अध्यक्ष महोदय** : अभी नहीं । श्री ओंकार लाल बेरवा ।

# अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

## CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

(1) गांधी सागर बांध में बिजली के उत्पादन में कमी ।

**Shri Onkarlal Berwa** (Kota) : I draw the attention of the Minister of Irrigation and Power to the following matter of urgent public importance and request him to make a statement thereon.

"Shortfall in the Generation of Power in the Gandhi Sagar Dam.

**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : मैं वक्तव्य को सभा पटल पर रखता हूं।

**[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—3498/64]**

**Mr. Speaker** : Has the hon. Member got a statement ?

**Shri Onkarlal Berwa** : No, Sir.

**अध्यक्ष महोदय** : क्या इसकी प्रति संसदीय सूचना कार्यालय में रख दी गई थी ?

**डा० कु० ल० राव** : हां, श्रीमान ।

**Mr. Speaker** : The Calling Attention Notice is replied to in the House like other questions. If the reply has not been given, it may be given now.

**डा० कु० ल० राव** : कम वर्षा के कारण गांधीसागर जलाशय में पानी की कमी होने तथा सितम्बर 1963 से अक्तूबर, 1964 की अवधि में कुछ अधिक मात्रा में पानी के प्रयोग किये जाने के कारण सितम्बर 1964 के अन्त में उत्पादन जलाशय में बिजली उत्पादन के लिये केवल 22 लाख एकड़ फुट पानी उपलब्ध था । परिणामतः चम्बल क्षेत्र में काफी मात्रा में बिजली की कमी रही ।

गांधीसागर बिजली घर से पैदा होने वाली बिजली मध्य प्रदेश तथा राजस्थान को बराबर बराबर मात्रा में दी जाती है । मध्य प्रदेश समस्त उपलब्ध क्षमता का प्रयोग करके राज्य की मांग पूरी करने में सफल रहा है परन्तु अपर्याप्त तापीय क्षमता के कारण राजस्थान को बिजली के संभरण में कटौती करनी पड़ी ।

इस कमी को पूरा करने के लिये उपाय निकालने के लिये 31 अक्तूबर, 1964 को दोनों राज्यों के सम्बन्धित मन्त्रियों तथा अधिकारियों से विचार-विमर्श करने के बाद निम्न कदम उठाने का फैसला किया गया :—

**राजस्थान**

(1) भाखड़ा से 10 मेगावाट बिजली का इस्तेमाल करने के उद्देश्य से रतनगढ़ से जयपुर तक ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण ।

(2) पंजाब से राजस्थान को एक मेगावाट डीज़ल सेट का दिया जाना । पंजाब राज्य विद्युत् बोर्ड ऐसे तीन सेट देने के लिये पहले ही सहमत हो गया है ।

(3) मैसूर से राजस्थान को 10 मेगावाट क्षमता का एक गैस टर्बाइन सन्यन्त्र दिया जाना । मैसूर सरकार ने इस बारे में अपनी सहमति दे दी है ।

**मध्य प्रदेश :**

(1) जबलपुर-इटारसी ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण कार्य में तेजी लाना ताकि अमरकंटक तापीय बिजली घर की बिजली चम्बल क्षेत्र में इस्तैमाल में लाई जा सके।

(2) चांदनी में एक अन्य बायलर का लगाया जाना ताकि बिजली घर पूरी क्षमता से कार्य कर सके।

**Shri Onkarlal Berwa :** What deficiency in production has been caused by this ?

**डा० कु० ल० राव** : स्वभावत: बिजली की कमी से उद्योगों की कुछ हानि होगी। राजस्थान सरकार ने तीन प्रकार कटौती की है : (1) 25 हार्स पावर वाले उद्योगों के लिये कटौती नहीं है किन्तु 5 से 10 म० प० के बीच काम नहीं करेंगे; (2) 25 से 100 हार्स पावर के उद्योगों में 10 प्रतिशत कटौती; और (3) 100 हार्स पावर से अधिक के उद्योगों के लिये 20 प्रतिशत कटौती।

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya** (Dewas) : The Hon'ble Minister stated that production has suffered due to shortage in power generation and that machinery is being brought from Punjab and other places and the same will be installed. How much time it will take and what part of the expenditure will be borne by the Centre and the state, respectively ?

**डा० कु० ल० राव** : ट्रांसमिशन लाइन जनवरी के अन्त तक पूरी हो जायेगी। मैसूर से 10 मैगावाट सेट और पंजाब से डीजल सेट दो महीने में मिल जायेंगे। इसका सारा खर्च राज्य सरकार देगी।

**श्री काशी राम गुप्त** (अलवर) : इस कमी का कारण गलत वितरण व्यवस्था है। क्या भारत सरकार के परामर्श से वितरण व्यवस्था बनाई गई थी। क्या यह भी सच है कि पी० बी० सी० नामक एक कम्पनी को राजस्थान में चम्बल से बिजली उत्पादन का चतुर्थांश दे दिया गया है। भविष्य में इस प्रकार कार्य न होने देने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**डा० कु० ल० राव** : मौजूदा कमी का वितरण से सम्बन्ध नहीं है। यह तो इस वर्ष पानी की कमी से उत्पन्न हुआ है। प्रतिवर्ष सामान्यतया 36 लाख एकड़ फीट वर्षा का पानी गांधी सागर में एकत्र होता था इस वर्ष यह 20 लाख एकड़ फुट ही है।

**श्री बड़े** (खरगौन) : जब गांधी सागर में पानी की कमी है तो क्या सरकार इन्दौर अथवा अन्य स्थानों में तापीय विद्युत् केन्द्र की स्थापना पर विचार करेगी ?

**डा० कु० ल० राव** : वस्तुत: हम उसी दिशा में विचार कर रहे हैं।

---

## सभा पटल पर रखे गये पत्र

## PAPERS LAID ON THE TABLE

### भारतीय विमान (द्वितीय संशोधन) नियम

**असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो)** : मैं विमान अधिनियम 1934 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 3 अक्तूबर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1416 में प्रकाशित

भारतीय विमान (दूसरा संशोधन) नियम, 1964 की एक प्रति व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित, टेबल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3500/64**]

**माजगांव डाक लिमिटेड, बम्बई की लेखा परीक्षित सहित, वार्षिक रिपोर्ट**

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस)** : मैं समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत माजगांव डाक लिमिटेड, बम्बई की वर्ष 1963–64 की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति लेखा परीक्षित लेखे तथा उस पर नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित, टेबल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—3501/64**]

**अन्तक्षेत्रीय गेहूं तथा गेहूं उत्पाद (लाने ले जाने पर नियंत्रण) आठवां संशोधन आदेश, 1964**

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: श्री दा० रा० चव्हाण की ओर से मैं अत्यावश्यक पण्य एक्ट, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत दिनांक 21 नवम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1647 में प्रकाशित अन्तक्षेत्रीय गेहूं तथा गेहूं उत्पाद (लाने ले जाने पर नियन्त्रण) आठवां संशोधन आदेश, 1964 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—3502/64**]।

---

## स्वर्ण नियंत्रण बिल के बारे में याचिका

## PETITION *RE* GOLD (CONTROL) BILL

**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं स्वर्ण (नियन्त्रण) विधेयक, 1963, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, के सम्बन्ध में एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी निवेदन कर दूं कि इस याचिका पर बीस लाख से अधिक व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं।

---

## कार्य मंत्रणा स्थिति

## BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

**बत्तीसवां प्रतिवेदन**

**संचार तथा संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मन्त्रणा समिति के बत्तीसवें प्रतिवेदन से, जो 30 नवम्बर, 1964 को सभा में प्रस्तुत की गई थी सहमत है।"

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मन्त्रणा समिति के बत्तीसवें प्रतिवदन से, जो 30 नवम्बर, 1964 को सभा में प्रस्तुत की गई थी, सहमत है।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The motion was adopted**

---

## विनियोग (संख्या 6) विधेयक, 1964

## APPROPRIATION (No. 6) BILL, 1964

**वित्त मन्त्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)**: मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1964-65 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये ।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1964-65 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**
**The motion was adopted**

**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

---

## अत्यावश्यक पण्य (संशोधन) विधेयक

## ESSENTIAL COMMODITIES (AMENDMENT) BILL

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: श्री चि० सुब्रह्मण्यम् की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अत्यावश्यक पण्य एक्ट, 1955 और दण्ड विधि संशोधन एक्ट, 1952 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, 1955 और दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1952 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**
**The motion was adopted**

**श्री शाहनवाज खां** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

---

## सभा पटल पर रखे गये पत्र—जारी

## PAPERS LAID ON THE TABLE—*contd.*

### अत्यावश्यक पण्य (संशोधन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी)**: श्री नन्दा की ओर से मैं अत्यावश्यक पण्य (संशोधन) आर्डिनेंस, 1964 (1964 की संख्या 3) द्वारा तत्काल विधान बनाने के कारण बताने

वाला व्याख्यात्मक विवरण की एक प्रति पटल पर रखता हूं जैसा कि लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 71(1) के द्वारा अपेक्षित है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या/ एल० टी०—3503/64]।

**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद): कार्य-सूची की मद संख्या 10 और 11 के विषय में मुझे कुछ स्पष्टीकरण चाहिये। इनमें से एक अत्यावश्यक पण्य अधिनियम और दांडिक विधि संशोधन अधिनियम में संशोधन करने वाले विधेयक का पुर:स्थापन और दूसरा अध्यादेश के बारे में वक्तव्य है। मद संख्या 10 में दो संशोधनकर्ता विधेयकों को एक साथ रखा गया है: एक, अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, 1955 में आगे संशोधन करने वाला विधेयक है और दूसरा दांडिक विधि संशोधन अधिनियम, 1952 में संशोधन करने वाला विधेयक है। नियम 71 के अधीन अध्यादेश के माध्यम से कानून बनाने के लिये कारण बताये जाने चाहियें। दो संशोधन कारी विधेयकों को एक साथ क्यों रखा गया है। हम नहीं समझ पाते हैं कि अध्यादेश एक पर लागू होता है अथवा दोनों पर होता है। दूसरा स्पष्टीकरण भी किया जाना चाहिये कि एक ही विषय के दो भागों का उत्तरदायित्व दो मन्त्रियों ने क्यों सम्भाल रखा है।

इसमें कहीं कुछ भूल अवश्य है क्योंकि मद संख्या 11 के दूसरे भाग का सम्बन्ध केवल अत्यावश्यक पण्य (संशोधन) अध्यादेश से है। दूसरा स्पष्टीकरण भी दिया जाना चाहिये।

**अध्यक्ष महोदय**: मैं सरकार से कहूंगा कि वे दूसरा स्पष्टीकरण भी दें। उसके प्राप्त होने पर मैं विचार करूंगा कि अन्य किस दस्तावेज की आवश्यकता है।

---

## मजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक—जारी

## PAYMENT OF WAGES (AMENDMENT) BILL—*contd.*

**अध्यक्ष महोदय**: 30 नवम्बर, 1964 को श्री संजीवैया द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा, अर्थात् :—

> "कि मजूरी भुगतान अधिनियम, 1936 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

माननीय मन्त्री अपना भाषण जारी रखेंगे।

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या)**: कल संध्या को जब मैंने भाषण प्रारम्भ किया था तो मैंने श्री बनर्जी की सब बातों का उतर दे दिया था। श्री नम्बियार ने दो प्रश्न उठाये हैं। एक ब्याज वसूली से सम्बन्धित है। वस्तुत: मूल अधिनियम में ऋण घटाने के बारे में इस प्र कार कोई उपबन्ध नहीं किया गया जो अब इस संशोधनकारी विधेयक में किया जा रहा है। इसलिये हमने विचार किया कि इस आशय का भी उपबन्ध इसमें समाविष्ट किया जाना चाहिये। खण्ड 9 में भी यह बत स्पष्ट कर दी गई है कि घटाये जाने वाले ब्याज के बारे में राज्य सरकार नियम बनायेगी। श्री नम्बियार का दूसरा प्रश्न यह था कि क्या लोकोशेड के कर्मचारी भी मजूरी भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं। यह सच है कि कारखाना अधिनियम उन पर लागू नहीं होता है किन्तु मजूरी भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत वे आते हैं। संशोधन विधेयक में जिन नयी कटौतियों का उपबन्ध है वर्तमान विधान

में उनकी व्यवस्था की गई है। उन्होंने सब कर्मचारियों को कटौती पर्चियां जारी करने का सुझाव दिया है । यह सुन्दर प्रस्ताव है किन्तु उसे लागू करने में पर्याप्त श्रम करना होगा। हम इस विषय पर विचार करेंगे । श्री हेडा ने कहा कि वित्तीय ज्ञापन में केवल 25,000 का उपबन्ध किया है। यह रकम नई व्यवस्था लागू करने की दिशा में सर्वथा अपर्याप्त है । मेरा निवेदन है कि इनकी क्रियान्विति का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है ; केवल विमान परिवहन सेवाओं सम्बन्धी उपबन्ध हम लागू करेंगे । मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि आज लगभग सभी कार्मिक संघ राजनीतिक दलबन्दी से प्रभावित हैं। इसीलिये हमने श्रमिक शिक्षा योजना प्रारम्भ की है। इससे श्रमिकों में नेतृत्व की भावना का विकास होगा। उनकी इस दलील से मैं प्रभावित नहीं हुआ हूं कि त्यौहारों पर एडवांस रकम दी जाये। भारत में हम सब त्योहारों पर अनावश्यक रूप में अधिक रकम खर्च कर देते हैं। उन्होंने यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि ऋण देने वालों को औद्योगिक क्षेत्र में नहीं आने देना चाहिये। सच तो यह है कि ऋणदाता और साहूकार ही इन श्रमिकों की आय का अधिकांश भाग हड़प लेते हैं। श्री कछवाय और श्री वासनिक ने बीड़ी मजदूरों का उल्लेख किया। बीड़ी मजदूरों की स्थिति चिन्तनीय है। उन के लिये मद्रास में कानून है किन्तु उसे लागू नहीं किया जा रहा है क्योंकि यदि उसे प्रभावशाली ढंग से वहां लागू किया गया तो बीड़ी उद्योग मद्रास से बाहर जाकर अन्य राज्यों में स्थित हो जायेगा। हमने मद्रास राज्य के इस कानून को अन्य राज्यों में परिचारित कर दिया है ताकि उनकी प्रतिक्रिया मालूम हो सके। बीड़ी उद्योग के बारे में हमारा शीघ्र ही संसद् में एक कानून रखने का विचार है। श्री तुलसीदास जाधव ने विधेयक का स्वागत करते हुए शोलापुर में एक स्थानीय सूती वस्त्र मिल बन्द हो जाने की चर्चा की। उक्त मिल के प्रबन्धकों ने श्रमिकों से भविष्य निधि वसूल कर ली है किन्तु उसे सरकार के पास जमा नहीं किया है। इस प्रकार वहां श्रमिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सामाजिक सुरक्षा विभाग इस विषय की जांच कर रहा है। मालूम हुआ है कि उन्होंने श्रमिकों द्वारा की गई अदायगी की पूरी राशि उन्हें लौटाने का निश्चय कर लिया है यद्यपि इसका अधिकांश भाग सुरक्षा निधि प्राधिकारियों के पास जमा नहीं किया गया था । श्री जाधव ने अध्यापकों को विलम्ब से मिलने वाले वेतन की चर्चा की किन्तु दुर्भाग्यवश यह अधिनियम अध्यापकों पर लागू नहीं होता है । अध्यापक संभवत: उन तरीकों को जानते हैं जिनसे देर से मिलने वाले भुगतान की समस्या हल की जा सकती है। माननीय सदस्य का यह सुझाव बड़ा उपयोगी था कि जब भी कोई फर्म या कम्पनी दिवालिया हो तो सब से पहले श्रमिकों का वेतन उससे लिया जाना चाहिये । मैं आशा करता हूं कि सामाजिक सुरक्षा विभाग इस मूल्यवान सुझाव पर विचार कर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम में उपयुक्त समावेश करेगा। श्री अ० प्र० शर्मा ने रेलवे मंत्रालय सम्बन्धी उपबन्धों का विरोध किया। वस्तुत: रेलवे मंत्रालय उसी ढंग से कटौती कर रहा है जो इस विधेयक में सुझायी गयी हैं। हमने तो केवल कटौती को कानूनी रूप दिया है। लोक लेखा समिति ने भी इसी आशय की सिफारिश की थी ।

**श्री नम्बियार** (तिरुचिरापल्ली) : इस प्रकार तो खोटे सिक्के और जाली नोट यदि रेलवे में काम करने वाले बुकिंग क्लर्क को अनजाने में मिल जाते हैं तो उसकी कटौती भी बाद में उसके वेतन से की जा सकती है ।

**श्री अ० प्र० शर्मा** : किन्तु इसका उत्तरदायित्व किस प्रकार निर्धारित किया जायेगा । दूसरों को उत्तरदायी सिद्ध करने वाले स्वयं ही उत्तरदायी हो सकते हैं ।

**श्री संजीवय्या :** प्रशासन विभिन्न स्तरों पर उत्तरदायित्व निर्धारित करता है। बुकिंग क्लर्क उन सब खराब सिक्कों या नोटों के लिये उत्तरदायी है जो वह प्राप्त करता है। रकम की चोरी हो जाने की बात सर्वथा भिन्न है ।

**श्री अ० प्र० शर्मा :** मैंने तो हानि और नुकसान की चर्चा की थी। पहले यह प्रशासन का कर्त्तव्य था कि वह उत्तरदायित्व निर्धारित करे किन्तु मौजूदा विधेयक के अनुसार प्रशासन के लिये यह सिद्ध करना आवश्यक नहीं है कि इसका उत्तरदायित्व श्रमिकों पर है।

**श्री संजीवय्या :** कर्मचारी को इस बात का अवसर दिया जाता है कि वह इसकी सत्यता अथवा असत्यता प्रकट करे। श्री शर्मा ने इस बात पर भी आपत्ति प्रकट की कि अखिल भारत स्वरूप के उद्योगों के बारे में कभी कोई अधिसूचना जारी करने की स्थिति में राज्य सरकार केन्द्र सरकार से परामर्श करेगी। हमने यह उपबन्ध इस उद्देश्य से बनाया है कि अखिल भारत स्वरूप के उद्योगों के बारे में भारत सरकार को जानकारी मिलती रहे। तथा उद्योग के बारे में सब राज्यों में समरूपता बनी रहे। सामान्यतया परामर्श श्रम मंत्रालय से किया जायेगा किन्तु यह मंत्रालय उद्योग से सम्बन्धित मंत्रालय से परामर्श करेगा ।

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya** (Dewas) : The Hon'ble Minister just now stated that the Madras State had formulated some laws in regard to the workers engaged in Bidi industry. May I know the reasons for non-implementation of those laws in that State and further, how much time the Centre will take in enacting legislation for the Bidi industry. We may also be enlightened about coal workers.

**The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Employment (Shri R. K. Malviya) :** The Honb'le Minister stated that in case the laws regarding Bidi workers are enforced in Madras State it will have its repurcussions in Mysore and other adjoining States. Therefore we are trying to bring uniform legislation in this region. We propose to introduce legislation at the Central level. As regards coal workers, a wage board has already been set up. The industrial relations machinery is perfectly vigilant about coal miners.

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि मजूरी भुगतान अधिनियम, 1936 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The motion was adopted.**

**अध्यक्ष महोदय :** अब हम खण्डवार विचार करेंगे ।

प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 2 से 5 विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The motion was adopted.**

**खण्ड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिये गये ।**

**Clauses 2 to 5 were added to the Bill.**

**खण्ड 6—धारा 7 का संशोधन**

**श्री नम्बियार** : मेरा निवेदन यह है कि "तत्सम्बन्धी देय ब्याज" में देय ब्याज सम्मिलित है। मान लीजिये किसी कर्मचारी को किसी यात्रा के सिलसिले में यात्रा भत्ते की रकम दी गई है और कुछ समय बाद वह यात्रा पूरी करता है तो क्या उससे इस एडवांस पर ब्याज लिया जायेगा। मूल अधिनियम में इस प्रकार का उपबन्ध नहीं था। पृष्ठ चार में उप खंड (एम) में कही गयी बात के लिये मंत्री महोदय ने लोक लेखा समिति का उद्धरण दिया है। सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि खोटे सिक्के और जाली नोटों के एवज़ में घाटे की पूर्त्ति का उत्तरदायित्व किस प्रकार निर्धारित किया जायेगा। यह कानून कर्मचारियों के लिये अहितकर है। उप खण्ड (एन) को भी सर्वग्राही रूप देने का प्रयत्न किया गया है। किसी मुसाफिर का लगेज दो भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग-अलग वजन बताता है तो उसे बुक करने वाले क्लर्क के वेतन में से नुक्सान की पूर्ति की जाती है। किन्तु यह बात तौल करने की मशीन में बुराई के कारण भी उत्पन्न हो सकती है।

**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : मैं श्री नम्बियार के विचारों से सहमत हूं। उप खंड (एम), (एन) और (ओ) में शामिल उपबन्ध अर्थहीन और कष्टदायक हैं। यह हमारा अनुभव है कि रेलवे अधिकारी हर बात का उत्तरदायित्व रेलवे कर्मचारियों के सिर मढ़ देते हैं और उनसे हानि की रकम वसूल करते हैं। मुझे मालूम है एक बार 2000 रुपये के गलत चैक के भुगतान की जिम्मेवारी निर्धन बुकिंग हैड क्लर्क को उठानी पड़ी और उसे नुक्सान की रकम जमा करनी पड़ी जब कि यथार्थ गलती उसी के पदाधिकारी ने की थी। जो रेलवे कर्मचारी अपने कठिन परिश्रम, अनथक कार्य और कुशलता से इतना रुपया कमाने में सरकार की सहायता करते हैं उन पर ही जुर्माना लागू करने का यह अप्रत्यक्ष तरीका अपनाया जा रहा है। पुलिस सामान की चोरी का पता लगाने में असफल रहती है और गार्ड को इसका दण्ड भोगना पड़ता है। इस देश के प्रतिनिधि के रूप में मंत्री महोदय का यह कर्त्तव्य है कि वह कर्मचारियों के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझें और इन उपबन्धों को इस विधेयक में से निकाल दें।

**श्री रंगा** (चित्तूर) : मैं उप खण्ड (एम), (एन) और (ओ) को निकालने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। जब मूल अधिनियम सेन्ट्रल लेजिस्लेटिव असेम्बली में प्रस्तुत किया गया था तब मुझे उस पर चर्चा करने का सौभाग्य मिला था। इसका उद्देश्य कर्मचारियों का हित करना था। मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि श्रम मंत्री का कार्य श्रमिकों का कल्याण करना है वह इस प्रकार का विधान यहां क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं। यह विधेयक प्रस्तुत करने का गलत परामर्श उन्हें किसने दिया है। श्री त्रिवेदी ने उचित ही कहा है कि वर्तमान विधान के अन्तर्गत कर्मचारियों को अकारण ही दण्डित होना पड़ेगा।

**अध्यक्ष महोदय** : किसी माननीय सदस्य के ध्यान में यह बात नहीं आई कि उक्त उप-खंडों को निकालने के बारे में संशोधन की सूचना दें?

**श्री अ० प्र० शर्मा** : सामान्यतया इन संशोधनों का समर्थन करते हुए मेरा यह विचार है कि उपरोक्त उप खण्ड अनावश्यक हैं क्योंकि जिस हानि और नुक्सान के लिये कर्मचारी सीधे उत्तरदायी हैं उन्हें वसूल करने के लिये पहले ही उपबन्ध है। अभी तक जो व्यवस्था है उसके अनुसार कर्मचारी को कारण बताने वाला नोटिस देना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त

[श्री अ० प्र० शर्मा]

कर्मचारी का उत्तरदायित्व सिद्ध करना भी आवश्यक था । किन्तु नई व्यवस्था के अन्तर्गत बिना कारण बताये ही यह रकम कर्मचारी से वसूल की जा सकती है। बहुधा मुसाफिरों की धक्कापेल में नुक्सान हो जाता है और इसके लिये रेलवे कर्मचारियों को उत्तरदायी बताया जाता है। अतः इन उपबन्धों से निश्चित रूप में कर्मचारियों का अहित होगा।

**श्री संजीवय्या :** मूल अधिनियम की धारा 7(2) में कटौती करने का उपबन्ध है। इस का उद्देश्य कर्मचारियों को संरक्षण देना ही नहीं है प्रत्युत उस सम्पत्ति को संरक्षण प्रदान करना है जो कर्मचारी के सुपुर्द है। हमने मूल अधिनियम में केवल उप खण्ड (एल), एम), (एन) और (ओ) जोड़े हैं । उप खण्ड (एल) जो गृह निर्माण और साइकिल खरीदने के लिये ऋण आदि से सम्बन्धित है, रेलवे कर्मचारी इसका स्वागत करेंगे। यदि रेलवे कर्मचारी की कर्त्तव्य उपेक्षा के कारण रेलवे सम्पत्ति की हानि हो तो रेलवे को इस हानिपूर्ति का अधिकार प्राप्त होना चाहिये। लोक लेखा समिति ने भी इस आशय की सिफारिश की है।

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है

"कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The motion was adopted.**

**खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

**Clause 6 was added to the Bill.**

**खण्ड 7 से 10 विधेयक में जोड़ दिये गये ।**

**Clauses 7 to 10 were added to the Bill.**

**खण्ड 11**—(धारा 14 का संशोधन)

**संशोधन किया गया ।**

**Amendment made.**

पृष्ठ 6, पंक्ति 13—

"industrial establishment" ["औद्योगिक प्रतिष्ठान"] के पश्चात् "at any reasonable time" ["किसी युक्तिसंगत समय पर"] शब्द रख दिये जायें। (1)

[श्री र० कि० मालवीय]

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 11 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The motion was adopted.**

**खण्ड 11, संशोधित रूप में, बिल में जोड़ा गया ।**

**Clause 11, as amended, was added to the Bill.**

**खण्ड 12 से 22 विधेयक में जोड़े गये ।**

**Clauses 12 to 22 were added to the Bill.**

**खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।**

**Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.**

**श्री संजीवय्या** : मैं प्रस्तुत करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

**श्री रंगा** : मुझे प्रसन्नता है कि यह विधेयक यहां प्रस्तुत किया गया है और अब पारित किया जाने वाला है । किन्तु मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा श्रमिकों की ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने की सिफारिश पन्द्रह वर्ष पहले की गई थी सरकार उद्योगों के सब क्षेत्रों से इसे समाप्त करने में असमर्थ रही है । उन्हें एक समिति स्थापित करनी चाहिये जो इस बात का अध्ययन करेगी कि ठेकेदारी प्रथा को किस सीमा तक समाप्त किया जा सकता है । यहां मैं यह भी उल्लेख कर दूं कि सड़क परिवहन में काम करने वाले श्रमिकों को अब तक उचित संरक्षण नहीं दिया गया है । अन्त में, मैं कुछ बातों को छोड़कर विधेयक का समर्थन करता हूं । मैं पुनः यह निवेदन कर दूं कि उप खण्ड (एम), (एन) और (ओ) की शब्दावली में परिवर्तन कर उन्हें ऐसा रूप दिया जाना चाहिये जिनसे श्रमिकों को हानि नहीं पहुंचायी जा सके ।

**श्री दीनेन भट्टाचार्य** (श्रीरामपुर) : खण्ड 10 में, धारा 13 के पश्चात् परन्तुक 13क जोड़ा गया है जिसमें बताया गया है कि प्रत्येक मालिक रजिस्टर और रिकार्ड रखेगा । किन्तु मजूरी में छुट्टी के दिनों की मजूरी, चिकित्सा काल की मजूरी और आकस्मिक छुट्टी मजूरी भी सम्मिलित है । अतः इन्हें भी उसके अन्तर्गत रखना चाहिये ।

**अध्यक्ष महोदय** : यह तृतीय वाचन है । आप विधेयक के समर्थन में अथवा उसे रद्द करने के बारे में ही बोल सकते हैं । आपको अपने यह विचार द्वितीय वाचन के अवसर पर व्यक्त करना चाहिये ।

**श्री दीनेन भट्टाचार्य** : आजकल यह प्रवृत्ति देखी जाती है कि कानूनी हड़ताल की स्थिति में भी मालिक समय पर मजूरी नहीं देते हैं । तालाबन्दी की हालत में भी यही बात हो रही है । हाल ही में लागोन जूट इंजीनियरिंग वर्क्स, भद्रेश्वर में एक श्रमिक द्वारा बीड़ी पीने पर उसे चार्जशीट कर दिया गया। श्रमिक धूम्रपान के लिये नियत स्थान पर ही बीड़ी पी रहा था; श्रमिकों ने उसका पक्ष लेकर विरोध प्रकट किया और मालिकों ने लॉक आउट की घोषणा कर दी । मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार की स्थिति में मजूरी की अदायगी के लिये समय निर्धारित करना चाहिये ।

**श्री काशीनाथ पाण्डे** : इस विधेयक में कुछ आपत्तिजनक खण्ड हैं । उन्हें अपनाये जाने के बारे में माननीय मन्त्री ने लोक लेखा समिति की सिफारिश का आश्रय लिया है । किन्तु सरकार ने भारतीय श्रम संगठन और अन्य सम्बन्धित पक्षों से इन संशोधनों के बारे में परामर्श नहीं किया । अब तक प्रथा

[श्री काशीनाथ पाण्डे]

यह रही है कि उक्त संगठनों से परामर्श लिया जाता था किन्तु इस बार ऐसा नहीं किया गया है । मैं यह आशा करता हूं कि भविष्य में यदि श्रमिकों को कठिनाइयां अनुभव हुई तो मन्त्री महोदय कानून में परिवर्तन करने की कृपा करेंगे ।

**श्री नम्बियार** : रेलवे कर्मचारी आचरण नियमों से रेलवे कर्मचारी नियन्त्रित हैं, उस स्थिति में सरकार के अन्य कर्मचारियों से पृथक् रख कर रेलवे कर्मचारियों के लिये ही यह नियम क्यों बनाये जा रहे हैं । इससे रेलवे कर्मचारियों के प्रति विशेष दृष्टिकोण का आभास मिलता है । इस लिये यह कानून असामान्य प्रतीत होता है । यह सामान्य कर्मचारियों के लिये लागू न किया जाकर केवल रेलवे कर्मचारियों के लिये बनाया जा रहा है । रेलवे के बारह लाख कर्मचारी यह अनुभव करेंगे कि उनके विरुद्ध कानून बनाया जा रहा है ।

**Shri Yashpal Singh** : I congratulate the Hon'ble Minister for bringing in this salutary Bill on the statute book. The Government should clarify the scheme of advancing loans to the employees. Our religious scripts state that it is better to starve than to subsist on borrowings. It is not desirable to advance loans for purchase of articles of luxury. These should be advanced only for the betterment of the future of children of the employees.

**श्री संजीवय्या** : श्री नम्बियार ने कहा कि यह कानून केवल रेलवे कर्मचारियों के लिये ही क्यों बनाया जा रहा है किन्तु मजूरी भुगतान अधिनियम केवल रेलवे कर्मचारियों पर ही लागू होता है । श्री रंगा यह जानना चाहते थे कि ठेके पर श्रमिक प्रथा क्यों समाप्त नहीं की गई है । इस महीने की 9 और 10 तारीख को स्थायी श्रम समिति इसी विषय पर विचार करेगी । उसके बाद कानून पास किया जायेगा । सड़क परिवहन श्रमिकों को भी हम इस अधिनियम के अन्तर्गत ला रहे हैं । श्री दीनेन भट्टाचार्य ने हड़ताल की अवधि में श्रमिकों को मजूरी देने के प्रश्न की चर्चा की । यदि हड़ताल के बाद यह निर्णय लिया जाता है कि हड़ताली मजदूर मजूरी पाने के अधिकारी थे तो उस स्थिति में वे उस अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं । श्री काशीनाथ पाण्डे ने कहा कि इन संशोधनों को भारतीय श्रम संगठन अथवा स्थायी श्रम समिति के समक्ष क्यों नहीं प्रस्तुत किया । हमारा नियम यह है कि हम सामान्यतया उन त्रिदलीय निकायों से परामर्श करते हैं । हमने उनके दृष्टिकोण मालूम किये थे और उसके बाद ही यह विधान यहां प्रस्तुत किया है ।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The motion was adopted**

---

## धन कर (संशोधन) विधेयक

## WEALTH-TAX (AMENDMENT) BILL

**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत करता हूं :

"कि धन कर अधिनियम, 1957 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

धन कर अधिनियम, 1957 आयकर अधिनियम, 1922 के अनुरूप है । आयकर अधिनियम, 1961 को पुनर्गठित कर उसमें कुछ परिवर्तन किये गये हैं ताकि करों की चोरी रोकी जा सके और

करों की तुरन्त वसूली की जा सके। अतः यह आवश्यक है कि आयकर अधिनियम के संशोधित उपबन्धों को धन कर में अपनाया जाये।

त्यागी कमेटी की सिफारिशों पर आयकर अधिनियम, 1961 में कर निर्धारण, अपीलों आदि के सम्बन्ध में उपबन्ध रखा गया है। वे सिफारिशें जितनी आयकर पर लागू होती हैं उतनी ही धन कर पर लाग् होती हैं। उनको धन कर पर बखूबी लागू किया जा सकता है।

पिछले सात वर्ष के अनुभव के आधार पर जो संशोधन जरूरी समझे गए हैं उन्हें भी प्रस्तुत किया जा रहा है।

धन कर अधिनियम को आय कर अधिनियम के समकक्ष लाने के लिए लगभग चालीस संशोधन हैं। मैं कुछेक संशोधनों का यहां उल्लेख करूंगा।

धन कर अधिनियम के अन्तर्गत इस समय करदाता द्वारा अपनी पत्नी अथवा नाबालिग बच्चे के नाम जो सम्पत्ति हस्तान्तरित की जाती है वह उसके धन में शामिल मानी जाती है। तत्सम्बन्धी उपबन्धों का आधार व्यापक बनाया जा रहा है जैसे कि आय कर अधिनियम के बारे में किया गया है। राजस्व से बचने के लिए सम्पत्ति के हस्तान्तरण को रोकने के लिए यह उपबन्ध रखा जा रहा है कि पति पत्नी द्वारा एक दूसरे के अथवा अपने नाबालिग बच्चे के बिना पर्याप्त प्रतिफल के जो भी सम्पत्ति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित की जायगी वह हस्तांतरणकर्ता के शुद्ध धन में शामिल मानी जायगी। इसी तरह से करदाता के निलम्बित लाभ के लिए जो भी सम्पत्ति उसक, पति-पत्नी अथवा उसके नाबालिग बच्चे को हस्तांतरित की जायगी, वह भी करदाता के निबल धन में शामिल मानी जायगी। चूंकि उपहार कर का भार अधिक है इसलिये यह संशोधन किया जायगा कि इस प्रकार की सम्पत्ति को निबल धन में शामिल नहीं किया जायगा यदि उसके हस्तांतरण के सम्बन्ध में उपहार कर वसूल किया जाना है अथवा यदि वह निश्चित रूप से उपहार कर अधिनियम से विमुक्त है। यह रियायत उन हस्तांतरित सम्पत्तियों के बारे में दी जायगी जिन पर कि 1964–65 में अथवा इसके बाद के वर्ष में उपहार कर वसूल किया जाना हो।

त्यागी कमेटी की धन कर के सम्बन्ध में एक सिफारिश यह भी थी कि करदाता के निबल धन में वह कर घटाये जायें जिनके विरोध में करदाता ने अपील की हो। अब व्यवस्था यह की गई है कि यदि करदाता पहली अपील अथवा पुनरीक्षण के फैसले के छह महीने के अन्दर वह कर दे देगा तो धन कर अधिकारी तत्सम्बन्धी कर निर्धारण को ठीक करेगा और पहले न घटाये गए करों को घटा लेगा।

दण्ड और अभियोग सम्बन्धी उपबन्धों को आय कर अधिनियम के आधार पर संशोधित किया गया है। कर अपवंचन के उद्देश्य से जो धन छिपाया गया हो उसके लिए निम्नतम दण्ड उस कर का 20 प्रतिशत रखा गया है। अधिकतम दण्ड यथावत् पहले जैसा ही रहेगा। निबल धन के सम्बन्ध में आंकड़े न देने अथवा साक्ष्य देने के नोटिस का पालन न करने के लिए भी निम्नतम दण्ड का उपबन्ध रखा गया है। अभियोगों के सम्बन्ध में कानून को और कड़ा कर दिया गया है। आंकड़ों की गलत पड़-ताल के लिए दण्ड एक वर्ष की साधारण कैद से बढ़ा कर दो वर्ष की सख्त कैद कर दी गई है। यह सज़ा छः महीने की कैद से कम न होगी जबतक कि इसके लिए विशेष और पर्याप्त कारण न होंगे जो कि अदालत द्वारा लिख कर बताये जायेंगे। इसी तरह की सज़ा उन व्यक्तियों के लिए भी रखी गई है जो कि गलत तथ्य तथा आंकड़े देने के लिए दूसरों को प्रोत्साहन दें अथवा उकसायें। इसके साथ ही लोगों को छिपाये धन के सम्बन्ध में साक्ष्य देने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार

[श्री नि० त० कृष्णमाचारी]

को इस बात का अधिकार दिया गया है कि वह उपयुक्त मामलों में ऐसे लोगों को अभियोग से विमुक्ति दें। लेकिन यदि इस बात का पता चले कि वह व्यक्ति जान बूझ कर कोई बात छिपा रहा है अथवा गलतबयान दे रहा है तो वह विमुक्ति वापस ली जायगी।

धन कर अधिनियम में आय कर अधिनियम की भांति आत्म-कर-निर्धारण का उपबन्ध रखा जा रहा है। यदि देय कर ५०० रुपये से अधिक न हो तो करदाता अपने आप ही अपने आंकड़ों के आधार पर कर का भुगतान कर सकता है।

करदाता को सभी ऐसे मामलों में अपील का अधिकार दिया गया है जहां कि उसके प्रतिकूल आदेश जारी किया गया हो। जबकि करदाता अथवा कर विभाग अपील ट्रिब्यूनल के सामने अपील करेगा तो दूसरे पक्ष के प्रति आपत्ति करने का अधिकार होगा। सहायक अपील कमिश्नर धन कर निर्धारण का पुनरीक्षण कर सकता है और यदि वह जरूरी समझे तो उस सम्बन्ध में करनिर्धारण बढ़ा भी सकता है यद्यपि वह विषय अपील उनके सामने न लाया गया हो। अपील ट्रिब्यूनल ऐसे मामलों में सीधे उच्चतम न्यायालय को लिख सकता है जहां कि विभिन्न उच्च न्यायालयों के फैसलों में परस्पर विरोध है।

पैसे वापिस करने सम्बन्धी उपबन्धों को नया रूप दिया गया है जिससे कि लोगों को अपना पैसा जल्दी से वापिस मिल सके। जहां देय राशि छह महीने के अन्दर वापस न की जाय, वहां केन्द्रीय सरकार उस रकम पर चार प्रतिशत के हिसाब से साधारण ब्याज देगी।

आय कर अधिनियम, १९६१ में आय कर की वसूली के लिए एक स्वतःपूर्ण संहिता रखी गई है। यह उपयुक्त परिवर्तनों के साथ धन कर अधिनियम के सम्बन्ध में भी लागू होगी।

धन कर अधिकारियों को आय कर अधिकारियों की तरह तलाशी और जब्ती के अधिकार प्राप्त होंगे। वह ऐसे गवाहों पर जुर्माना भी कर सकते हैं जो उनके सामने पेश होने से अथवा साक्ष्य पेश करने से इन्कार करेंगे। वह दस्तावेजों को भी जब्त कर सकते हैं।

एक ही सम्पत्ति के सम्बन्ध में करदाता को यदि भारत तथा विदेश दोनों जगहों पर धन कर देना पड़े तो तकलीफ हो जाती है। इस तकलीफ को दूर करने के लिए दुहरे कराधान को रोकने के उद्देश्य से सरकार को पारस्परिक समझौते करने का अधिकार दिया गया है।

इस समय किसी करदाता के निबल धन की गणना उसकी सम्पत्ति के बाज़ार भाव पर होती है। अनुभव से पता चलता है कि विभिन्न धन कर अधिकारियों द्वारा किया गया मूल्यांकन अलग अलग होता है इसलिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड को सम्पत्ति के मूल्यांकन के सम्बन्ध में नियम बनाने का अधिकार देना आवश्यक समझा गया है। यह नियम न्यायसंगत आधार पर सम्पत्ति के मूल्यांकन की व्यवस्था करेंगे।

इस समय मृत व्यक्तियों की सम्पत्ति का प्रशासन करने वाले निष्पादकों के कर-निर्धारण के सम्बन्ध में कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है। इसका उपबन्ध अब रखा गया है।

माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि धन कर हमारे कर ढांचे का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। वर्तमान विधेयक का उद्देश्य धन कर को प्रत्यक्ष करों के सामान्य ढांचे के अनुरूप बनाना है।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

**श्री मो० रू० मसानी** (राजकोट) : श्रीमन्, सिद्धान्ततः हम धन पर कर लगाने के विरुद्ध नहीं हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश इस कर को प्रसंग से अलग करके पिछले कुछ वर्षों में लागू किया गया है। यही कारण है कि सिद्धान्ततः इसके विरुद्ध न होते हुए भी हमने इसका विरोध किया है। प्रो० काल्डोर, जिन्होंने कि कर ढांचे में सुधार की सिफारिशें की हैं, की इनको लागू करने की एक पूर्व शर्त यह थी कि आय-कर की एक सीमा रखी जाये और आयकर किसी भी सूरत में रुपये में सात आने से ज्यादा न हो। वह एक ओर बेकार धन पर कर लगाना चाहते थे और दूसरी ओर आय वालों को उत्पादन में पैसा लगाने के लिए प्रोत्साहन देना चाहते थे। लेकिन हुआ यह कि कर का अतिरिक्त भार उन्हीं लोगों पर डाला गया है जोकि उत्पादन में लगे हुए हैं।

[ **उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair* ]

हमें इस बात की चिन्ता नहीं कि सरकार धन वाले लोगों पर कर लगाना चाहती है। हमें इस बात की फिक्र है कि इसका देश में पूंजी-निर्माण पर क्या असर पड़ेगा। इस समय पूंजी निर्माण में पहले से ही कई रुकावटें हैं। इसका देश के विकास पर बुरा असर पड़ेगा।

इस विधेयक को देखने से पता लगता है कि सरकार ने पिछले बजट में की गई गलतियों से कोई सबक नहीं सीखा है। वह बजट देश के लिये विनाशकारी था। इससे हमारी अर्थ-व्यवस्था का विकास रुक गया है। पुरानी गलतियों को ठीक करने के बजाय सरकार उन पर अड़ी हुई है।

यह विधेयक केवल दक्यानूसी समाजवादी विचारों का प्रतिपादन करता है जिन्हें कि कई विदेशी प्रगतिशील समाजवादी पार्टियां तिलांजलि दे चुकी हैं।

हम भी लोक कल्याण चाहते हैं। लेकिन जनता का कल्याण और कल्याणकारी राज्य दो अलग अलग चीजें हैं। राज्य मूलतः जनता के कल्याण के लिए नहीं होता है। कल्याण अधिक उत्पादन से ही आ सकता है। यदि आप कल्याण चाहते हैं तो एक आधुनिक औद्योगिक समाज का निर्माण कीजिये जिससे कि जनता के उपभोग के लिए सेवाएं तथा वस्तुएं उपलब्ध हों। हम चाहते हैं कि आधुनिक उपाय, तकनीक तथा उपकरण प्रयोग में लाये जायें। हम दक्यानूसी तरीके तथा विचार अपनाये जाने के विरुद्ध हैं। हमारी जनता धन अर्जन के विरुद्ध नहीं है। वह धन चाहती है। हम सम्पत्तिवान लोकतंत्र चाहते हैं जैसे कि स्कैंडिनेविया, स्विट्ज़रलैण्ड, आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैण्ड, ब्रिटेन, जर्मनी और अमरीका में है। हम चाहते हैं कि हमारे करोड़ों लोग ज़िन्दगी की अच्छी बातों में हमारे भागीदार हों और उन्हें कुछ आराम मिले। वही सामाजिक न्याय है जो कि हम चाहते हैं। इसका मतलब यह भी है कि घरेलू खपत को व्यापक और

[श्री मी० रू० मसानी]

विस्तृत किया जाये। जिससे कि देश की बढ़ती हुई पैदावार खप सके और जिससे कि जनता की क्रय-शक्ति भी बढ़ जाये।

यह विधेयक तथा धन-कर जिस पर कि यह आधारित है हर उस बात का शत्रु है जिसका कि मैं ने जिक्र किया है। यह हमारी प्रगति और भलाई का शत्रु है। इस तरह के करारोपण द्वारा हम व्यक्तियों की जेब से पैसा निकाल कर सरकार की जेब में डालते हैं। व्यक्ति इसे उत्पादन के कार्यों में लगा सकता है, सरकार इसके सर्वथा अयोग्य है। सरकार के हाथ में पैसा आकर नष्ट ही होता है, इसका लाभ नहीं उठाया जाता है। सरकार इसे अनुत्पादक कार्यों में लगाती है। प्रो० काल्डोर का विचार यह था कि करारोपण प्रणाली का इस तरह से निर्माण किया जाये कि जो व्यक्ति उत्पादन कार्यों में पैसा न लगाये उस पर कर ज्यादा हो और जो इसे उत्पादक कार्यों में लगा ले उसे करों के सम्बन्ध में राहत मिले। सरकार ने इस सिफारिश का पहला भाग तो मंजूर किया, दूसरा नहीं। इस विधेयक से हानि ही पहुंचेगी। इस विधेयक के कई उपबन्ध आपत्तिजनक हैं। इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाना चाहिये था जोकि इस पर ध्यानपूर्वक विचार करके इसका सुधार कर लेती। इस विधेयक को जल्दबाज़ी में सभा के समक्ष लाया गया है। स्वयं माननीय मंत्री ने इस विधेयक में दो संशोधनों का सुझाव दिया है। इससे पता चलता है कि सरकार ने इस पर उचित विचार नहीं किया है और जल्दबाज़ी की है।

इस विधेयक में बहुत सी त्रुटियां हैं। हमने विभिन्न खंडों के सम्बन्ध में संशोधन दिये हैं। मैं इस विधेयक की त्रुटियां दिखाने के लिए इसके तीन पहलुओं पर प्रकाश डालूंगा। पहली त्रुटि खंड १८ के 'स्पष्टीकरण' में है। यह बड़ा विचित्र उपबन्ध है। न्यायशास्त्र के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि वह अपराधी सिद्ध न हो। इस खंड का 'स्पष्टीकरण' इस सिद्धान्त के बिल्कुल उलट है। इसके अन्तर्गत हर व्यक्ति अपराधी माना जायगा जब तक कि वह अपने आपको निर्दोष सिद्ध न करे। इस खंड के अधीन हर उस व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सकता है जिसने कि ईमानदारी से अपनी सम्पत्ति के बारे में पूरी तथा ठीक-ठीक जानकारी दी है किन्तु जिसकी गलती केवल मूल्यांकन के सम्बन्ध में हो। सम्पत्ति मूल्यांकन में विभेद हो सकता है। मंत्री महोदय ने स्वयं कहा कि सम्पत्ति-मूल्यांकन में भारी अन्तर रहता है। लेकिन इस खंड के अन्तर्गत यदि मूल्यांकन में फर्क हो तो उसे जेल भेजा जा सकता है। सम्पत्ति का ठीक-ठीक मूल्य आंकना हर मामले में पेचीदा तथा कठिन होता है चाहे वे जेवर हों, ज़मीन हो या शेयर आदि हों। विशेषज्ञों के अन्दाज़े में भी फर्क होता है। यह बड़ा क्रूर उपबन्ध है, मुझे हैरानी है कि सरकार ने इसे कैसे प्रस्तुत किया है। इस उपबन्ध की शब्दावलि बदल दी जाये और इसमें यह कहा जाये कि यदि कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति की ठीक-ठीक जानकारी न देगा तो वह धन छिपाने का अपराधी ठहराया जायगा। यदि सरकार इस उपबन्ध को वर्तमान रूप में ही पारित करवाएगी तो यह इस संसद् के लिये शर्म की बात होगी।

अब मैं खंड 31 के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। इसमें कहा गया है कि यदि इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान सम्पत्ति का हस्तांतरण होता है तो

करदाता द्वारा देय किसी कर अथवा राशि से सम्बन्धित दावे के मुकाबले में वह हस्तांतरण अवैध होगा। सवाल यह है कि किसी व्यक्ति को यह पता कैसे चलेगा कि कोई कार्यवाही चल रही है। कोई सार्वजनिक सूचना नहीं दी जाती है। यहां भी उसे यह सिद्ध करना पड़ेगा कि उसे जानकारी नहीं थी।

तीसरी बात मैं खंड 36 के बारे में कहना चाहता हूं। यह खंड कुछ अंशों में सही है। लेकिन एक उप-खंड अर्थात् उपखंड (ग) आपत्तिजनक है। इस उपखंड के अन्तर्गत कमिश्नर को कोई सबूत नहीं देना है। उसे केवल यह कहना है कि 'मेरे पास यह विश्वास करने का कारण है।' हममें से बहुत सारे ऐसी बातों में विश्वास करते हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। कमिश्नर के पास केवल विश्वास करने का कारण होना चाहिये। लेकिन क्या केवल इस बात के लिए किसी के घर पर छापा मार कर उसको दूसरों की नज़रों में गिराना उचित है? लोकतंत्र में यह एक असाधारण बात है।

पिछले कुछ महीनों में देश में कई जगहों पर छापे मारे गए। हो सकता है कि कुछ मामलों में वह छापे सही हों। मुझे मालूम है कि कुछ मामलों में वह उचित नहीं थे। लेकिन ऐसे मामलों में वह अवश्ययंभावी हैं। कोई भी सरकार जो पुलिस राज के ये हथकंडे अपनाती है, कुशल सरकार नहीं मानी जा सकती है। ये कम्युनिस्ट और तानाशाही तरीके हैं। पिछले पांच सात वर्ष से हम कहते आये हैं कि सरकार का आयोजन कार्य सोवियत प्रणाली पर आधारित है और अन्ततोगत्वा इससे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और संसदीय लोकतंत्र का नाश होगा और यही कुछ हो रहा है।

खंड 36 का उप-खंड (ग) हमारे लोकतंत्रात्मक समाज की मान्यताओं को घटाता है। जिस तरह के छापे मारे जाते हैं उनसे सरकार की शोभा नहीं बढ़ती है। और भी प्रजातंत्र सरकारें हैं वह अपना कार्य सुचारू रूप से करती हैं। अमरीका जैसे देशों में इस तरह के तानाशाही तरीके नहीं अपनाये जाते हैं।

मैंने इस विधेयक के आपत्तिजनक उपबन्धों की ओर सभा का ध्यान दिलाया है। हम इस विधेयक का विरोध करते हैं।

**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे श्री मसानी के भाषण को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं उस दृष्टिकोण के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं जोकि उन्होंने यहां प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने यहां के धनीवर्ग के बारे में एक मासूम सा चित्र पेश किया और कहा कि वह अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हें हाथ नहीं लगाया जाना चाहिये। उन्होंने यह भी कहा कि पूंजी निर्माण हमारी अर्थ-व्यवस्था और अर्थनीति का एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिये। काश ! यही स्थिति इतनी सहज होती। श्री मसानी भूल गए हैं कि हमारा एक अल्पविकसित देश है और हम अपना उत्थान करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करना है और सफलताएं प्राप्त करनी है। यदि हम यह काम उन लोगों पर छोड़ें जिनके हाथ में कि पूंजी निर्माण का काम है तो इस देश और इस सरकार का परमात्मा ही रक्षक है।

श्री मसानी भूल जाते हैं कि इस देश में हमें समाजवाद की आवश्यकता है क्योंकि समाजवाद के विचार को देश अपना चुका है। लोकतांत्रिक उपायों द्वारा समाजवाद को लाने

[श्री हीं० ना० मुकर्जी]

में यदि कोई अड़चन है तो वह यहां का पूंजीवाद है। हमारे देश की आर्थिक विषमताओं का एक मात्र प्रतीकार समाजवाद है।

सम्पन्न समाज की बातें करना एक बात है। हमारा देश केवल एक सम्पन्न समाज नहीं चाहता हैं; हम एक अपरिग्रही समाज भी चाहते हैं। कुछेक समुदायों की सम्पन्नता से ही हमारे देश के जीवन में व्यापक परिवर्तन नहीं आ सकता है। हम केवल धनी लोगों की संख्या नहीं बढ़ाना चाहते हैं; हम एक नये समाज की रचना करना चाहते हैं, इसीलिये कुछ उपाय करने आवश्यक हैं।

एक समय जब कि श्री मसानी मिश्रित अर्थव्यवस्था की बातें करते थे, कल्याणकारी राज्य के विचार के विरुद्ध नहीं थे लेकिन अब वह कहने लगे हैं कि कल्याणकारी राज्य का विचार दकियानूसी है। वह कहते हैं कि राज्य स्वयं दमन का एक यंत्र है। यदि राज्य के बारे में उनकी यह राय है तो मुझे यह मालूम नहीं कि वह इस देश का आर्थिक पुनर्निमाण कैसे करना चाहते हैं। वास्तव में हमारी देश की स्थिति को देखते हुए राज्य का इस कार्य में साथ-साथ रहना आवश्यक है।

श्री मसानी ने कहा कि कुछ लोग धनवानों के विरुद्ध गरीबों की स्पर्धा भड़काना चाहते हैं। इस में गरीबों का धनवानों के प्रति स्पर्धा बढ़ाकर संघर्ष पैदा करने का कोई सवाल नहीं। होता यह है कि समाज में जब इतना अन्तर होता है, तो समुदायों में एक उच्च स्तर पर एक तरह का मेल मिलाप कराना आवश्यक है और यह चीज़ समाजवाद द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। श्री मसानी द्वारा दिये गए उपदेश से इस समस्या का ज़रा भी समाधान नहीं होता है।

मैं यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि सरकार ने कैसे धनकर विधान तथा ऐसे ही अन्य करों को ठीक तरह से क्रियान्वित नहीं किया है। श्री मसानी ने प्रो० काल्डोर का ज़िक्र किया। उन्होंने केवल इस विचार को ले लिया कि शायद आयकर की परिमात्रा अनुपात के हिसाब से कम हो सकती है लेकिन वह यह कहना भूल गए कि यह केवल तभी हो सकता है जबकि आयकर, धनकर, उपहार कर आदि का इस तरह से समायोजन हो कि कर अपवंचन रोका जा सके और देश की अर्थव्यवस्था पर उचित नियंत्रण रखा जा सके। चूंकि यहां का धनी वर्ग ठीक ठीक आंकड़े आदि नहीं पेश करते हैं, इसलिए कुछ आमदनियों पर अत्यधिक कर लगाना जरूरी हो जाता है।

यह एक तथ्य है कि धन छिपाया जाता है और सही आय सरकार को नहीं बताई जाती है। ऐसी स्थिति में खंड 36 पर आपत्ति करना अनुचित है। हाल ही में जो छापे मारे गए हैं उसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। आय कर अधिकारियों का अनुमान है कि वह इस पत्नी वर्ष के अन्त तक पांच लाख नये करदाताओं का पता लगायेंगे। इस कार्य की प्रशंसा की जानी चाहिये। इसके अलावा मैं निवेदन करूंगा कि सरकार को इस बात का पता लगाने के लिए अध्ययन कराने चाहिये कि क्या कर अपवंचन के दूसरे तरीकों का भी इसी तरह से जल्दी ही निपटारा किया जायगा अथवा नहीं। उदाहरण के तौर पर अविभाजित हिन्दू परिवार का ही विषय है। करारोप्य श्रेणी के रूप में इसको समाप्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में जांच की जानी चाहिये कि हमारी सामाजिक परम्पराओं को

हानि पहुंचाये बिना ही हम इसको कैसे समाप्त कर सकते हैं जिस से कि करों की वसूली और उन्हें इकट्ठा करने की प्रक्रिया में बाधा दूर हो जाये। इस सम्बन्ध में भी जांच कराई जानी चाहिये कि कितनी अ-श्रमजीवी पत्नियां तथा बच्चे अपने परिवार-प्रमुख से अलग कर-निर्धारण के दायरे में आ जाते हैं। मुझे बताया गया है कि देश में एक ऐसा परिवार है जोकि सबसे ऊंचे धनाढ्य वर्ग में आ जाता है किन्तु उस परिवार के एक सदस्य पर भी धनकर नहीं लगाया गया है।

प्रो० काल्डोर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस देश के धनाढ्य करदाता आयकर तथा अन्य करों से बचने के लिये हर तरह की कानूनी जटिलताओं का फायदा उठाते हैं। एक बार आयकर जांच ट्रिब्यूनल ने भी लिखा है कि इन टैक्स चोरों की सहायता के लिए विख्यात वकील, इंजीनियर और लेखापरीक्षक तैयार रहते हैं। ऐसी दशा में हम न्यायशास्त्र का सहारा लेकर हम ऐसे लोगों की सफाई पर कैसे आ सकते हैं जबकि हमें मालूम है कि वह आत्म-रक्षा के लिए तथा अर्थ-व्यवस्था पर अपना प्रभुत्व रखने हेतु हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल में लाते हैं। यदि हमने अपने देश का विकास इन लोगों के अर्थात् गैर-सरकारी क्षेत्र के हाथ में दे दिया होता तो हमें मालूम हो जाता कि आज हमारी हालत क्या होती। यह एक लज्जास्पद बात है कि आज भी हमें यह तर्क सुनना पड़ रहा है कि यदि गैर-सरकारी क्षेत्र को यह काम दिया जाता तो उन्होंने अच्छे परिणाम दिखाये होते।

मैं सरकार और उसकी कमजोरियों के बारे में यहां सफाई नहीं देना चाहता हूं। मुझे मालूम है कि सरकारी क्षेत्र के प्रशासन में कई त्रुटियां हैं। परन्तु विचार यह है कि हमें एक ऐसा मार्ग ढूंढ़ना है जिस से कि हम अपनी वर्तमान अर्थव्यवस्था को हिंसात्मक उपायों द्वारा अन्त किये बिना एक गैर-पूंजीवाद मार्ग से अपने ध्येय की ओर बढ़ें। यह ध्येय समाजवाद है। भारत सरकार ने इस विचार के प्रति उतनी जागरूकता नहीं दिखाई है जितनी कि उसे दिखानी चाहिये थी। वित्त मंत्री को यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि हमारे देश के आर्थिक विकास की दर बहुत ही कम है। हमारे आर्थिक जीवन में गम्भीर असमानताएं हैं। हम विदेशी सहायता पर आश्रित हैं जिस से कि हमारे अर्थ-तंत्र की बुनियादी कमजोरी ज्यों की त्यों हैं। चाहे हमारे दावे कुछ भी रहे हों। मैं वित्त मंत्री से जानना चाहूंगा कि उन्होंने आय और आस्तियों के सम्बन्ध में एक प्रभावी कर-प्रणाली तैयार करने के लिए क्या विशेष कार्यवाही की है और विभिन्न करारोपण उपायों के समायोजन के लिए क्या कुछ किया है। माननीय मंत्री को इस पर प्रकाश डालना चाहिये।

देश में कालाधन बहुत बड़ी मात्रा में है। यह छिपा धन न केवल करेंसी नोटों में है अपितु जेवरात आदि में भी है। शहरी सम्पत्ति में जो सट्टेबाजी हो रही है, उसे भी ध्यान में रखा जाना चाहिये। सारी सम्पत्ति मुट्ठी भर लोगों के हाथों में जा रही है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। कर अपवंचन एक कला बन गई है। या तो इसका अन्त होना चाहिए या तो सरकार को कहना चाहिये कि यह इन के बस का रोग नहीं। धनी लोगों द्वारा नीलामी पर पुरानी मोटर कारों को 60,000 तथा 70000 रुपये में खरीदे जाने के समाचार भी सुनने में आये हैं। यह पैसा आता कहा से है। सरकारी मशीनरी आसानी से इसका पता लगा सकती है!

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

इसी तरह से सोने और दूसरी चीजों का तस्कर व्यापार चल रहा है। बम्बई जैसे शहरों में फ्लैटों का स्वामित्व प्राप्त करने के लिए छीना-झपटी हो रही है। मेरा अपना विचार है कि हाल ही में जो छापे मारे गए हैं उन से जो कुछ धन प्राप्त हुआ है वह तो ठीक है लेकिन इस से इस बात का पता नहीं चलता है कि कितना धन छिपा हुआ है। सरकार जो भी कार्रवाई करेगी वह करेंसी तक ही सीमित न रहनी चाहिये, दूसरी सम्पत्ति भी उसके दायरे में आनी चाहिये। श्री मसानी ने जो विचार प्रकट किये उन्हें यह सभा स्वीकार नहीं कर सकती है। देश इस बात का फैसला कर चुका है कि हमें किधर को जाना है। किस तरह से हम उस दिशा की ओर बढ़ सकते हैं इसका हम आपस में बैठकर फैसला कर सकते हैं।

मेरा विचार है कि दंड सम्बन्धी उपबन्ध न केवल इस विधि में रखे जाने चाहियें बल्कि उनको और भी कड़ा किया जाना चाहिये। यदि दंड दिया जाना ही है तो इसे ठीक तरह से दिया जाना चाहिये। यदि कोई यह सफाई दे कि उसकी ओर से जानबूझ कर कोई गलती नहीं की गई है और उसे यूं ही पकड़ा गया है तो उसे कुछ राहत दी जा सकती है। परन्तु यह देखना आवश्यक है कि धनकर से वह साधन प्राप्त हों जिसके लिए यह लगाया गया था। प्रो० काल्डोर का अनुमान था कि इस कर से 18 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। लेकिन हमारी प्राप्ति इसके आस पास भी नहीं आती। मेरा विचार है कि इस कानून को कड़ा कर दिया जाना चाहिये और इसकी त्रुटियों को दूर किया जाना चाहिये। इस तरह से हम एक ऐसी कर-व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं जोकि हमारी अर्थ-व्यवस्था के विकास में सहायक सिद्ध हो सकती है।

**श्री मान सिंह पृ० पटेल** (मेहसाना) : उपाध्यक्ष महोदय, हम सभी यह चाहते हैं कि इस कानून की त्रुटियां दूर हों जिस से कि कर-अपवंचन के लिए गुंजाइश न रहे। इस उद्देश्य को देखते हुये मैं इस संशोधकारी विधेयक का स्वागत करता हूं।

श्री मुकर्जी ने आदर्शवादी पद्धति से दलीलें पेश कीं, और श्री मसानी ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि धनकर देने वाला कोई भी व्यक्ति ईमानदार होता है, अतः यदि पदाधिकारियों को और भी अधिक शक्ति दी गई तो वह न्यायशास्त्र के विरुद्ध होगा।

देश के 45 करोड़ लोगों में से, दो साल पहले तक, केवल 10 लाख लोग ऐसे थे जो आयकर देते थे। कर-अपवंचन को रोकने की सरकारी कोशिशों का फल यह हुआ है कि 35 लाख लोगों से आय-कर लिया जाने लगा है। पैसे वाले लोग कर से बचना चाहते हैं और सरकार के लिये यह जरूरी है कि वह उनके लिए बचने के सारे रास्ते बन्द कर दे।

खंड 18 द्वारा करदाता पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा जैसा कि श्री मसानी समझते हैं। कर-दाता स्वयं कर-निर्धारण करने में 20 प्रतिशत तक गलती कर जायेगा तो उसे दण्ड नहीं दिया जायेगा। लेकिन अगर कोई धोखा देने की नीयत से 20 प्रतिशत से अधिक गलती करेगा तो वह दंड का पात्र होगा।

आय-कर और सम्पत्ति-कर अधिकारियों को शक्तियां दी गई हैं लेकिन इनका प्रयोग आवश्यकतानुसार ही होगा और वह भी प्रशासनीय उद्देश्यों के लिए। और इन शक्तियों के बिना कर अपवंचन को रोकना भी कठिन हो जायगा।

खण्ड 31 में कोई ऐसी बात नहीं है जो कि न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध हो। मेरे माननीय मित्र चाहते हैं कि किसी सम्पत्ति के करों की अदायगी बिकने से पहले न हुई हो तो उनका बोझ खरीदार पर न डाला जाय। खरीदार का कर्त्तव्य है कि वह सम्पत्ति खरीदने से पहले यह देख ले कि उस पर कोई कर देय तो नहीं है। उसे करों की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया जा सकता।

इस विधेयक की दो तीन बातें हैं जो महत्वपूण दिखाई देती हैं। एक यह है कि किसी ने अधिक कर दे दिया हो तो उसे 6 महीने में वापस किया जायेगा। और उसके बाद वापिस लौटाया जाय तो सरकार उस पर चार प्रतिशत सूद देगी।

एक अच्छा उपबन्ध यह है कि यदि कोई करदाता चाहे तो अपना सम्पत्ति-कर का मामला दूसरे अधिकारी के पास भिजवा सकता है।

विधेयक में कुछ और बातें भी अच्छी हैं लेकिन एक संशोधन ऐसा है जो किसानों के हितों को हानि पहुंचा सकता है। उदाहरण के लिए खंड (2)(ख)(ङ) में "owned or occupied" के स्थान पर "owned and occupied" करने का विचार है। इसका परिणाम यह होगा कि किसानों के हितों पर कुठाराघात होगा और उसके विपरीत शहर वालों के साथ पक्षपात होगा। किसी किसान का एक घर गांव में हो और दूसरा खेत में हो तो सम्पत्ति-कर अधिकारी उसे कर से मुक्त नहीं कर सकेगा।

उपखण्ड (च) के अन्तर्गत भी कृषकों को यही कठिनाई होगी। उसके अनुसार कर मुक्त भवन पर लिया गया कर्ज़ा सम्पत्ति कर की सीमा में से घटाया नहीं जायेगा। इससे किसानों की स्थिति खराब हो जायेगी। इस प्रश्न पर पुनः विचार करने की ज़रूरत है।

मैंने इस खण्ड में संशोधन नहीं रखे हैं लेकिन आशा है कि सरकार स्वयं इस प्रश्न पर फिर से विचार कर लेगी और समुचित संशोधन लाएगी जिससे कि किसानों को कठिनाई न हो। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मन्दसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस प्रकार के लम्बे विधेयकों को, जिन पर गहराई से अध्ययन की आवश्यकता हो, प्रवर समिति को सौंप दिया जाया करे तो अच्छा हो। सरकार अपने बहुमत के रोब में न रहे और ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर भली भांति विचार करे।

इस विधेयक की एक त्रुटि तो खंड 27 में है जहां दादरा, नगर हवेली, गोआ, दमन और देव पर बम्बई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार लागू किया गया है। गोआ पर तो ठीक है लेकिन दमन और देव तो गुजराती इलाके हैं और गुजरात के क्षेत्राधिकार में रहने चाहिएं।

खंड 18 का उपबन्ध दोषपूर्ण है। इसके द्वारा आय-कर और सम्पदा-कर अधिकारियों से अपने विवेक के प्रयोग की शक्ति वापिस ले ली जायगी। भूमि अधिग्रहण अधिनियम आदि में बाज़ार मूल्य की चर्चा की गयी है लेकिन इस विधेयक में मूल्य निर्धारण विहित नियमों के अनुसार होगा। मान लीजिए कि नियमों में यह व्यवस्था कर दी जाय कि शेयरों का मूल्य बाजार मूल्य

[श्री उ० मू० त्रिवेदी]

का पांच गुना आंका जायगा तो उस स्थिति में कर-निर्धारण का विवरण तैयार करते समय कोई व्यक्ति बाजार मूल्य से कर की राशि आंकेगा तो उस पर यह आरोप लगेगा कि उसने अपनी सम्पत्ति छिपाई है । इस खंड के उपखंड 5 का उपबन्ध स्वागत योग्य है जिसके अनुसार जुर्माना लगाने की प्रक्रिया शुरू होने के दो वर्ष बाद जुर्माना नहीं लिया जा गा । ऐसे ही उपबन्ध और शुल्कों—जैसे तम्बाकू शुल्क के सम्बन्ध में भी लागू करने चाहिएं । गरीब किसान हिसाब किताब नहीं रख सकते और उन्हें दस दस वर्ष बाद तम्बाकू पर शुल्क देना पड़ता है ।

खंड 31 बिल्कुल नया उपबन्ध है । इसके अनुसार इस विधेयक के अन्तर्गत कोई म मला चल रहा हो और करदाता उस सम्पत्ति को बेच दे या बन्धक रख दे, तो ऐसा हस्तान्तरण अवैध होगा । हो सकता है कि ऐसा मामला करदाता की जानकारी के बिना ही चल रहा हो, तो खरीदने और बेचने वाले दोनों के लिए मुसीबत पैदा हो जा येगी । इसलिए इसमें संशोधन करना चाहिए । केवल कर से बचने की नीयत से सम्पत्ति का हस्तांतरण किया जा रहा हो तभी करदाता को दंड का भागी बनाया जाना चाहिए ।

खण्ड 36 की ओर भी मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं । इसके द्वारा नयी धारा 37-क रखी जा रही है । जिसमें आय-कर अधिकारियों को बहुत अधिक अधिकार दिए गए हैं । इसमें यह सशोधन कर देना चाहिए कि वे लिखित और निश्चित जानकारी के आधार पर ही तलाशी ले सकें, नहीं तो रिश्वत का बाजार गर्म हो जा येगा ।

**श्री ब० बा० गांधी** (बम्बई नगर—मध्य दक्षिण) : आज इस बात की चर्चा करना कि सम्पत्ति-कर लगना चाहिए या नहीं बेतुकी सी बात है । इस पर संस द फैसला कर चुकी है । यह सीधा सादा विधेयक है और इसके द्वारा सम्पत्ति शुल्क का ढांचा आय-कर के ढांचे के अनुसार बनाया जा रहा है ।

खंड 7 में उपबन्ध है कि सम्पत्ति का मूल्य नियमों के अनुसार आंका जायगा । बाजार भाव से मूल्य आंकने में ही कठिनाई होती है तो नियमों के अनुसार मू यांकन से करदाताओं को बड़ी कठिनाई होगी । मूल्यांकन ठीक ढंग से नहीं किया जाता और अधिकारी प्रत्यक्ष कर बोर्ड की हिदायतों के अनुसार मूल्यांकन करते हैं । आजकल तो अपील बोर्ड कुछ उदार दृष्टिकोण अपनाते हैं, इस विधेयक के बाद भी वे नियमों में जकड़े जायेंगे । सरकार को चाहिए कि नियमों को लागू करने से पहले सरकार उनका मसौदा ससद और अन्य सम्बद्ध संस्थाओं के सामने रखे ।

खंड 18 में जुर्माना लगाने की शक्ति सम्पत्ति-कर अधिकारी, अपीलीय सहायक कमिश्नर, सम्पत्ति-कर कमिश्नर और अपीलीय ट्रिब्युनल इन सभी को है । सम्पत्ति-कर का ढांचा आय-कर के अनुसार बनाना हो तो कमिश्नर और ट्रिब्युनल को ऐसी शक्ति नहीं होनी चाहिए । इन्हें अपील सुनने का ही अधिकार होना चाहिए ।

खण्ड 18 में जो व्याख्या दी गयी है उससे तो स्पष्ट है कि चाहे कर-दाता का धोखा करने का इरादा न हो और सम्पत्ति के मूल्यनिर्धारण में उसमें और सम्पत्तिकर अधिकारियों में मतभेद हो कानून की दृष्टि से वह दोषी ठहराया जायगा ।

केवल इसलिए कि ऐसा उपबन्ध आयकर कानून में भी है, सम्पत्ति-कर कानून में भी यह हो, यह तर्क ठीक नहीं है क्योंकि आय और सम्पत्ति की परिभाषायें ही भिन्न हैं । आय को सम्पत्ति की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह आंका जा सकता है ।

**श्री काशीराम गुप्त** (अलवर) : मैं समझता हूं कि कर-अपवचन को रोकने का एक मात्र तरीका यही है कि सम्पत्ति की सीमा लागू कर दी जाय। भू-सम्पत्ति को निरुत्साहित करना चाहिए लेकिन जो सम्पत्ति से अपनी जीविका चलाते हों उनके साथ नरमी का बरताव करना चाहिए। सोने और आभूषणों पर भारी कर लगाना चाहिए और उन्हें निरुत्साहित करना चाहिए। सम्पत्ति-कर की सीमा घटा कर 1 लाख कर दी गयी है ; इससे उन लोगों को कठिनाई ह गी जो कि अपना हिसाब किताब ठीक नहीं रख सकते। इसलिए सम्पत्ति-कर के प्रयोजनों के लिए सम्पत्ति को श्रेणीबद्ध करना चाहिए। सभी को एक ही लाठी से हांकना ठीक नहीं।

खंड चार में संशोधन करना चाहिए कि कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति पत्नी और बच्चों के नाम कर दे तो कर निर्धारण के समय उस बात का ध्यान रखा जाय। 'Adequate Consideration' शब्द इस खंड में से हटा देना चाहिए।

खंड 10 में 'डायरेक्टर आफ इंस्पेक्शन' नाम के अधिकारी की व्यवस्था की गयी है। इसका क्या काम होगा और क्या योग्यताएं—माननीय मंत्री को इस सम्बन्ध में प्रकाश डालना चाहिए।

विधेयक के पृष्ठ 12 पर 80 प्रतिशत की सीमा का उल्लेख है। मैं समझता हूं कि सम्पत्ति-कर अधिनियम में यह बात उचित नहीं है आय-कर में चाहे मुनासिब रही हो। यह सीमा 3 लाख से ऊपर की सम्पत्ति पर लागू होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में विमुक्ति के लिए विशेष और स्पष्ट व्यवस्था कर दी जानी चाहिए।

मूल्यांकन कर्ताओं में से एक भी अपनी रिपोर्ट न दे तो ट्रिब्युनल अपना काम जारी रखेगा। मैं समझता हूं कि यदि सरकारी मूल्यांकन-कर्त्ता अपनी रिपोर्ट न दे तो करदाता के प्रतिनिधि की रिपोर्ट मान ली जानी चाहिए।

सरकार को यह देखना चाहिए कि ग्रामीण सम्पत्ति का मूल्यांकन करने की कोई विधि निकाली जाय। नियम बनाते समय ग्रामीण सम्पत्ति का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।

मैं किसी हद तक विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि कर अपवंचन को रोकने के लिए यह जरूरी है, और यह भी देखना है कि लोग सरकार को धोखा न दे सकें।

**श्री रा० गि० दुबे** : मैं श्री हीरेन मुकर्जी की कुछ बातों से सहमत हूं जो उन्होंने इस विधेयक के सम्बन्ध में कही हैं। मैं समझता हूं कि अब वह समय आ गया है जब कि इस सभा को यह फैसला करना है कि हम धनी वर्ग का ही कल्याण करना चाहते हैं या जनता जनार्दन का जिसे भरपेट खाना भी नहीं मिलता।

हमारे व्यापारियों का आचार इतना गिरा हुआ है जितना और कहीं नहीं ; मिलावट करने में उनकी प्रवीणता से ही यह बात स्पष्ट है। जब एक ओर करोड़ों लोग भूखे मर रहे हों, व्यापारियों को इतना अधिक मुनाफा कमाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

[श्री रा० गि० दुबे]

मुझे इस बात की खुशी है कि जिन्हें आय-कर देना चाहिए उन से कर वसूल करने की चेष्टा की जा रही है और छिपा धन निकालने की कोशिशें भी हो रही हैं।

(डा० सरोजिनी महिषी पीठासीन हुईं
Dr. Sarojini Mahishi in the Chair.)

मैं श्री पटेल और अन्य लोगों से इस बात में सहमत हूं कि विधेयक में कुछ ऐसे उपबन्ध हैं जिनसे निर्दोष व्यक्तियों को परेशानी हो सकती है लेकिन यह कठिनाई तो सभी कानूनों में होती है।

हमें चाहिए कि अपनी कानूनी व्यवस्था को नया रूप दें। कानून जल्दी में पास न किए जायें। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करत हूं।

**Shri Bagri :** Though it looks that the funds collected by way of taxes from the idle rich would be utilized for the benefit of the masses, in reality it is not so. The Government always thinks of their own interest rather than that of the common man.

The extent of poverty in our country is such that 37 crores of people do not get two square meals a day. That can be removed only through industrial progress. In spite of the tall claims made by the ruling party in that regard no Minister has as yet cared to give figures supporting the particular place that India has in industry in the world.

Government should see that the collection of taxes was limited to the 45 lakhs of people in the country who claim one third of the total national income. They should show the same enthusiasm in collecting taxes and recovering arrears from the upper income brackets that they show in recovery of taxes from the poor farmers. Whenever the Government succeeds in collecting some arrears they announce the fact with great fanfare as if that is a great achievement. Everybody knows that the Government is weak and is unable to take any action against the industrialists who engage in tax evasion on a large scale.

The Government talks of the emergency created by the Chinese invasion; they also express their concern on the situation created by Pakistani activities. They also talk of the danger posed by the manufacture of an atomic device by the Chinese. But I would to submit that unless we are industrially developed we would not be able to meet any of those challenges. Hungry stomachs cannot countenance the talk of an atomic bomb. The cost of an industrial complex required for the manufacture of an atomic bomb would be huge and we could have that only when we are sufficiently developed in the industrial field. We can't build a palace on sand; it must have firm foundations. In the same manner the talk of an atomic bomb in our present industrial state is just so much of moonshine.

We must ensure that the common man is freed from the exploitation of the capitalists. Tax should be imposed on a person's total income, the perquisites should not be exempt from taxation.

Strong steps should be taken to realise the arrears of taxes before fresh ones are imposed.

While on the one hand any demand by low paid employees for increased dearness allowance is met with refusal, the Members of Parliament had no difficulty in giving themselves a raise

We must raise another three to four million tons of foodgrains annually if we want to feed our people. Agricultural lands must, therefore, be free from taxes, Farmers having holdings upto 6 acres should be exempt from all types of tax burdens,

**श्रीमती रेणुका राय** (माल्दा) : मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं जिस का उद्देश्य सम्पत्ति कर अधिनियम को आय कर अधिनियम के अनुरूप बनाना है । इस से प्रकट है कि सरकार गंभीरतापूर्वक इस टैक्स को लागू करना चाहती है ।

कर उगाहने और कर अपवंचन करने वालों से निबटने के लिए हमें अपने कानून को अधिक कड़ा बनाना होगा । जब कभी सरकार कोई कड़ा कदम उठाती है तो शोर मचता है और परेशानी की शिकायत की जाती है । यह कहना हमारे बजट के उद्देश्यों के विपरीत होगा कि आय कर और सम्पत्ति कर अधिकारियों को अधिक शक्तियां न दी जायं । श्री मसानी कहते हैं कि बजट उद्योगों को समाप्त कर देना और कम्युनिस्टों का कहना है कि उद्योगपतियों को अधिकाधिक रियायतें दी जा रही हैं । मैं समझती हूं कि सच्चाई इन दोनों सीमाओं के बीच है ।

हमारे देश में मिली जुली अर्थ व्यवस्था है और सरकार ने पूंजीपतियों को जो अवसर प्रदान किया है उन्हें उस से लाभ उठाना चाहिए । हम जनतंत्र के साधनों से समाजवाद लाना चाहते हैं और बजट तथा कई विधेयक इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हैं ।

खण्ड 19 का उपबन्ध बहुत अच्छा है किसी की वसीयत के निष्पादक को कार्यवाही करने का अधिकार न हो तो बड़ी कठिनाई होती है । वित्त मंत्री ने इस का अच्छा प्रबन्ध कर दिया है ।

जहां तक खण्ड 18 का सम्बन्ध है, सम्पत्ति के मूल्यांकन में सरकार और करदाता के बीच मतभेद होने से कर दाता को कठिनाई हो सकती है । इस की व्यवस्था नियमों में की जानी चाहिए ।

मुझे तो इस विधेयक में कोई भी चीज़ आपत्तिजनक नहीं मालूम होती । यह तो पहले ही लाया जाना चाहिए था ।

**श्री नम्बियार** (तिरुचिरापल्लि) : श्री देसाई ने सम्पत्ति कर हटा दिया था और यह लगाया जा रहा है, इस से दस करोड़ रुपये की आय होगी जो टैक्स उगाहने पर ही खर्च हो जायगी । इसलिए इस विधेयक से कोई विशेष लाभ नहीं होगा ।

सम्पत्ति कर का आधारभूत सिद्धांत यह है कि जिस व्यक्ति ने थोड़े ही समय में करोड़ों रुपये जमा कर लिए हों उसे वह आप रखने का अधिकार नहीं और वह टैक्सों के द्वारा उस से ले ली जानी चाहिए । प्रश्न यह है कि क्या इस विधेयक से उस उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी और देश में समाजवाद आ सकेगा ?

आज देश में कर अपवंचन का बोल बाला है । हाल ही में पुलिस ने कुछ लोगों के घरों पर छापे मारे । उस से ऐसा लगता था कि सरकार काला धन उगलवा रही है । लेकिन वह वास्तविक राशि का छोटा सा अंग मात्र है । देश में हजारों करोड़ रुपये का काला धन है । और सम्पत्ति कर भी बहुत कम लगाया जा रहा है ।

[श्री नन्दियाल]

श्री मसानी कहते हैं कि धनाढ्य लोगों को परेशान किया जा रहा है लेकिन वास्तव में उन्हें रियायतें दी गयी हैं । खण्ड 15 से यह बात सर्वथा स्पष्ट है । भारत की परिस्थितियों को देखते हुए कौन सा सम्पत्ति कर अधिकारी होगा जो किसी पर जुर्माना करेगा । इसके अतिरिक्त दण्ड की राशि 50 प्रतिशत से अधिक नहीं है । कोई भी धनी व्यक्ति जान-बूझ कर करापवंचन कर सकता है और केवल 50 प्रतिशत दण्ड देकर छूट सकता है । यह दण्ड काफी नहीं है । यदि दण्ड अधिक कठोर हो, अपवंचित राशि का पांच या दस गुना या छै मास या एक वर्ष तक की सजा का उपबन्ध हो तो करदाता ठीक आय बतायेगा ।

माननीय मंत्री करदाता और जनसाधारण दोनों के मित्र बनना चाहते हैं । परन्तु ये दोनों बातें साथ साथ नहीं चल सकतीं । छिपा हुआ धन निकालने के लिये आपको अधिक कठोर उपाय करने होंगे । संसद् आपके पीछे है । धनियों पर कर लगाये बिना आप अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के लिये धन नहीं प्राप्त कर सकते । इसलिये आपको इस अवसर से नहीं चकना चाहिये ।

श्री मसानी ने कहा था कि धारा 18 की व्याख्या से लोगों को बड़ी परेशानी होगी । यदि आप इस सारी धारा को ध्यान से पढ़ें तो आप देखेंगे कि यह तो करापवंचकों के हित में है । इस में यह रियायत दी गई है कि करापवंचक को यह सिद्ध करने का अवसर दिया जायेगा कि उस का इरादा धोखा देने का नहीं था । इस त्रुटि के कारण वह बच सकता है ।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस संशोधक विधेयक से कई सन्तुष्ट नहीं हूं । मैं यह सुझाव दूंगा कि इस विधान को बहुत कड़ाई से लागू किया जाये और यदि आवश्यक हो, तो बाद में करारोपण की दर बढ़ा दी जाये, अन्यथा फरवरी, 1965 में बजट के समय बड़ी कठिनाई होगी । आजकल देश बड़े संकट में है इसलिये ठीक वित्तीय तरीकों को अपनाकर वे देश को बचा सकते हैं।

**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं यद्यपि मेरी यह सच्ची राय है कि इस देश में जो सबसे अधिक निरर्थक विधान बनाया गया है वह धन-कर अधिनियम है । मुझे प्रसन्नता है कि यह संशोधक विधयक यथासम्भव व्यापक बनाया गया है और इसका अच्छा परिणाम होगा ।

यह सच है और अच्छा भी है कि धन-कर संशोधन विधयक प्रत्यक्ष कर जांच समिति की सिफारिशों के अनुसार बनाया गया है । परन्तु मेरी यह इच्छा है कि माननीय वित्त मंत्री को महलनवीस समिति की रिपोर्ट को भी ध्यान में रखना चाहिये था जिसमें यह कहा गया है कि अधिकांश धन कुछ थोड़े से लोगों के हाथ में चला गया है । मुझे सन्देह है कि हम इस धन-कर अधिनियम के द्वारा इस अवैध रूप से प्राप्त किये गये धन को वसूल कर सकेंगे ।

मैं काले धन या छिपे हुए धन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस धन की बात कर रहा हूं जो दो पंचवर्षीय योजनाओं को क्रियान्वित करने से लोगों की जेबों में चला गया है। श्री महलनवीस ने हमें बताया है कि कितने लोगों को इससे लाभ पहुंचा है। मुझे इस में सन्देह है कि वे सब व्यक्ति इस विधयक की पकड़ में आ जायेंगे। खैर, इससे कुछ पैसा तो उन लोगों से वसूल होगा ही जो अधिकांश देशवासियों का भाग लेकर धनी हो गये हैं। परन्तु सब कुछ इसे क्रियान्वित करने पर निर्भर करता है।

इसे विधेयक के पृष्ठ 12 पर अधिकारियों की एक लम्बी सूची गिनाई गई है जैसी कि विश्व के विभिन्न सम्प्रदायों में होती है। मुझे आशा नहीं कि धन-कर अधिनियम के जाल में फंसी हुई कोई मछली रह भी सकेगी। इस विधेयक में यह दोष है कि इसमें बहुत अधिक अफसर रखे गये हैं। एक धन-कर पदाधिकारी ही काफी था। और फिर अपीलीय न्यायाधिकरण भी है।

**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : आय-कर पदाधिकारी का नाम धन-कर पदाधिकारी रख दिया गया है।

**श्री दी० चं० शर्मा** : मैं विधेयक के पृष्ठ 12 की ओर निर्देश कर रहा था। इस विधयक के अन्तर्गत आपने बहुत से पदाधिकारी रखे हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से न्यायिक निकाय भी हैं, जिससे यह और पेचीदा हो जायेगा और चतुर करदाता इसके फन्दे से निकल भागेंगे।

तीसरे, मेरे ख्याल में मूल्यांकन करने वाले को इस विधेयक के अधीन बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना है। परन्तु पृष्ठ 18 पर आपने उस पर बहुत सी पाबन्दियां लगा दी हैं। इस विधेयक के चार खण्डों द्वारा उसकी शक्तियां इतनी सीमित कर दी गई हैं और उसे इतना पंगु बना दिया गया है कि मुझे भय है कि वह इस अधिनियम के अधीन भली प्रकार काम भी कर सकेगा!

मुझे प्रसन्नता है कि पृष्ठ 27 पर खण्ड 36 में करापवंचन की प्रेरणा करने वालों के लिये भी व्यवस्था की गई है। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि छोटे आदमियों को परेशान न किया जाये, हमें उन्हीं को बचाना है, क्योंकि बड़े आदमियों को तो सरकारी अफसरों से कोई डर है ही नहीं।

पृष्ठ 44 पर खण्ड 30 के नोट में धोखे के मामलों के बारे में व्यवस्था की गई है, परन्तु इस पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत है।

यह विधेयक अच्छा है। सरकार ने इस बात का हर प्रयत्न किया है कि किसी को परेशान न किया जाये और करदाता के साथ न्याय किया जाय, परन्तु इस विधेयक को कार्यान्वित करने के लिये चुने हुए अफसर चाहियें जो बड़े-बड़े लोगों से, जिनके लिये यह विधेयक बनाया गया है, निबट सकें। मैं यह कहना चाहता हूं कि विधेयक में कई छिद्र हैं।

**श्री नारायण वांडेकर** : आजकल प्रजातंत्रवादी समाजवाद और आत्म-निर्भर अर्थ-व्यवस्था के नाम पर इस देश में जो कानून बनाये जा रहे हैं वे स्पष्ट रूप से साम्यवादी कानून हैं इस प्रकार का न्याय साम्यवादी देशों में ही चलता है।

[श्री नारायण दांडेकर]

वर्तमान धन-कर अधिनियम की धारा 7 में मूल्यांकन की बड़ी सीधी-सादी और न्याययुक्त परिभाषा दी हुई है, यद्यपि कभी-कभी इसे कार्यान्वित करने में कठिनाई होती है । इस अच्छे भले मूल्यांकन के सिद्धान्त को इस विधेयक के खण्ड 7, उप-खण्ड (क) द्वारा नष्ट करने की कोशिश की जा रही है । मुझे समझ नहीं आता कि बाजार मूल्य का निर्धारण केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड द्वारा बनाये जाने वाले नियमों के अधीन कैसे किया जा सकता है । मूल्यांकन या तो केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन किया जा सकता है, इस अवस्था में हम नियमों को देख सकते हैं, या बाजार भाव पर किया जा सकता है । वस्तुतः यह कुछ धोखा देने वाला कानून है ।

मैं जानता हूं कि कुछ चीजों का मूल्यांकन करना बहुत कठिन है, जैसे उन कम्पनियों के अंश जिनके सौदे स्टाक एक्सचेंज में नहीं होते । इसलिये यदि "बनाये गये नियमों के अधीन" शब्द उन्हीं पर लागू होते और शेष पर वर्तमान धारा लागू होती तो मैं इसे मान लेता । परन्तु वर्तमान स्थिति के अनुसार सम्पूर्ण धारा 7 ही खत्म हो जायेगी यदि मूल्यांकन कर निर्धारण तथा राजस्व उगाहने वाले अधिकारी द्वारा अपने आप बनाये गये नियमों के अधीन किया जायेगा । यदि इस खण्ड को इन कुछ खास कठिनाइयों को दूर करने के लिये संशोधित कर दिया जाये तो मैं इसका समर्थन करूंगा ।

खण्ड 18 और उसकी व्याख्या के अनुसार, जिसमें साम्यवादी न्यायशास्त्र को निरूपित किया गया है, करदाता को न केवल यह सिद्ध करना होगा कि उस ने अपनी सारी सम्पत्ति का ब्यौरा बता दिया है अपितु यह भी कि उसके द्वारा बताया गया मूल्यांकन निर्धारित मूल्य के 20 प्रतिशत से कम न हो । यदि वह यह सिद्ध न कर सके तो उसे यह सिद्ध करना होगा कि उसने जान बूझ कर घोर उपेक्षा, या घोर असावधानी या धोखा नहीं किया है । मुझे यह बिल्कुल समझ में नहीं आता ।

अन्त में खण्ड 33 में अनिवार्य कारावास का प्रश्न है । मजिस्ट्रेट पर यह दायित्व डाला गया है कि वह विशेष और अनिवार्य बताये जिनकी वजह से वह अनिवार्य रूप से कारावास का दण्ड नहीं देना चाहता । मुझे नहीं मालूम कि कौन ऐसा मजिस्ट्रेट होगा जो उन विशेष और अनिवार्य कारणों को लिखने का दायित्व अपने ऊपर लेगा जिनकी वजह से वह न्यूनतम कारावास के दण्ड के संविहित उपबन्ध के विरुद्ध निर्णय कर रहा है । इस प्रकार के कानून रूस और खास तौर से चीन तथा सारे साम्यवादी संसार में बनते हैं । यह मेरे लिये अति घृणास्पद, अप्रजातांत्रिक तथा विधि-विधान और मूलभूत अधिकारों के सर्वथा विपरीत है ।

मेरा यह निवेदन है कि इस विधेयक का सामान्य उद्देश्य तो अच्छा है । परन्तु यदि इसे प्रवर समिति को सौंपा जाता तो करापवंचक भी पकड़े जाते और विभाग के पास उपयुक्त व्यवस्था और शक्तियां भी हो जातीं । परन्तु यह विधान जल्दबाजी में बनाया गया है और इस पर अच्छी प्रकार विचार नहीं किया गया और इस में सिवाय संशोधन पेश करने के, जो निश्चय ही अस्वीकृत हो जायेंगे, और कोई चारा नहीं है । यह तो दीवार में अपना सिर फोड़ने के समान है । मुझे खेद है कि इन कारणों से मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

**डा० मा० श्री० अणे** (नागपुर) : सभानेत्री जी, यह विधेयक बहुत अच्छा है और मैं इसका समर्थन करता हूं । इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य धन-कर अधिनियम को आय-कर अधिनियम के अनुकूल बनाना है और यह अच्छा है तथा इन दोनों की प्रक्रिया भी एक जैसी होनी चाहिए ।

रिपोर्टों को पढ़ने से यह पता लगता है कि इस देश में बहुत अधिक करापवंचन होता है, सरकार को इस के प्रति अधिक सजग होना चाहिए । लोगों में, चाहे छोटे हों चाहे बड़, करापवंचन की पुरानी प्रवृत्ति है । परन्तु छोटे लोगों की इस प्रवृत्ति को माफ कर दिया जाता है, क्योंकि उससे मामूली नुकसान् होता है और बड़े लोगों के करापवंचन से सरकार को बड़ी कठिनाई होती है और देश की प्रगति तथा उन्नति का काम नहीं हो सकता ।

मुख्य बात यह है । क्या करापवंचन पर्याप्त अफसर न होने के कारण होता है अथवा पर्याप्त शक्तियों के न होने से होता है ? मेरी राय में यह साफ नहीं बताया गया है कि सरकार इस विधेयक द्वारा अधिक शक्तियां लेना चाहती है या कर-संग्रह की व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाना चाहती है । जिन लोगों को कर-संग्रह का काम सौंपा गया है जब तक उनका नैतिक परिवर्तन नहीं होगा तब तक करापवंचन नहीं रुक सकता । जब तक देश से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक आप चाहे कोई कानून बनाते जाइये उससे कोई लाभ नहीं होगा । ये बड़े अफसर कानून के उस बर्तन में एक छिद्र के समान हैं जिस में आप पानी भरना चाहते हैं ।

मेरा यह सुझाव है कि आप न केवल पर्याप्त शक्तियां और अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति के पर्याप्त धन प्राप्त करें अपितु आप को ऐसे चतुर बुद्धि वाले व्यक्ति भी ढूंढने चाहियें जिन्हें उन व्यापारियों और बड़े आदमियों के सब रहस्य पता हों जो करापवंचन करते हैं । इस प्रकार सफलता प्राप्त करने में मैं पूर्णतया उनके साथ हूं ।

यह अच्छा विधेयक है। परन्तु इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके लिये न्यायशास्त्र के प्राथमिक सिद्धान्तों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये और न्याय तथा विधि-विधान का ध्यान रखा जाना चाहिये । कानून का शासन तभी चल सकता है जब विधि-निर्माता और विधान का पालन करने वाले न्याय-शास्त्र के सिद्धान्तों का आदर करें । अतः इस दृष्टि से मैं अपने मित्र श्री मसानी से सहमत हूं ।

खंड 18 की व्याख्या में यदि सम्पत्ति के मूल्यांकन की कोई वास्तविक कसौटी दी जाती तो मुझे इस पर कोई आपत्ति न होती । यद्यपि इसमें परिभाषा तो दी हुई है परन्तु उसे बाद में बनाये जाने वाले नियमों के अधीन कर दिया गया है । यह तो बाद में आयेगी । इस बीच सम्पत्ति का मूल्य निर्धारित करने के लिये पदाधिकारी मनमानी कर सकेगा । यदि दोनों के मूल्यांकन में कोई अन्तर होगा तो यह माना जायेगा कि मैंने जान-बूझ कर अपनी सम्पत्ति को छिपाया है और मुझे अपराधी समझा जायेगा तथा यह सिद्ध करना होगा कि मैं निर्दोष हूं । यह तो न्याय-शास्त्र का जनाजा निकालना है । कोई भी व्यक्ति अपने मानदण्ड से मूल्यांकन करेगा, जब तक कि आप उसे और कोई मानदण्ड न बतायें । इसलिये उसमें अन्तर होना स्वभाविक है । मेरी राय में उसे दोषी ठहराना, जैसाकि व्याख्या में किया गया है, सब उचित और न्यायपूर्ण नियमोंके [illegible] ।

[डा० मा० श्री अणे]

अतः मेरा यह निवेदन है कि यद्यपि मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं तथापि मैं माननीय मंत्री से यह आशा करता हूं कि वे इस बात का ध्यान रखेंगे कि करदाता का उत्साह बढ़े और साथ ही इस विधेयक को कार्यान्वित करने में लोगों के साथ अन्याय न हो।

**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : सभानेत्री जी, विधेयक पर चार घंटे की बहस मेरे लिये काफी शिक्षाप्रद रही है। स्वतंत्र दल के उप-नेता ने अपना भाषण बड़े क्रोध और आवेश के साथ आरम्भ किया था, परन्तु उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिसका मैं उत्तर दे सकूं।

मेरे माननीय मित्र श्री हीरेन मुकर्जी ने इस विधेयक का जो समर्थन किया है उसे देख कर मुझे आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी हुई। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि हमें एक विधायक के नाते जहां कहीं सम्भव हो अपने दल गत मत-भेदों को भुला देना चाहिये। उन्होंने एक बात जो कही उसे मैं दोहराना चाहता हूं हम कोई सुसम्पन्न समाज नहीं बना रहे हैं। यह तो बड़ी दूर की चीज़ है। हम तो केवल यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि धनवान अधिक धनी न बनें जिससे सब आराम से रह सकें। इस में समाजवाद या साम्यवाद का कोई सवाल नहीं है।

हमारे देश में सभी वर्गों के लोग, सब से ऊंचे वर्ग के लोगों को छोड़ कर, एक ऐसे संकटकाल से गुजर रहे हैं जब कि पेट भरना मुश्किल हो रहा है। आजकल हमारे सामने ऐसे लोगों की तस्वीर है जो और भत्ते, और महंगाई भत्ते मांगते हैं, इसलिये नहीं कि अपने जीवन का स्तर ऊंचा उठा सकें, अपितु इसलिये कि जी सकें और इस सब का बोझ समाज पर पड़ता है। यदि उद्योगों को अपने यहां काम करने वाले आदमियों को अधिक महंगाई भत्ता देना पड़ता है तो उसका असर चीजों पर पड़ता है उनकी लागत बढ़ जाती है। आजकल जो कुछ हो रहा है उसका असर अर्थ-व्यवस्था पर पड़ता है और उसका कारण लोगों की मनमाने ढंग से कीमतें चढ़ाने और धन कमाने की प्रवृत्ति है। आजकल मांग और सम्भरण का नियम नहीं चल रहा है। अर्थ व्यवस्था का कोई नियम नहीं लागू होता है। आजकल तो जंगल का नियम प्रचलित है। इसलिये मेरे मित्र का यह कहना ठीक था कि सुसम्पन्न समाज बनाने का प्रयत्न करना बेकार है। यह इंग्लैण्ड में हो सकता है, शायद अमरीका में भी हो सकता है, परन्तु यहां तो अभी बहुत देर तक इसकी कोई आशा नहीं है। हम तो केवल लोगों को अपरिग्रही बना कर उनके लिये अच्छे जीवन यापन की व्यवस्था कर रहे हैं।

मेरे ख्याल में मेरे माननीय मित्र ने जो व्याख्या की है उसके लिये कांग्रेस दल उनका धन्यवाद करता है। यही इस विधान का आधार है। श्री मसानी चाहें जो कुछ कहें, परन्तु आजकल हम जिस परिस्थिति में रह रहे हैं वह बहुत ही भयंकर है और मैं सभा को यह कह सकता हूं कि यदि ऐसी स्थिति कुछ दिन जारी रहने दी गई तो विधि और विधान तथा न्यायशास्त्र के प्रति लोगों में आदर की भावना खत्म हो जायेगी, जिसे कि मेरे आदरणीय मित्र डा० मा० श्री० अणे अक्षुण्ण बनाये रखना चाहते हैं। भूखा पेट कानून की परवाह नहीं करता। आजकल स्थिति अत्यन्त गम्भीर है।

जैसाकि मैं ने आरम्भ में कहा था, यह कानून आय-कर कानून के मुताबिक है 40 खण्ड तो बिल्कुल आय-कर कानून के अनुसार हैं जिसे सभा स्वीकार कर चुकी है और नौ नये उपबन्ध जो हम ने रखे हैं वे ऐसे हैं जिन्हें श्री नम्बियार धनियों के लिये लाभप्रद कहेंगे ।

खण्ड 2 (ख)(1) में यह स्पष्ट किया गया है कि केवल वह मकान मुक्त होगा जिसका किसान मालिक हो और जिस में वह रहता हो। यदि इस पर कोई आपत्ति हो, तो यह कोई बहुत गम्भीर विषय नहीं है। खण्ड 2 (ख)(2) में यह स्पष्ट किया गया है कि छै वर्ष की अवधि तब से गिनी जायेगी जब से करदाता उसका मालिक बना हो । ये नौ के नौ उपबन्ध करदाता के लाभ के लिये हैं ।

मेरे माननीय मित्र श्री मसानी ने कहा कि मैंने इस विधेयक पर अच्छी प्रकार विचार नहीं किया और जो कुछ मेरे सामने रखा गया उसे स्वीकार कर लिया । इसी कारण मुझे इतनी जल्दी इस में संशोधन प्रस्तुत करना पड़ा। माननीय सदस्य कृपया इस संशोधन को पढ़ें। यदि इस संशोधन को स्वीकार न किया जाये तो कोई हानि तो नहीं होगी परन्तु करदाता के साथ अन्याय अवश्य होगा। जब मैं अपना भाषण तैयार करते समय धाराओं को फिर से पढ़ रहा था तो मैं ने देखा कि हस्तान्तरण पर जो प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है वह नहीं होना चाहिये, यदि किसी ने हस्तान्तरण किया हो और कर चुका दिया हो। यह मेरी गलती अवश्य थी कि मुझे यह पहले नहीं सूझा। मनुष्य कोई चीज़ पूर्ण नहीं बना सकता ।

16.48 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*)

अच्छे से अच्छे कानून में भी सुधार किया जा सकता है। यह गलती थी मैंने इसे सुधार दिया, मेरा इतना ही दोष है। यदि किसी ने हस्तान्तरित सम्पत्ति पर उपहार कर दे दिया होता तो धन-कर पदाधिकारी उससे धन-कर ले सकता था। इसी कारण इसमें यह संशोधन किया गया है। दूसरे, यह ऐसा मामला हो सकता है जो उपहार-कर की सीमा से मुक्त हो, इसलिये इसे कानूनन छूट मिल सकती है। इसलिये जिसकी कानून से इजाज़त है उसके साथ धन-कर अधिनियम के अधीन अन्यथा व्यवहार करना उचित नहीं है।

मेरे माननीय मित्र श्री मानसिंह पृ० पटेल ने एक आपत्ति उठाई है। मेरे खयाल में उनकी आपत्ति अब बिल्कुल वैध नहीं है, क्योंकि हरेक के लिये एक मकान की छूट दे दी गई है। जहां तक धन-कर का सम्बन्ध है, वित्त अधिनियम, 1964 के अधीन हम ने इसके लागू होने की दर घटा दी है अर्थात् 2 लाख रुपए से घटा कर 1 लाख रुपये कर दी है परन्तु हमने 1 लाख रुपये तक की कीमत के एक मकान को चाहे उस की कीमत कितनी ही हो कर-मुक्त करने का उपबन्ध कर दिया है। मेरे ख्याल में अधिकांश मामले इस में आ जायेंगे। मैं यह कहने को तैयार हूं कि मैं उस खण्ड को निकाल दूंगा। परन्तु मेरे माननीय मित्र श्री मी० रु० मसानी इस पर आपत्ति करेंगे। यदि किसी माननीय सदस्य को बेचैनी हो, तो मैं खण्ड 2 (ख)(1), या दूसरे शब्दों में पृष्ठ 2 की पंक्ति 7 और 8 को निकाल देने को तैयार हूं।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारं [

सबसे अधिक आपत्ति खण्ड 18 की व्याख्या पर उठाई गई है। यह व्याख्या आय-कर अधिनियम के अनुसार है जिसमें आपको कर-निर्धारण के विषय में 20 प्रतिशत तक ग़लती करने की छूट है। परन्तु गोंडा के माननीय सदस्य ने, जिनको इस विषय का अद्वितीय ज्ञान है, आपत्ति तो इस पर उठाई, परन्तु वे चले गये खण्ड 7 पर और उन्होंने देखा कि उसमें हमने मूल्यांकन का तरीका निर्धारित करने के सम्बन्ध में नियम बनाने के लिये शक्ति प्राप्त की है। परन्तु उन्हें केवल यही ग़लती मिली कि 'आपने नियम बनाने की शक्ति के सम्बन्ध में जो शब्दावलि प्रयोग की है वह बहुत व्यापक है।' मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि जो कोई भी नियम बनाये जाते हैं वे एक निश्चित अवधि के अन्दर सभा-पटल पर रखे जाते हैं और सदस्यगण उन पर सभा में चर्चा उठा सकते हैं। इसलिये विभाग द्वारा ये नियम बड़ी सावधानी से बनाये जाते हैं। खण्ड 7 को संशोधित करके नियम बनाने की शक्तियां मैंने उन्हीं की बातों को सुन कर रखी थीं।

उन्होंने स्वयं उन कम्पनियों के अंशों का उल्लेख किया था जो स्टाक एक्सचेंज पर नहीं बिकते। मैंने यह अनुभव किया कि इन लोगों को उनके हिस्से से वंचित किया जा रहा है, जो कि अनुचित है। इसलिये हमें इनका मूल्यांकन करने की कोई कसौटी निर्धारित करने के लिये नियम बनाने चाहियें। ऐसा न करने से लाभांश पर निर्वाह करने वाले धन विनियोजक को हानि होती इसी कारण यह उपबन्ध किया गया है।

इसीलिये हमने नियम बनाने की शक्ति ली है और धारा 18 की व्याख्या में यही है। मेरे विचार में श्री व० बा० गांधी का एक और संशोधन करने से, जो वर्तमान उपबन्ध का निराकरण करने वाला है, कोई लाभ नहीं होगा। व्याख्या एक का निराकरण करने के लिये व्याख्या दो रखने की बजाय व्याख्या का लोप ही कर दिया जाये।

अत: मैं अपने माननीय मित्र श्री दाण्डेकर से कहूंगा कि जब नियम बनें और सभा-पटल पर रखे जायें तो उन्हें ध्यान से देखें और यदि वे कोई आलोचना करेंगे तो मैं अवश्य उसे सुनूंगा। हम उस पर चर्चा कर सकते हैं या वे मुझे पत्र लिख सकते हैं। प्रत्येक सदस्य को नियमों पर चर्चा करने का अधिकार है। मैं सभा को यह बता दूं कि नियम सावधानी से बनाये जायेंगे जिससे किसी को कठिनाई न हो और साथ ही राजस्व की हानि भी न हो।

मुझे इस बात से बड़ी खुशी हुई कि प्रोफेसर मुकर्जी ने विभाग की प्रशंसा की। हमने यह हिदायत दी हुई है कि बड़ी नम्रता से व्यवहार करें। मैं समझता हूं कि नवयुवक पदाधिकारी बड़ी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं।

करदाताओं के आंकड़ों का उल्लेख किया गया था। 31-3-62 को करदाताओं की संख्या 12,00,367 थी; 31-3-63 को 13,08,854; 31-3-64 को 15,59,149 और 30 सितम्बर को 17,24,739 थी। मुझे आशा है कि वर्ष के अन्त तक यह संख्या 20 लाख तक पहुंच जायेगी। चतुर्थ योजना के लिये हम बहुत ऊंचा लक्ष्य रखने की आशा करते हैं। हमने कई मामलों में देखा है कि न केवल छोटे समझे जाने वाले लोगों की आमदनी अधिक है; अपितु ऐसे बड़े लोग भी हैं जो अभी तक पकड़े नहीं गये हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने बकाया राशि का उल्लेख किया था। वसूली में काफी वृद्धि हुई है; गत वर्ष के बजट में 440 करोड़ रु० का उपबन्ध किया गया था परन्तु वस्तुत: 530 करोड़ रु० की

वसूली हुई; कुल बकाया राशि गत कुछ वर्षों में एक सी रही है—1962 में यह राशि 288 करोड़ रु० थी; 1963 में 270 करोड़ रु०; 1964 में 289 करोड़ रुपये, जिसमें से सार्थक बकाया राशि केवल 170 करोड़ रुपये है; कुछ लोग पाकिस्तान चले गये हैं इत्यादि। इस प्रकार विभाग भरसक कोशिश कर रहा है और मैं माननीय सदस्यों का अत्यधिक आभारी हूं कि उन्होंने विभाग के कार्य की सराहना की है।

मैं काले धन का अनुमान नहीं लगाऊंगा, परन्तु मैं समझता हूं कि हम एक या दो वर्ष में इस पर काबू पा लेंगे। मैं कृतज्ञ हूं कि इस विषय में हम जो कुछ करते हैं सभा उसका समर्थन करती है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि धन-कर अधिनियम, 1957 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted.**

**उपाध्यक्ष महोदय** : हम खण्डवार विचार कल करेंगे।

---

## अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—जारी

## CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE—*Contd.*

### (दो) नैरोबी में हाल में हुए भारत विरोधी प्रदर्शन तथा स्टेनलेविले, कांगो में भारतीय राष्ट्रजनों की सुरक्षा

**श्री बड़े** (खारगोन): मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर वैदेशिक कार्य मन्त्री का ध्यान दिलाता हूं और उनसे यह प्रार्थना करता हूं कि वे इस पर एक वक्तव्य दें :

"नैरोबी में हाल में हुए भारत विरोधी प्रदर्शन और हाल की घटनाओं को देखते हुए स्टेनलेविले कांगों में भारतीय राष्ट्रजनों की सुरक्षा।

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : माननीय सदस्यों को विदित है कि 24 नवम्बर, को बेल्जियम के छाता सैनिक स्टेनलेविले में उतरे थे। इसकी कई अफ्रीकी देशों की राजधानियों में बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हुई है। नैरोबी में केन्या अफ्रीकी राष्ट्रीय संघ दल ने 26 नवम्बर, को बेल्जियम और अमरीका के राजदूतावासों के बाहर इसके विरुद्ध प्रदर्शन किया था। कांगों में पश्चिमी देशों के हस्तक्षेप के विरुद्ध नारे लगाये गये थे और कई प्रदर्शनकारियों ने बेल्जियम, अमरीका, श्री शोम्बे और अन्य लोगों के विरुद्ध प्रदर्शन-पट्ट उठा रखे थे। एक प्रदर्शन-पट्ट पर नैरोबी स्थित भारतीय उच्चायुक्त से केन्या छोड़ने के लिये कहा गया था।

यह प्रदर्शन मुख्यतया कांगो में बाहरी हस्तक्षेप की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। भारतीय दूत के विरुद्ध जो केवल एक प्रदर्शन-पट्ट था उसको अनुचित महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु प्रदर्शनकारियों ने गलियों में प्रदर्शन करते हुए सी डी प्लेट वाली चार कारों को क्षति

पहुंचाई, जिसमें स्वीडन के राजदूत, ब्रिटिश सूचना सचिव और केन्या में हमारे उच्चायुक्त की निजी कार भी थी। राजदूत की कार पर सी डी की प्लेट थी, परन्तु ऐसा कोई चिन्ह नहीं था जिससे उसके स्वामी का पता लगे।

2. भारतीय उच्चायुक्त ने केन्या की सरकार से इन घटनाओं के बारे में कड़ा विरोध प्रकट किया है और इसी सम्बन्ध में वे केन्या सरकार के कुछ मंत्रियों से स्वयं भी मिले हैं।

3. कांगो की घटनाओं के बारे में, बेल्जियम के छाता सैनिकों ने स्टेनलेविले में उतर कर यूरोपियनों और कुछ अन्य राष्ट्रजनों को निकाल लिया। इनमें 43 भारतीय राष्ट्रजन और 4 बच्चे थे।

प्राप्त सूचना के अनुसार स्टेनलेविले में 43 भारतीय राष्ट्रजन और 415 भारतीय उद्भव के व्यक्ति थे। इनमें से 455 को विमान द्वारा लियोपोल्डविले पहुंचाया जा चुका है। ऐसा समझा जाता है कि भारतीय उद्भव का एक व्यक्ति मारा गया है और दो अन्य लापता हैं; ये तीनों भारतीय राष्ट्रजन नहीं हैं।

भारतीय राष्ट्रजनों या भारतीय उद्भव के लोगों को न तो बन्धक रखा गया और न ही उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। स्टेनलेविले की सेनाओं और कांगो के नागरिकों में आतंक के कारण सम्भव है उनको खतरा पैदा हो गया हो। भारतीय शरणार्थियों को, जिनकी अवस्था दयनीय है, लियोपोल्ड स्थित हमारे दूतावास द्वारा आवश्यक सहायता दी जा रही है।

**श्री बड़े** : वर्तमान उपद्रवों को देखते हुए क्या कांगो सरकार ने हमें उस देश में भारतीयों की सुरक्षा के बारे में आश्वासन दिया है, और यदि नहीं, तो हमारा और कौन-से कदम उठाने का विचार है ?

**श्री दिनेश सिंह** : कठिनाई इसलिये उत्पन्न हुई है चूंकि कांगो सरकार का सारे कांगो पर पूरा नियंत्रण नहीं है। अतः उनके क्षेत्र के बाहर के इलाके में भारतीयों की सुरक्षा की गारंटी मांगने का कोई अर्थ नहीं है। हमारे राजदूत वहां विद्यमान हैं।

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya** (Dewas) : In view of the crisis mentioned above whether Government propose to repatriate the Indian nationals from there and whether any steps have been taken to liberate the Indians who have been made prisoners there; and if so, the nature thereof?

**Shri Dinesh Singh :** They are not facing any particular hardships. I have stated just now that those who were in Stanleyville were not treated as prisoners. Some Indians are there but they have not sought our help.

**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : मैं प्रश्न पूछने से पहले थोड़ा-सा विरोध प्रकट करना चाहता हूं कि स्टेनलेविले की घटनाओं सम्बन्धी मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को नैरोबी में जो कुछ हुआ उसके साथ सम्बद्ध करके ठीक नहीं किया गया।

क्या सरकार का ध्यान उन लोगों के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जो स्टेनलेविले से बच कर आये हैं कि यदि बेल्जियम के छाता सैनिक न आते तो उनकी जान न बचती ? यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री दिनेश सिंह : हमारे दूतावास को ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है, इसलिये हमें इसका पता नहीं है । सम्भव है उन्होंने किसी और पत्र को दिया हो, परन्तु जैसा कि मैं ने बताया वे काफी सुरक्षित थे । जब शहर में हालत बहुत बिगड़ गई हो, तो हो सकता है कि उन्हें खतरा पैदा हो गया हो, परन्तु पहले उन्होंने हमें निकालने के लिये नहीं कहा ।

**Shri Yashpal Singh** (Kairana) : Whether Government have ever considered over the matter that the more we love the African countries the more remote go from us, what is the reason therefor ?

**Shri Dinesh Singh :** I am glad that the other member has corrected the statement of the hon. member. This is not so. I do not think that the more closer we come to the African people, the more difficulties we have to face. The more friendly we become the lesser difficulties we have to face.

इसके पश्चात लोक-सभा बुधवार, 2 दिसम्बर, 1964/ 11 अग्रहायण, 1886 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

**The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday December 2, 1964/Agrahayana 11, 1886 (Saka).**



GMGIPND—LSIII—2045—A(i)L.S.—3-5-65—600